लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 14 मार्च, 1989/23 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
11	8	पंक्ति के आरम्भ में (घ) पढ़िये।
25	8	"श्री श्रीबल्लभ" के स्थान पर "श्री श्रीबल्लभ" पढ़िये।
79	18	मंत्री के नाम के पश्चात (क) अंत:स्थापित करिये।
81	4	शीर्षक में "तन्जौर तलिनाडु" के स्थान पर "तंजौर तमिलनाडु" पढ़िये।
89	7	प्रश्न संख्या "6539" के स्थान पर "2539" पढ़िये।
118	17	पंक्ति के आरम्भ में (ग) पढ़िये।
171	13	प्रश्न संख्या "2935" के स्थान पर "2635" पढ़िये।
179	नीचे से 11	शीर्षक में "गैच" के स्थान पर "गैस" पढ़िये।
191	नीचे से 5	"(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
197	4	प्रश्न संख्या "3665" के स्थान पर "2665" पढ़िये।

. . 2/-

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
208	नीचे से 9	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंत:स्थापित करिये।
211	1	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
211	2	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
248	नीचे से 11	"आशुतोष लाल" के स्थान पर "आशुतोष लाहा"
249	6	पढ़िये।

लोक सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1989/23 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

श्री एस. जसपाल रेड्डी : मैं देश की सुरक्षा के प्रति एक गम्भीर खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक प्रश्न-काल स्थगित नहीं होता, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह अधिकारातीत असंवैधानिक तथा असंगत है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आपके चिल्लाने से मैं दब जाऊंगा ? क्या आप समझते हैं कि सदन में बिना नियमों का पालन किए कुछ किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां के नियमों का पालन किये बिना इस सदन को नहीं चलाया जा सकता। मैं इस सदन को सदन के नियमों के अनुसार चला रहा हूं, आपके कहने के अनुसार नहीं। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं जानता किंतु मैं सदन के नियमों के अनुसार ही काम कर सकता हूं। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब डा. दत्ता सामंत अपना प्रश्न पूछेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए। मैं [illegible] यह कह रहा हूं कि इस सदन के कुछ नियम हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप तानाशाह हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तो आप क्या हैं ? क्या आप लोकतंत्रवादी हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यही तो करने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप तानाशाह हैं। अब मैं आपका नाम लेकर पुकारना चाहता हूं। मैं आज आपका लिहाज नहीं करूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल स्थगित किए बिना मैं किसी चीज की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक बात और है, मैं आपको बता दूं। जो भी मुद्दा उठाया जा…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैं इन्हें अथवा किसी और सज्जन को अनुमति नहीं दे रहा हूं। बात यह है कि कुछ नियम हैं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब बहुत कुछ हो चुका है। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बुरे से बुरा व्यवहार देखा है और अब मैं नियमों का उल्लंघन देख रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नियम हैं मैंने कभी नहीं देखा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि जिन्हें अध्यक्षपीठ की मर्यादा बनाए रखनी होती है वे ही ऐसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उसे तोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब केवल आप, बैठ जाइए। सुनिए, बैठ जाइए। बहुत हो गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, कुछ नियम हैं, यदि मुझे अपनी इच्छानुसार सदन चलाना होता, यदि मुझे कानून अपने हाथ में लेना होता, तो मैं सबसे बुरा तानाशाह बन सकता था। असीमित शक्तियों के कारण कोई भी तानाशाह इतना सशक्त है कि नियमों के अंतर्गत कुछ नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियमों के अनुसार सही व्यवहार नहीं कर सकते तो मैं आपसे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और क्या आशा कर सकता हूं ? आप इस देश के लिए, इस संस्था के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं और आप सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि सदा ही यह प्रस्ताव रखा जाता है कि कतिपय नियमों के अन्तर्गत ही प्रश्न-काल को स्थगित किया जाना चाहिए। यदि सदन द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। मुझसे न तो किसी ने नियमों को निलंबित करने के लिए कहा है और न ही किसी ने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि कल किसी समाचार पत्र में कोई इधर उधर की खबर छप जाए तो मैं उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। उस पर कोई टीका-टिप्पणी नही होनी चाहिए। आप कारणों और नियमों पर ध्यान नहीं दे सकते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं नहीं सुनूंगा। ये लोग सदन की मर्यादा को निम्नतम स्तर तक गिराना चाहते हैं। वे यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तानाशाह बनते जा रहे हैं। सदन इनकी अथवा किसी अन्य की तानाशाही से नहीं चलेगा। यदि नियमानुसार ऐसा संभव है, तो मैं चर्चा की अनुमति दूंगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं विरुद्ध नहीं हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी नियम बदल दीजिए तो मैं ऐसा कर दूंगा। मैं किसी भी चर्चा के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह मेरे अधिकार में नहीं है। मैं श्री जयपाल रेड्डी नहीं हूं जो नियमों का उल्लंघन कर सकूं। मैं यहां नियमों की रक्षा के लिए हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल यही कर रहे हैं। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल असंबद्ध, इधर उधर की और नियमों के विपरीत बात है। यह आपके लिए शर्म की बात है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप सुन नहीं रहे हैं। मैं अपने कक्ष में बैठूंगा। यदि कोई मुझे बता दे कि इस नियम के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है तो मैं ऐसा कर दूंगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।—

अध्यक्ष महोदय : मैं मजाक नहीं कर रहा। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। श्री जयपाल रेड्डी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आपने कोई नोटिस दिया है ? नहीं। आप प्रश्न-काल के स्थगित हुए बिना आप चाहते हैं कि···आप और क्या चाहते हैं ? सीधी सी बात है। आप सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। आप और क्या कर सकते हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैं केवल नियमानुसार सदन को चला सकता हूं। यदि नियम इजाजत दे तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। आप नियमों मे संशोधन कीजिए। कहीं भी कुछ छप सकता है। मैं क्या जानू। कल को वे आपके बारे में कुछ बेमतलब लिख दें, तो आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अभी भी मनाते हैं कि सदन सर्वोपरि है, तो आप प्रश्न काल स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत करते ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप क्या करते रहे हैं···यहां मेरी मर्जी नहीं चलती। मेरी कोई मर्जी नहीं न उनके हित में, आपके हित में।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। आप अभी तक अकारण जो कुछ भी करते हैं वह एक सदस्य को शोभा नहीं देता···जब नियम इजाजत दें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? ये हर वक्त क्या मजाक है ? आप इस तरह से सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? यह बहुत शर्मनाक बात है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें नियम तोड़ने का दोषी बता रहे हैं, किंतु आप स्वयं भी यही कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति की भर्त्सना करता हूं जो नियमों का उल्लंघन करता है और मैं आपके लिए भी ऐसा ही कर रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलाता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं न्यायकर्ता हूं। मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। मैं केवल अध्यक्ष हूं और मैं नियमानुसार कार्य करता हूं। मैं अध्यक्ष हूं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निशाना न बनाइये। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी नियम को नहीं तोडूंगा। सभी को नियमों का पालन करना होता है और मैं नियमानुसार ही काम करूंगा।

11:38 म. पू.

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

प्रश्न काल का निलम्बन

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं। कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 को, जहां तक उसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होने का उपबन्ध है, निलंबित किया जाये ताकि सभा ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर, जिसे तुरन्त सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, चर्चा कर सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 को, जहां तक उसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होने का उपबन्ध है, निलंबित किया जाये ताकि सभा ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर, जिसे तुरन्त सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, चर्चा कर सके।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने अभी चर्चा में भाग नहीं लिया है। मुझे आशा है कि उचित समय हर नियमों के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा। मैं इस विषय पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामंत

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.39 म. पू.

महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक एकक

265. **डा. दत्ता सामन्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बड़े और लघु औद्योगिक एकक कितने-कितने थे;

(ख) क्या महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) इन एककों में सरकार और बैंकों का कुल कितना धन लगा हुआ है; और

(घ) इन एककों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के. बेंगल राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून, '987 के अंत में महाराष्ट्र में गैर लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 238 थी तथा लघु क्षेत्र में 11,457 थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में दिसम्बर, 1985, दिसम्बर, 1986 और जून, 1987 के अंत में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या इस उत्तर के अनुबन्ध में दर्शायी गयी संख्या के अनुसार थी। राज्य में औद्योगिक एककों की कुल संख्या में से रुग्ण एककों की संख्या के प्रतिशत के अनुसार इसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से दोषपूर्ण परियोजना नियोजन, प्रबंधात्मक कमियां, अकुशल वित्तीय नियंत्रण स्रोतों का दिशांतरण, अनुसंधान तथा विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना, प्रौद्योगिकी तथा मशीनों का अप्रचलन, औद्योगिक संबंध अच्छे न होना, बाजार मांग में परिवर्तन, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की लागत व दुलर्भता और आधारभूत बाधाएं मुख्य कारण हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में जून, 1987 के अन्त तक गैर तथा लघु क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों पर कुल बकाया राशि 834.43 करोड़ रु. थी तथा लघु क्षेत्र में यह राशि 277.55 करोड़ रुपये थी।

(घ) रुग्ण औद्योगिक एककों से प्रभावित हुए कामगारों की कुल संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है। तथापि औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों से स्थायी रूप से बन्द होने वाले एककों तथा प्रभावित कामगारों से संबंधित आंकड़े श्रम आयुक्त द्वारा रखे जाते हैं। उनसे मिली अनंतिम सूचना के अनुसार, जनवरी से नवम्बर, 1988 के दौरान महाराष्ट्र में स्थायी रूप से बन्द हुए एककों तथा उनसे प्रभावित हुए कामगारों की संख्या क्रमशः 70 एक तथा 2,930 कामगार थी।

अनुबन्ध

महाराष्ट्र में रुग्ण एककों की संख्या की समाप्त अवधि	गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की कुल संख्या	लघु क्षेत्र में एककों की कुल संख्या
दिसम्बर, 1985	146	8567
दिसम्बर, 1986	161	10605
जून, 1987	238†	11457

†जून, 1987 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये गये वर्गीकरण में परिवर्तन हो जाने के कारण संख्या में अकस्मात वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों के आंकड़ों में केवल बड़े एकक शामिल हैं जबकि जून, 1987 से मझोले एककों को भी शामिल कर लिया गया है।

डा. दत्ता सामंत : महोदय, मसला बहुत ही गम्भीर है। महाराष्ट्र में अधिकतर उद्योग बंद पड़े हैं। यहां दिये गये वक्तव्य के अनुसार महाराष्ट्र के गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या 238 है और लघु उद्योग में 11457 यह स्थिति जून 1987 तक की है। इस तरह के एककों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। अधिकाधिक कारखाने बन्द हो रहे हैं। महोदय, पूरा मसला यह है...

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अभी तक अनुशासित खड़ा हुआ हूं इसलिए मैं आशा करता हूं कि नियमों के अन्तर्गत उचित समय पर मुझे निवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि नियम अनुमति देते हैं तो, महोदय, मैं आपको नहीं रोक सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे आशा है कि मेरे अनुशासित रहने पर आप मुझे कुछ लाभ देंगे।

डा. दत्ता सामंत : महोदय क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यदि आपके मित्र इसकी अनुमति दें।

डा दत्ता सामंत : महाराष्ट्र में सबसे अधिक उद्योग बंद हैं। महाराष्ट्र के कुल 26,000 उद्योगों में से 35 प्रतिशत बन्द हैं। तकरीबन 15 लाख श्रमिक अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। और करीब 1000 करोड़ रुपये उद्योग पतियों के यह बड़े घराने हजम कर चुके हैं।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। बड़े उद्योग जैसे श्रीनिवास, मैटल बाक्स मार्डन, सिंधिया शिपिंग, यूनियन कारबाईड, कैलिको कैमिकल्स, रघुवंशी, गोदरेज, आदि कुल मिलाकर 250 बड़े कारखाने बन्द पड़े हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कारखानों के बन्द होने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही उत्तरदायी हैं। इतनी संख्या में मिलों के बन्द हो जाने पर भी कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं। 4 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने मिल मालिकों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने एफ. एल. आई. को .5 से बढ़ाकर 1.33 कर दिया। इस तरह एक तरह से आप उन्हें जमीन बेचने की अनुमति दे रहे हैं। पिछले इलाके में नये उद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए आप कुछ छूट दे रहे हैं। इससे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में उद्योग हट रहे हैं। मिलों के बन्द होने का कारण धन को दूसरी तरफ लगाना है जो कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 52 प्रतिशत है। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या आप बड़े उद्योगपतियों द्वारा कुप्रबन्ध और धन को अन्यत्र ले जाने की जांच कराने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे दूसरी बात क्या आप इस बात के लिए राजी हैं कि इस तरह के निर्देश जारी किये जायें जिससे महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थापित मिलों को पिछड़े इलाकों में नए उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाये ?

श्री के. वेंगल राव : महोदय इसके लिए अलग से समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे राष्ट्र के रुग्ण उद्योगों के विषय में प्राक्कलन समिति अध्ययन कर रही है।

दूसरे अनुपूरक के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

डा. दत्ता सामंत : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा था कि यह एक गम्भीर आर्थिक मसला है जहां की 10 प्रतिशत उद्योग बन्द पड़े हैं। सरकार ने बी. आई. एफ. आर., रुग्ण उद्योग बोर्ड की स्थापना की है जो इन मुजरिमों को और भी छूट देता है। महाराष्ट्र में 100 उद्योगों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और आप उन्हें औद्योगिक अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर के और छूट दे रहे हैं। ये लोग देश का धन हड़प रहे हैं। यह काले धन का एक बड़ा स्रोत है और सरकार चुपचाप इसे देख रही है। क्या सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इन धोखेबाज नियोजकों को और अधिक ऋण देने से रोकेगी ? रुग्ण औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड को यह अधिकार है कि वह स्वस्थ इकाइयों के लाभ को रुग्ण उद्योगों के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस अधिकार का कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार धोखेबाज उद्योगपतियों को ऋण न देने और स्वस्थ इकाइयों के लाभ को रुग्ण इकाइयों में इस्तेमाल करने के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है।

श्री के. वेंगल राव : महोदय, यदि कोई लाभ वाली इकाइयां रुग्ण उद्योगों को अपनाना चाहें तो उन्हें यह छूट मिलेगी।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि मिलों के बन्द होने के कारण 3000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा में औद्योगिक नीति में सुधार करने की बात कही गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके। यदि ऐसा है तो किस तिथि से सरकार प्रस्तावित सुधारों को लागू करने जा रही है। 5 प्रतिशत उच्च राष्ट्रीय छूट जो 'मोडवेट स्कीम' के अन्तर्गत छोटी इकाइयों को मिलती है इस साल 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से सलाह मशविरे के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे बढ़ाया जाए जिससे छोटी इकाइयां बच सकें ?

श्री के. वेंगल राव : महोदय, मैं माननीय सदस्य से वित्त मंत्री का वक्तव्य एक बार फिर पढ़ने को कहूंगा। ऐसा करने के लिए सरकार ने उत्पाद शुल्क छूट योजना बनाई है जिससे कि इकाइयों को उनके उत्पाद शुल्क का एक हिस्सा उनके द्वारा विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन के कार्यक्रमों में, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित हों, लगाने के लिए दिया जा सके···

(व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैंने 5 प्रतिशत की छूट के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न किया है।

श्री के. वेंगल राव : मैंने आपको एक स्पष्ट उत्तर दिया है। वित्त मंत्री ने और अधिक छूट दी है।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दत्ता सामंत महाराष्ट्र को ट्रेड यूनियनों को काफी तेजी से चलाते हैं और इनकी वजह से ही महाराष्ट्र में बड़ी और छोटी इण्डस्ट्रीज बंद हुई हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इनकी वजह से कितनी इण्डस्ट्रीज बंद हुई ? अब सिक यूनिट मान कर जो उनको मदद करेंगे उससे इनके कितने मजदूरों को कामकाज मिलेगा और इनकी ट्रेड यूनियनों को कितना हिस्सा मिल सकेगा ? (व्यवधान)

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि वह कौन से कारण हैं जिन की वजह से इण्डस्ट्रीज सिक हो जाती हैं और वह भविष्य में सिक न हों उसके लिये आप क्या कोई उपाय करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जे. वेंगल राव : जहाँ तक उद्योगों में रुग्णता को रोकने का सवाल है यदि आप आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता प्रति वर्ष कम हो रही है। (व्यवधान)

श्री वी. सोभनाद्रीश्वर राव : दरअसल में रुग्णता बढ़ रही है क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि 154 हजार इकाइयाँ इस समय रुग्ण अवस्था में है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : 1.8 हजार इकाइयां रुग्ण पड़ी है उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए

डा. दत्ता सामंत : हम श्रमिकों के सम्बन्ध में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं और यह गलत जानकारी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिशतता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं।

श्री जे. वेंगल राव : जबकि राष्ट्रीय औसत 8.4 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में यह 8 और 8.5 प्रतिशत के बीच है।

चलचित्र उद्योग की समस्याओं संबंधी समिति

+

*267. श्री एम. रघुमा रेड्डी :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चलचित्र उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ङ) प्रस्तावित समिति के सदस्य कौन कौन और उसके विचारार्थ विषय क्या होंगे; और

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 14 फरवरी, 1989 के आदेश संख्या 105/19/88- एफ (आई) के तहत फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आदेश की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ समिति का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय दिए गए हैं।

समिति को अपनी पहली बैठक के छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी अपेक्षित है। समिति की पहली बैठक अप्रैल, 1989 के आरम्भ में आयोजित करने की योजना है।

विवरण

संख्या 105/19/88-एफ (आई)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14.2.1989

आदेश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म उद्योग की समस्याओं के अध्ययन की दृष्टि से तथा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों को उचित सिफारिशें करने हेतु, एतद्द्वारा समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया जाता है :

1 सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री जी. के. अरोड़ा)	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष भारतीय फिल्म फेडरेशन बम्बई (श्री ए. रमेश प्रसाद)	सदस्य
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद, बम्बई (श्री विजय आनंद)	सदस्य
4. अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय फिल्म वाणिज्य मंडल, मद्रास (श्री आर. लक्ष्मण)	सदस्य
5. अध्यक्ष, पूर्वी भारतीय चलचित्र संघ (श्री एस. एम. जालान)	सदस्य

6. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री पी. के. सरकार)	सदस्य
7. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (श्री जे. वी. रेड्डी अपर सचिव)	सदस्य
8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, (श्रीमती मालती ताम्बे वैद्य)	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री र. च. सिन्हा)	सदस्य
10. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (श्री मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव)	सदस्य
11. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (श्री जेडी. गुप्ता, संयुक्त सचिव)	सदस्य
12. बैंकिंग विकास, वित्त मंत्रालय (श्री एम. सी. सत्यावादी, संयुक्त सचिव)	सदस्य
13. औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, (श्री एन. के. सबरवाल, संयुक्त सचिव)	सदस्य
14. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, (श्री के. एस. के. मूर्ति, उप महानिदेशक)	सदस्य
15. विशेष आयुक्त एवं सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग, तमिलनाडु सरकार (सी. एन. रामदास)	सदस्य
16. आयुक्त एवं सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, केरल सरकार (श्री डी. बाबू पौल)	सदस्य
17. सचिव, सूचना और संस्कृति कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (श्री डी. भट्टाचार्य)	सदस्य
18. सचिव, संस्कृति कार्य विभाग, पंजाब सरकार, (श्रीमती दलजीत जयजी)	सदस्य
19. सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार (श्री वेल्लुरि नारायण)	सदस्य
20. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य

21. श्री एस. बी. मिश्र, सचिव, औद्योगिक विभाग, उड़ीसा सरकार	सदस्य
22. विशेष सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, (श्री एम. पी. गुप्ता)	सदस्य
23. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश सरकार (श्री नृपेन्द्र मिश्रा)	सदस्य
24. संयुक्त सचिव (फिल्म) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, (श्री बी. के चुत्सी)	सदस्य सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

फिल्म उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका अध्ययन करना और फिल्म उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों से सिफारिश करना। अध्ययन के मुख्य क्षेत्र होंगे-उद्योग का स्तर फिल्म प्रोडक्शन का वित्त पोषण, फिल्मों का विपणन और वितरण, फिल्म उद्योग की अर्थव्यवस्था पर केन्द्र और राज्यों के करों का प्रभाव, पायरेसी विरोधी कानून और उनको लागू करना, दूरदर्शन से फीचर फिल्म को टेलीकास्ट करने के लिए रायल्टी की दरें और सिनेमा थियेटरों में लघु फिल्म के अनिवार्य प्रदर्शन स्कीम की पुनरीक्षा।

2.समिति किसी अन्य प्रासंगिक या संबंधित मुद्दे का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।

3. समिति आवश्यक सूचना और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए जहां आवश्यक हो, समूहों को स्थापित कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति, माध्यम विशेषज्ञों और इस क्षेत्र में जानकारी रखने वाले अन्य वर्गों से परामर्श कर सकती है।

5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा और जब भी आवश्यक हो इसकी बैठक होगी लेकिन यह देश के अन्य स्थानों का, जहां आवश्यक हो, दौरा कर सकती है।

6. समिति अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी संभव हो सके पेश करेगी लेकिन इसकी अवधि पहली बैठक की तारीख से 6 माह की अवधि के अन्दर ही होगी।

7. समिति अपनी कार्य प्रणाली तैयार करेगी।

8. समिति के गैर सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय समय पर संशोधित 5. सितम्बर, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/26/ई. 4/59 के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने से हकदार होंगे।

ह./
(बाल कृष्ण चुत्सी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

प्रतिलिपी प्रेषित :—

1. समिति के अध्यक्ष और सदस्य।
2. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन।
4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी माध्यम एकक/मुख्य सचिवालय के सभी अनुभाग।
5. सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

ह./-

(अज कृष्ण चुत्शी)

संयुक्त सचिव भारत सरकार

फोन : 383857

श्री एम. रघुमा रेड्डी : महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम भारत सरकार ने फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन तो किया। किन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल 24 सदस्यों में से केवल तीन सदस्य गैर-सरकारी सदस्य हैं और समिति में शेष सभी सदस्य दफ्तरशाह है। मैं दफ्तरशाह लोगों की मानसिकता जानता हूँ। किसी भी चीज की सिफारिश करते समय वे सरकार का ही समर्थन करेंगे न कि चलचित्र उद्योग की समस्याओं का वे वास्तव में समस्याओं को सरकार के नोटिस में नहीं लाएंगे।

हिन्दी फिल्मों के बाद आन्ध्र प्रदेश में सबसे अधिक तेलगु फिल्में बनती हैं। और आन्ध्र प्रदेश राज्य से इस सूची में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे आन्ध्र फिल्म उद्योग से समिति में एक सदस्य शामिल किए जाने पर विचार करेंगे ? वास्तव में तकनीशियन और स्थानीय कलाकारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या वे तकनीशियन वर्ग से एक प्रतिनिधि और कलाकारों के वर्ग में से एक प्रतिनिधि को शामिल करने पर विचार करेंगे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या इन दफ्तरशाही लोगों की संख्या से कहीं अधिक होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि समिति का गठन न्यायसंगत ढंग से किया गया है। इसमें अध्यक्ष, भारतीय फिल्म संघ, अध्यक्ष, अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद, अध्यक्ष दक्षिण भारतीय फिल्म चैम्बर आफ कामर्स, ईस्टर्न इन्डिया आदि सभी महत्वपूर्ण संगठनों इसके सदस्य हैं। चार सदस्य भिन्न-भिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि तेलगु में बहुत सी फिल्म बनती है।

आन्ध्र इसमें अत्यधिक रुचि रखता है और इसलिए उनकी भी इसमें रुचि है। और इससे भी अधिक रुचि, मैं सादर निवेदन करूंगा, उनके मुख्य मंत्री रखते हैं। हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार का भी एक प्रतिनिधि इसमें शामिल किया है। हमने इस समिति में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है।

अब प्रश्न यह है कि क्या आप समिति का आकार बहुत बड़ा करना चाहते हैं और दूसरे समिति किसी भी वर्ग के प्रति निधि को अपनी राय देने के लिए बुलाने में स्वतंत्र है। उनकी राय पर विचार किया जाएगा और कोई भी निर्णय आवश्यक विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि सदस्य ने समिति के गठन का स्वागत किया है।

श्री एम. रघुवा रेड्डी : यह कोई उत्तर नहीं हुआ। वास्तव में फिल्म उद्योग में कम वेतन वाले तकनीशियन और कलाकारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बचाव के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं यह चाहता हूं कि उनमें से कम से कम एक सदस्य को समिति में शामिल किया जाए।

दूसरे, इन वीडियो फिल्मों के कारण मुख्य फिल्म उद्योग के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस विडियो संकट या फिल्म की चोरी को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मुख्य फिल्मों के निर्माताओं की उपेक्षा की जा रही है और वे बहुत सी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं माननीय सदस्य के नोटिस में पहले ही यह बात ला चुका हूं कि तकनीशियन एक वर्ग में आते हैं; सिने कर्मचारी दूसरे वर्ग में आते हैं और फिल्म उद्योग में और भी बहुत से वर्ग हैं। उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। समिति उन्हें बुलाकर उनके मत पर विचार करेगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आप इस समिति को कहां और किस सीमा तक मानते हैं। यह एक बात हुई। हमारे विचार में समिति का गठन ठीक ढंग से किया गया है और इसमें राज्य सरकारों, अखिल भारतीय फिल्म निर्माताओं और अन्य सभी का सही प्रतिनिधित्व है। हम सिने कर्मचारियों, तकनीशियनों आदि को बुलाते हैं। अब दूसरे भाग का संबंध विडीयो चोरी से है। यह गंभीर खतरा और एक गंभीर समस्या है। अतः प्रथम भाग सरकार अर्थात सिनेमा अधिनियम है। हमने इसमें संशोधन किया है। दूसरा भाग कापीराइट अधिनियम से संबंधित है। हमने इसमें संशोधन किया है। इसे लागू करने का कार्य राज्य सरकारों का है। हमने राज्य सरकारों से बार-बार यह कहा है कि उन्हें इन अधिनियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए मैं उनसे नम्रता और आदर सहित यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी राज्य सरकारों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए समझाने का प्रयास करना चाहिए

श्री एम. रघुवा रेड्डी : हमारी राज्य सरकार इस बारे में कदम उठा रही है।

श्री एच. के. एल. भगत : यदि आप सोचते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में कोई वीडियो चोरी नहीं है तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, फिल्म उद्योग में तीन समस्याओं के बारे में सदन में पहले चर्चा हुई और जिनके लिए सरकार ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रथमतः अच्छी फिल्में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वितरक उन्हें

लेने के लिए तैयार नहीं है और न ही सिनेमा हाल उन्हें स्वीकार करते हैं। दूसरे क्षेत्रीय फिल्मों का पर्याप्त बाजार नहीं है यद्यपि क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं जिन्हें न केवल राष्ट्रीय पुरस्कारों बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये फिल्में लोगों तक नहीं पहुंची हैं। तीसरे, हालांकि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हें बहुत अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है बहुत अधिक धन दिया जाता है किन्तु तकनीशियनों और सहायक कर्मचारियों को इस देश में सबसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है। विचारार्थ विषयों में मुझे कोई इसका विशेष उल्लेख नहीं मिला; हो सकता है सामान्य विषयों में ऐसा उल्लेख किया गया हो। क्या माननीय मंत्री महोदय इन तीन बातों को विशिष्ट रूप से विचारार्थ विषयों में शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री एच. के. एल. भगत : माननीय सदस्य ने अच्छी फिल्मों, क्षेत्रीय फिल्मों और कलाकारों के बारे में बारी-बारी से प्रश्न उठाए। प्रथमतः हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जहां तक फीचर फिल्म निर्माण का संबंध है, मुख्यतः यह कार्य निजी क्षेत्र के अन्तर्गत है। दूसरे जहां तक अच्छी फिल्मों के निर्माण का संबंध है, सरकार हमेशा इस बात की इच्छुक रही है कि फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। किन्तु फिल्में फिल्म निर्माताओं द्वारा बनायी जाती हैं और हमने उन्हें यह सुझाव दिया है कि उन्हें गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए।

दूसरे, जो कुछ उन्होंने कहा यह कहना गलत है। हमारे लिए यह कहना उचित नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि जिन फिल्मों को पुरस्कार मिल चुका है उन्हें दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। कभी-कभी लोग यह कहते हैं। उन्हें पुरस्कार मिल चुका है; किन्तु वे अधिक रुचिकर नहीं हैं। किन्तु हम कहते हैं। नहीं, जिन फिल्मों को पुरस्कार मिल चुका है उन सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। ऐसा अच्छी क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किया जाता है। पुरस्कार पाने वाली छोटी फिल्मों को भी राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाता है। यदि आप अब सम्पूर्ण कार्यक्रम को देखें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निश्चित, ठोस कदम उठाए गए हैं; और हमें खुशी है कि उनके अपने राज्य को भी दूरदर्शन पर मैंने स्वयं फिल्में देखी हैं। मैं असम की उस फिल्म का नाम बता सकता हूं जो दूरदर्शन पर दिखाई गई थी। अतः यह कहना अनुचित है किन्तु साथ ही, यदि फिर भी कोई समस्या है तो समिति के विचारार्थ विषय बहुत व्यापक है समिति उनकी जांच कर सकती है।

श्री शान्ता राम नायक : मैंने समिति के सदस्यों की सूची पढ़ी है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य के ही प्रतिनिधि इसमें क्यों शामिल किए गए हैं ? दूसरे, एक संस्था जो इस उद्देश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, को शामिल नहीं किया गया है। यह सिनेमा देखने की संस्था है। समिति में प्रदर्शकों, निर्माताओं और अन्य सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि है किन्तु 'सिनेगो अर एसोसिएशन' को शामिल नहीं किया गया है। और 'इसलिए, फिल्म उद्योग के दो नियमित सदस्यों अर्थात वैजयन्तीमाला वाली और सुनील दत्त, को, मेरे विचार में, समिति में स्थान मिलना चाहिए। (व्यवधान)···क्या मैं···सुझाव···(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : संसद के प्रसिद्ध सदस्य अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है समिति बनाने का

उद्देश्य यह था कि यह समिति उच्च-अधिकार प्राप्त समिति होना चाहिए। इसीलिए, यहां तक कि विभिन्न विषयों में व्यवहार करने वाले केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हम इस समिति को उद्देश्य परक, सार्थक बनाना चाहते हैं। और इससे कुछ सिफारिशों की अपेक्षा रखते हैं। अब ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जिन्हें समिति में स्थान न मिला हो किन्तु यदि हम हर छोटी-छोटी बात को लें तो समिति का आकार वर्तमान आकार से चार गुण अधिक हो जाएगा। किन्तु उन्हें भी लिया जाएगा और जैसा कि माननीय सदस्य श्री शान्ता राम नायक ने कहा कि एसोसिएशनों के प्रति निधियों को भी उनके मत जानने के लिए बुलाया जाएगा।

उड़ीसा में विद्युत की कमी

*271. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उड़ीसा में जनवरी और फरवरी, 1989 के दौरान विद्युत की कुल कितनी कमी रही; और

(ख) राष्ट्रीय ग्रिड से यह कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा में जनवरी, 1989 और फरवरी, 1989 के दौरान कुल मिलाकर विद्युत की कमी क्रमश: लगभग: 22.7% और 22.2% थी।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों जैसे फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और भूटान की चूखा जल विद्युत परियोजना में विद्युत सप्लाई के द्वारा उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता की पूर्ति के लिए सभी प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। समीपवर्ती राज्यों/प्रणालियों से भी उड़ीसा को सहायता की जाती है।

श्री बृज मोहन महन्ती : हमारे राज्य को किस स्रोत और किस सीमा तक सहायता प्रदान की गई है ? मंत्री महोदय इसका ब्यौरा दें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : सहायता मुख्यत: चूखा और इसके बाद फरक्का से दी गई है। सहायता जनवरी और फरवरी में 19.1 मिलीयन यूनिट, 20.7 मिलीयन यूनिट और 24.2 मिलीयन यूनिट की सीमा तक दी गई है। चूखा से 10.6,8.4 और 7.4 मिलीयन यूनिट की सहायता दी गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम

[अनुवाद]

*266. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1980 में इस आशय की अधिसूचना जारी की थी कि कोई

भी लघु, सहायक अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम किसी अन्य उपक्रम के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन या उसका सहायक उद्योग नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे किन्हीं उपक्रमों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) सरकार ने जनवरी, 1980 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि कोई भी लघु अथवा सहायक औद्योगिक उपक्रम को किसी अन्य उपक्रम का उपसंगी नहीं होगा और न ही इसे किसी अन्य उपक्रम द्वारा अपने स्वामित्व में लिया जायेगा या नियंत्रित किया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों ने सूचित किया है कि उक्त अधिसूचना को ध्यान में रखकर उन्होंने उपक्रमों की निम्नलिखित संख्या, जो उनके नामों के सामने दर्शायी गयी है, को पंजीकरण मुक्त कर दिया गया है:—

1. आन्ध्र प्रदेश	...	1 उपक्रम
2. दिल्ली	...	1 उपक्रम
3. गुजरात	...	6 उपक्रम
4. महाराष्ट्र	...	2 उपक्रम
5. तमिलनाडु	...	3 उपक्रम
6. उत्तर प्रदेश	...	1 उपक्रम

लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली के टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयां

[हिन्दी]

*268. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान" में "लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंज उपभोक्ताओं की नहीं सुनता" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। संचार मंत्री तथा सचिव (दूर संचार) को संबंधित शिकायत प्राप्त होने

पर हमने इस संबंध में जांच की परन्तु ऐसा कोई विशेष उदाहरण सामने नहीं आया जैसा कि समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में दूरदर्शन केन्द्रों से अरबी भाषा में शिक्षा का प्रसारण

[अनुवाद]

*269, श्री जी. एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि केरल में बड़ी संख्या में लोग अरबी भाषा का अध्ययन करते हैं, केरल में दूरदर्शन केन्द्रों से अरबी भाषा की शिक्षा का कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर बचत खाते

*272. श्री सी. जगा रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने डाकघर बचत खाते मार्च में खोले गए और उसी वर्ष अप्रैल में बन्द कर दिए गए;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रति वर्ष देश में डाकघरों में कुल कितनी धनराशि मार्च में जमा की गई और उसके तुरन्त बाद अप्रैल में निकाल ली गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्य सरकारें इस तरीके को बढ़ावा दे रही हैं ताकि वे केन्द्र से इस अधिक राशि के बराबर सहायता प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) से (घ) प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विद्युत उत्पादन में गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल करना

*273. डा. ए. के. पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में आयोजित राज्य ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था

कि इस शताब्दी के अन्त तक बिजली क्षेत्र के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपए के पूंजी-निवेश की आवश्यकता पड़ेगी और संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जनवरी, 1989 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा गया था कि आठवीं योजनावधि में सम्बद्ध पारेषण तथा वितरण प्रणालियों सहित 38000 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने संबंधी कार्यक्रम के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपए की निधियों की आवश्यकता होगी। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यदि इससे निवेश योग्य निधियों में निबल बढ़ोतरी होती है।

बिद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की साझेदारी को सुसाध्य बनाने संबंधी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कृपात्मकताओं की जांच की जा रही है।

कैंसर पैदा करने वाले रसायनों पर प्रतिबन्ध

*274. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे इक्कीस रसायनों, जिनसे कैंसर पैदा होने की सम्भावना है, के आयात, उत्पादन, वितरण, बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है और जिन पर अमरीका में पहले ही प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है,

(ख) यदि हां, तो कैंसर पैदा करने वाले उन रसायनों, जो अभी भी देश में प्रयोग हो रहे हैं, का ब्योरा क्या है,

(ग) भारत में इन रसायनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री वी. वेंकट राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में ऐसे कोई रसायन उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं जिनकी सामान्य और निर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया एवं उपयोग से कैंसर होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

*276. डा. कृपा सिंधु भोई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्यमान संयंत्रों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त राज्य को अनुमानत: कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है; और

(ग) उड़ीसा की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा में विद्यमान विद्युत संयंत्रों की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1360 मेगावाट है।

(ख) अप्रैल, 1988-फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 6550 मिलियन यूनिट थी।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि करने के लिए आठवीं योजनावधि में 483.5 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आयोजना है जिसमें से 260 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है और शेष क्षमता को 1989-90 तक चालू किए जाने की आशा है। उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए अन्य उपायों में ये शामिल हैं—विद्यमान क्षमता का इष्टतम सुमुपयोजन करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम का तलचेर ताप विद्युत केन्द्र में शीघ्र कार्यान्वित किया जाना। जहां तक सम्भव होता है फरक्का और चूखा विद्युत केन्द्रों एवं पड़ोसी प्रणालियों से भी उड़ीसा की सहायता की जाती है।

उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

*277. श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ फर्मों को उड़ीसा में अपने औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितनों पर मंजूरी दी गई;

(ग) कितने आवेदन-पत्र अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) उन्हें मंजूर न करने के क्या कारण हैं तथा इन आवेदन पत्रों पर कब तक मंजूरी दी जाएगी; और

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) से (ङ) उड़ीसा राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र दिये जाने के वास्ते वर्ष 1988 में 34 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन में से 17 आवेदन उड़ीसा के विभिन्न सरकारी उपक्रमों से प्राप्त हुए थे। प्राप्त कुल आवेदनों में से

नौ आशय पत्र दे दिये गये हैं, 12 रद्द कर दिये गये हैं और 12 लम्बित पड़े हैं। उड़ीसा के विभिन्न सरकारी उपक्रमों से प्राप्त 17 आवेदनों में से छह के सम्बन्ध में आशय पत्र दे दिये गये हैं और पांच मामले विचाराधीन हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि सभी औद्योगिक आवेदन लाइसेंस यथा-सम्भव शीघ्रता से निपटा दिये जाएं।

देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक अभ्युपाय किये हैं। कुछ उद्योगों के मामले में लाइसेंसीकरण से छूट की सुविधा एम. आर. टी. पी./फेरा कम्पनियों को दी जाती है बशर्ते कि परियोजना का स्थापना स्थल पिछड़े क्षेत्र में हो। एम. आर. टी. पी./फेरा से भिन्न कम्पनियों के संबंध में भी 50 करोड़ रुपये तक के निवेश हेतु लाइसेंसीकरण से छूट की सुविधा मिलती है, यदि परियोजनाएं की स्थापना 30 जून, 1988 की अधिसूचना में उल्लिखित दूरी सीमाओं के बाहर हो। सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में 100 विकास केन्द्रों की स्थापना की भी घोषणा की है जिसमें उत्तम किस्म की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन तथा रियायतें भी दी जाती हैं।

तमिलनाडु में जिला टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

*278. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के किन-किन जिलों में जिला टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित नहीं की गई हैं या उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका पुर्नगठन नहीं किया गया है, और

(ख) विशेष रूप से आरकट, नार्थ अरकाट, तन्जौर तथा सलेम जिलों में, टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन/पुर्नगठन कब तक किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) और (ख) दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन जिलों के आधार पर नहीं किया जाता। तथापि एक सैकेंडरी स्विचिंग एरिया के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति गठित की जाती है जो दूरसंचार जिला इन्जीनियर के प्रभाराधीन होती है। सैकेंडरी स्विचिंग एरिया में, कार्यभार पर आधारित, एक या एक से अधिक राजस्व जिले शामिल हो सकते हैं।

तंजौर और सलेम सेकेंडरी स्विचिंग एरिया के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन पहले ही कर दिया गया है। निम्नलिखित सैकेंडरी स्विचिंग एरिया के लिए दूरसंचार समितियों का गठन करने की कार्रवाई की जा रही है :—

1. त्रिची
2. नागरकोइल
3. करायकुडी
4. विरधुनगर
5. इरोद और पोरेवार
6. कुड्डालोर (दक्षिण अरकाट)
7. चिंगलपेट
8. चिदम्बरानार
9. नीलगिरि
10. तिरुनेलवेली
11. वेल्लूर (उत्तर अरकाट)
12. धर्मपुरी

इन समितियों का गठन शीघ्र होने की संभावना है।

दिल्ली और अन्य नगरों के बीच एस. टी. डी. सुविधा

*279. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने नगर एस. टी. डी. के माध्यम से दिल्ली से जोड़े जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कुछ और अधिक नगरों के बीच एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या है जिन्हें अगले दो वर्षों के दौरान दिल्ली के साथ एस. टी. डी. से जोड़ा जाएगा; और

(घ) इस पर कितना खर्चा आयेगा ?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) 677 शहर एस. टी. डी. द्वारा दिल्ली के साथ पहले ही जुड़े हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान एस. टी. डी. द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने वाले प्रस्तावित 300 शहरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई राशि आबंटित नहीं है।

विवरण

आगामी दो वर्षों के दौरान एस. टी. डी. के जरिये दिल्ली के साथ जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नगरों के नाम।

ए. अलांग, अनिनी, अमलापुरम, अंधीवीडू, अंतिली, औरंगाबाद अतुल, एंकलेश्वर, अंजार, अनन्तनाग, अरसेकेरा, अम्बलपेरा, अलीबाग अरकंदामालूर, आजमगढ़, अमेठी, अरंकादनलूर,

बी. बीरमहिला, बारपेटा शहर, भदराचलम, भोंगिरी, बिहारशरीफ, भुज, बौला, बोटड, भड़ोच, बिलासपुर, बदगांव, बिदानूर, बेतुल. बालाघाट, भण्डारा, भीड, बुलढाना, बसिन बरसी, बिसनपुर, भवानीपटना, बोलनागर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बलिया, बहराइच, बाराबंकी, बालुरघाट, बांकुरा, बरहामपुर,

सी. चन्द्रपुर, चेरला, चापी, चिखली, चम्बा, चित्तूर (पी. ओ. टी.), चेलारी, चिंगाला, छिंदवाड़ा, छत्तरपुर, चन्देल, चगराचांसपुर, चुरु, चित्तौड़गढ़, कुद्दालोर, चेन्नीमलाई, क्वारटलम, चमोली, कार निकोबार, कंठई,

डी. जेपारिजी, धर्मावरम्, दिफू, धुमका, डुंगरी, डबवाली, डोडा, दमोह, दमनजोडी, डूंगरपुर, देवरिया, देवबंध, दिव, देवाकोट्टई,

ई. इलाथुर,

एफ. फर्रुखाबाद, फाल्टा,

जी. गोलपाड़ा, गोलाघाट, गुट्टू, गोदावरीखानी, गढ़्वार, गोपालगंज, गोड्डा, गुमला, गोण्डल, गामदेवी, गुलबर्गा, गंगावती. गौरी बिदानुर, गुना, गोंदिया, गड चिरोली, गुरदास पुर, गोरायांपुर, गेजिंग, गाजीपुर, गोंडा,

एच. हिम्मतनगर, हमीरपुर, हरदोई, हरिद्वार, हलोल, होडल, हसकोट, हरिपद,

आई. इछलकरंजी,

जे. जहानाबाद, जडकेरला, जींद, झबुआ, जटनी, जालौर, जैसलमेर झालावाड़, झुनझुनू, झांसी, जलपाईगुड़ी, जामखण्डी,

के. खोंसा, कोडाड, करीमगंज, कोकराझार, कागजगढ़, कोंठाकोटा, काबूर (आर.एम.वाई.), खगरिया, कटरासगढ़. कोटिनार, कुरुक्षेत्र, कैथल, कॅगरी, कुंण्टा, काम्पली, कोंम्के, कल्पा, केलोंग, कुल्लू, कठुआ, कारगिल, कुपवाड़ा, कासरगोड, कंजीरापल्ली, कुनामंगलम, कुन्नापल्ली, कोंडोट्टई, कन्यापुरम, कोण्डासन कडावू, कठेट्टूकुलम, खरगांव, कटनी, खामगांव, खोपोली, कुडाल, कैलाशहर, केयालपाट्निम, कृष्णागिरि, कल्लाकुरिची, कावगंज, कासगंज, कन्नौज, खुर्जा, कुरसियोंग,

एल. लखीमपुर, लोहारडगा, लोयाबाद. लेह, लातुर, खुर्जा, लोनावाला,

एम. मनचेरियल, मावर, मदनापुरस, मेटला, मंगलडोई, माधीपुरा, महमदाबाद, मोवसा, मानवधर, मण्डी, मण्डियां, मवेलीकारा, मंजेश्वर, मंडूर, मुल्लानकुण्ठुकावू, मंडाला, मण्डीदीप, मापूसे, मोन, मकोकचुंग, मोगन मनारपरई, मैलुर, मैटुरवम, मडलायमंजन, मेमैरी, माहे, मालेगांव,

एन. नलबाड़ी, नौगांव, नरसापुर, नन्दपेटा, नन्देसारी, नारनौल, नरवाना, नरसिंहपुर, नंगस्टोइन। नया बाजार. नंगूनेरी, नरेन्द्र नगर,

पी. पासीघाट, पुत्तूर, पोनूर, पीथापुरम, पदरा, पलवल, परवानू, पुलवामी, पारापंगगोडी, पम्पेडो, पोंकूनम, पन्ना, परभनी, फेक, पिलानी, पूंछ, पातालगंगा, पल्टन, पोण्डा,

क्यू. क्विलांडी

आर. राजौरी, रवकवी, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, राजनन्दगांव. रतनगिरि, रोपड़, राधाकिशोरपुर, रुद्रपुर,

एस. सिप्पा, श्रीकलाहस्ती, सिरपुर, सिद्दिपेट, सहरसा, सीतामढ़ी, साहेबगंज समालका, सकलेशपुर, सहडोल, शाहजहांपुर. सिद्धि. शिवपुरी, सतारा, सेहा, सेनापति. सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, सोलन, शकर नगर,

टी. तेजू, तवांग, तेजपुर, तिप्तुर, त्रिकारपुर, टीकमगढ़, तारापुर, तुमसर तमेनलोंग, थुबल, त्येनसांग, टोंक, त्रिचेन्दूर कुकाले,

यू. ऊना, उखरूल, उत्तरकाशी, उदमी कंचन, उप्पाला,

बी. वसाड, वापी, बेडाकोंडेरी, वलपाड, वृद्धाचलम, वरपाला, विक्रमसिंहपुरम

डब्ल्यू. विलियम नगर, वोखा,

वाई. येरागुण्टला, येरकाड,

जेड. जीरो, जन्हेवोटो।

कच्चे तेल पर रायल्टी

[हिन्दी]

*280. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और गुजरात सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने राज्यों में उत्पादित कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली रायल्टी की दर में 1 अप्रैल, 1987 से वृद्धि करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और तेल उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा; और

(ङ) इन राज्यों में उत्पादित कच्चे तेल पर संबंधित राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) गुजरात और असम की सरकारों ने एक अप्रैल 1987 से कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी की दर को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है।

(ख) से (घ) इस समय यह कहना संभव नहीं है कि कब तक निर्णय किया जायेगा।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और/या आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को कच्चे तेल के उत्पादन पर दी गई रायल्टी की राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	132.70*	85.90	94 43
2.	असम	87.00*	166.30*	96.00

1	2	3	4	5
3.	नागालैंड**	2.54*	2.04	1.64
4.	तमिलनाडु	0.01	0.11	0.23
5.	अरुणाचल प्रदेश	0.37	2.53*	0.69
6.	आंध्र प्रदेश (लाख रुपये)	—	0.36	3.21

*1.4 1984 से रायल्टी की दर में संशोधन के फलस्वरूप देय रायल्टी शामिल है।

**नागालैंड को रायल्टी नहीं दी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अदायगी करने के लिए ओ. एन. जी. सी. को लेखाशीर्ष के बारे में सूचना नहीं दी है।

उड़ीसा में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र

[अनुवाद]

*281. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा उड़ीसा में कितने वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक प्रसारण केन्द्र की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए वर्ष 1989-90 हेतु बनाई गई योजना और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) उड़ीसा के कटक नगर में इस समय 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर वाला एक वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र कार्यरत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

*282 श्री राम सूचन पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उत्तर प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने के लिए उक्त राज्य में विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल फरवरी, 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश में 10.7% ऊर्जा की कमी थी।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य क्षेत्र में 1794 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है। इसमें से अब तक 1061.2 मेगवाट की क्षमता जोड़ी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी उत्तर प्रदेश को अपना हिस्सा प्राप्त होगा। पनकी, ओबरा और हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से इन केन्द्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

कर्नाटक में विद्युत संकट

[अनुवाद]

*283. श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विद्युत संकट व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्य को विद्युत संकट से उबारने के अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल, 1988 फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान कर्नाटक में विद्युत की कमी 27.1% थी जिसका कारण राज्य के विद्युत केन्द्रों द्वारा की गई सप्लाई की तुलना में विद्युत की मांग काफी अधिक होना था उक्त कमी को केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से सप्लाई करके पूरा किया गया।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं नई क्षमता शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से इष्टतम उत्पादन प्राप्त करना, पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी करना और ऊर्जा संरक्षण तथा मांग-प्रबंध संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों की विद्युत में से भी राज्य को इसका हिस्सा प्राप्त होगा। दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों तथा पड़ौसी प्रणालियों से प्राप्त होने वाली विद्युत के अनावंटित हिस्से में से भी कर्नाटक को यथासंभव सहायता प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

आकाशवाणी/दूरदर्शन पर बक्रेश्वर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए दान देने की अपील

*284. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बक्रेश्वर तापीय विद्युत संयंत्र निधि के लिए लोगों से दान देने की अपील का विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी से इस विज्ञापन के लिए मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी और विज्ञापन को मंजूरी दे देगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जहां तक ऐसे विज्ञापन का सवाल है जिसमें राज्य के विकास के लिए छोटी बचत योजना में धन जमा करने के लिए श्रोताओं से अपील की गई है, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ने उसे स्वीकार किया है। तथापि, विज्ञापन से उस भाग को देने की अनुमति नहीं दी गई है जिसमें बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट निधि में चंदा देने के लिए सीधी-अपील की गई है क्योंकि ऐसी अपील मीडिया द्वारा इस संबंध में अपनाई जा रही स्थापित परम्परा के अनुकूल नहीं है।

प्लास्टिक निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात

[हिन्दी]

2460. **श्री आर. एम. भोये** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात किया जा रहा है तथा कितना आयात किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जैंगल राव) : इस समय प्लास्टिक के कच्चे माल की स्वदेशी उपलब्धता देश की मांग को पूर्णतः पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर मामलों में स्टाक और बिक्री के लिए प्लास्टिक का कच्चा माल सहित ओ. जी. एल. के अन्तर्गत प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है। बताया जाता है कि आयात मुख्यतः ब्राजील, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इटली कातार, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया और युगोस्लाविया से किया जाता है। आयात के यथार्थ आंकड़े स्त्रोतवार, उपलब्ध नहीं हैं।

प्रत्येक तीन मिनट बाद स्थानीय टेलीफोन कालों के लिए भुगतान

[अनुवाद]

2461. **श्री एच. बी. पाटिल** :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन कालों का समय निर्धारित है और प्रत्येक तीन मिनट के बाद एक अतिरिक्त काल के लिए भुगतान करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर उद्योग का विस्तार और आधुनिकीकरण

2462. श्री विजय एन. पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टायर निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने कारखानों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अनुमति हेतु आवेदन दिया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ इन कम्पनियों को अनुमति दे दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में तकनीकी विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1988 के दौरान विदेशी सहयोग स्वीकृतियों तथा क्षमता के विस्तार के लिए आवेदन देने वाली टायर निर्माता कम्पनियों के नामों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क. **विस्तार**

कम्पनियों का नाम

1. मै. केशोराम इंडस्ट्रीज लि.।
2. मै. फालकन टायर्स लि.।
3. मै. एम. आर. एफ. लि.।
4. मै. विक्रांत टायर्स लि.।

ख. **विदेशी सहयोग**

1. मै. बाम्बे टायर्स इण्टरनैशनल लि.।
2. मै. मोदी रबर लि.।
3. मै. एम. आर. एफ. लि.।
4. मै. सीएट टायर्स आफ इण्डिया लि.।

शाखा डाकघर खोलना

2463. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान डाक सर्किलों के मुख्य डाकपालों ने अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके नए शाखा डाकघर खोले हैं और विद्यमान कर्मचारियों में से ही वहां कर्मचारी तैनात किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सर्किलवार खोले गए इन डाकघरों का ब्यौरा क्या है और ये किस-किस जिले में किस-किस तारीख से खोले गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पोस्टमास्टर जनरल हरियाणा सर्किल द्वारा दिनांक 27-1-1989 को गुडिया खेड़ा (जिला सिरसा) में एक नया शाखा डाकघर खोला गया था। वैसे पदों के पुनः वितरण की योजना, जिसे 1986 में थोड़े समय के लिए और 1988 में पुनः शुरू किया गया था वह सामान्यतया अतिरिक्त विभागीय पदों पर लागू नहीं होती।

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत

2464. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोधन और दुलाई सहित पेट्रोल की प्रतिलिटर उत्पादन लागत और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति टन उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रयोक्ताओं से इन उत्पादों की उत्पादन लागत का दुगुने से भी अधिक मूल्य वसूल किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) भण्डारण पाइन्ट पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं ताकि कुछ उत्पाद जैसे मिट्टी का तेल और घरेलु प्रयोग के लिए एल. पी. जी. उर्वरक, प्रयोग के लिए नैफ्था, एल. एन. एच. एस. और मिट्टी के तेल पर आंशिक सहायता दी जाए। तथा पेट्रोल जैसे अन्य उत्पादों की कीमतें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि इनका उपयोग किफायती और कुशलतापूर्वक हो। बिक्री कीमत में भण्डार पाइन्ट पर इसकी कीमत के अतिरिक्त लागू होने वाला भाड़ा, डीलर की कमिशन स्थानीय शुल्क आदि शामिल होते हैं।

विवरण

पेट्रोल सहित चुनिन्दे पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में उत्पादन लागत में विपणन लागत मार्जिन भरण प्रभार और अन्य प्रभार शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं :—

उत्पाद	उत्पादन की लागत (उपर्युक्त सम्बन्धित) रुपये/एस. यू	
पेट्रोल (एम एस 87)	4801. 99 कि. लि.	या 4.80 प्रति लिटर
डीजल (एच एस डी ओ)	3074. 03 कि. लि.	या 3719. 58 मि. टन.
केरोसीन (एस के ओ)	3035. 91 कि. लि.	या 3901. I4 मि. टन)
एफ. ओ.	2251. 05 कि. लि.	या 2410. 87 मि. टन) उत्पाद शुल्क को छोड़कर जो अन्तिम प्रयोग पर निर्भर करती है)
नैफ्था		3033, 57 मि. टन
एल पी जी (पैक्ड इन सिलेंडर)		4949. 29 मि. टन
एल पी जी (बल्क)		3981. 29 मि. टन
एल एस एच एस		2109. 89 मि. टन (उत्पाद शुल्क को छोड़कर जो अन्तिम प्रयोग पर निर्भर करती है

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गैस की मांग

2465. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस्तेमाल के लिये बम्बई हाई से और अधिक मात्रा में गैस की सप्लाई करने की मांग पुनः दोहरायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सुबन्धी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र को और अधिक गैस की सप्लाई करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां तो तत्सन्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बहु दत्त): (क) से (घ) विभिन्न परियोजनाओं जैसे बिजली, स्पंज आयरन आदि तथा घरेलु सप्लाई के लिए गैस के आवंटन के वास्ते महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन गैस देने के लिए वचन दिए गए हैं।

(घ) गैस की वर्तमान उपलब्धता तथा दिए गए वचनों को देखते हुए इस समय और वचन देना सम्भव नहीं है।

तेल की खोज में संलग्न विदेशी विशेषज्ञ

2466. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय तेल की खोज के कार्य में संलग्न विशेषज्ञों को किन-किन देशों से बुलाया गया है और वे कब से तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनके कार्यभार तथा कार्यावधि की शर्तें क्या हैं तथा उन्हें वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड की उच्च औद्योगिक के क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए विदेशी कम्पनियों की सेवाएं प्राप्त कर रही हैं, ये कम्पनियां विभिन्न देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, पौलेण्ड, सिंगापुर की हैं तथा तेल क्षेत्र संबंधी विभिन्न सेवाएं देती हैं जिनमें किराये भाड़े पर जैकअप रिगों; ड्रिलशिपों सेमी-सबमर्सिबल, लैंड रिगों, इलैक्ट्रोलोगिंग, सीमेंटिंग सेवाएं देना अपतटीय/तटवर्ती भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त करने संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इन सेवाओं पर वर्ष 1987-88 के दौरान 242.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। विदेशी विशेषज्ञों की अधिक संख्या को देखते हुए सभी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

राउरकेला में केप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापना

2467. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डस्ट्रियल प्रमोशन एन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने उड़ीसा में राउरकेला में "कैप्रोलेक्टम" परियोजना की स्थापना की मंजूरी देने हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है, और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उस परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जायेगी।

उद्योग मंत्री (श्री जे. बैंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रकार की परियोजना पर निर्णय तकनीकी- आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं।

मूल पदार्थों से औषधियों का उत्पादन

2468. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मामलों में मूल पदार्थों से औषधियों का उत्पादन इन्टरमीडिएट से औषधियों के उत्पादन की तुलना में महंगा पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या देश में ऐसे कई औषधों का उत्पादन मूल पदार्थों से किया जाता है जिनका मूल्य इण्टरमीडिएट तैयार किए गए औषधों की तुलना में कम होता है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री के. वेंगल राव): (क) से (घ) बड़ी संख्या में प्रपुंज औषधों का निर्माण मूल स्तर से किया जा रहा है, किन्तु कुछ मामलों में कच्चे माल, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आदि की अनुपलब्धता जैसे कारणों से उत्पादन मध्यवर्ती स्तर से किया जाता है। उत्पादन लागत अनेक परिवर्तनशील बातों जैसे कच्चे माल की कीमत, ऊर्जा-लागत प्रौद्योगिकी की कार्यकुशलता, शुल्क ढांचा आदि पर निर्भर करती है। तथापि, प्रारम्भिक अवस्था से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क तंत्र का उपयोग किया जा रहा है।

ग्रामीण समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

2469. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण समाचार पत्रों के प्रकाशन तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में कुल कितने समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे; और

(घ) इनमें ग्रामीण समाचार पत्रों की प्रतिशतता कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) ग्रामीण समाचारपत्रों के प्रकाशन और विकास हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशिष्ट योजना अथवा प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 1 जनवरी, 1989 को भारत के समाचार पत्र के पंजीयक के यहां 28,555 समाचार पत्र और पत्रिकायें पंजीकृत थीं।

(घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, समाचार पत्रों की कुल संख्या के लगभग 25 प्रतिशत समाचार पत्र एक लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानों से प्रकाशित होते हैं।

पालिस्टर का उत्पादन

2470. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पालिस्टर निर्माता एककों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एकक में पालिस्टर के धागे का वार्षिक उत्पादन कितना होता है,

(ख) पालिस्टर के उत्पादन के लिए देश में निर्मित कच्चे माल का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या पी टी ए और डी एम टी के कच्चे माल का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश में मांग को पूरा करने हेतु स्वदेशी पी टी ए के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) प्रमुख एककों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान पालिस्टर फिलामेंट यार्न का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ख) पालिस्टर के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल जिसका उत्पादन देश में भी किया जाता है, डी एम टी, पी टी ए और एम ई जी है।

(ग) इस समय डी एम टी की स्वदेशी उपलब्धता में थोड़ी सी कमी है, जिसे आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) भावी मांग पूरी करने के लिए पी टी ए के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताएं स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

क्रम सं	एकक का नाम	1987-88 के दौरान उत्पादन (टन में लगभग)
1.	बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि.	1,040
2.	सैंचुरी इंका लि.	14,870
3.	गरवारा नायलोन लि.	2,790
4.	हरियाणा पेट्रो केमिकल्स लि.	2,670
5.	इन्डियन आर्गेनिक केमि. लि.	2,690
6.	जे. जे. सिन्थेटिक्स लि.	16,690
7.	मोदीपोन लि.	2,600
8.	निरलोन सिन्थेटिक्स एण्ड केमि. लि.	2,870
9.	आर्क सिल्क मिल्स लि.	8,270
10.	पेरससरम पुरिया सिन्थेटिक्स लि.	2,070
11.	पेट्रोफिल्स कोप. लि.	9,040
12.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि.	41,870
13.	श्री सिन्थेटिक्स लि.	4,170

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

2471. श्री विष्णु मोदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए है और प्रत्येक केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रण. के. पूल. भगत) : 1.4.87 से 13.3.89 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सुविधायें आरंभ की गई;

दूरदर्शन

(1) टी. वी. स्टूडियो केन्द्र	2
(2) अन्तरित टी. वी. स्टूडियो की सुविधाओं के बदले स्थायी व्यवस्था करना	3
(3) केन्द्रीय निर्माण केन्द्र 2 स्टूडियो के साथ	1
(4) अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से बदलना	5
(5) 2×10 किलोवाट टी. वी. ट्रांसमीटर	1
(6) दूसरे चैनल पर सेवा के लिए उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर	2
(7) दूसरी चैनल सेवा के लिए 1 किलोवाट टी. वी. ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट टी. वी. ट्रांसमीटर से बदलना	2
(8) 1 किलोवाट टी. वी. ट्रांसमीटर को पुनः आरंभ करना (पिज में)	1
(9) अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	108

आकाशवाणी

1. नये रेडियो स्टेशन	1
2. नागपुर में राष्ट्रीय चैनल के लिए 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर	1

उपर्युक्त टी. वी. ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने से, 1.29 लाख वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र टी. वी. कवरेज में आ गया है ।

जहां तक आकाशवाणी का प्रश्न है, तीन नये रेडियो स्टेशनों द्वारा कवर क्षेत्र लगभग

41,200 वर्ग किलोमीटर है । राष्ट्रीय चैनल द्वारा कवर क्षेत्र लगभग 16,13,300 वर्ग किलोमीटर है ।

गांवों का विद्युतीकरण

2472 श्री अजय बिश्वास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी था; और

(ख) वर्ष 1989 में राज्यवार कितने गावों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 31.12.1988 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवो की संख्या और चालू वर्ष (1988-89) के दौरान विद्युतीकृत किए जाने हेतु लक्षित गाँवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

31.12.1988 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों और 1988-89 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने हेतु लक्षित गांवों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.12.88 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या	वर्ष 1988-89 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	768	500
2.	अरुणाचल प्रदेश	2162	70
3.	असम	3798	2155
4.	बिहार	25489	3342
5.	गोवा	(*)	40 (बाडास)
6.	गुजरात	3	(**)
7.	हरियाणा	(*)	कुछ नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	(*)	कुछ नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	442	120
10.	कर्नाटक	599	(—*×)
11.	केरल	(—×)	कुछ नहीं
12.	मध्य प्रदेश	17687	3000

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	885	500
14.	मणिपुर	1078	118
15.	मेघालय	3080	200
16.	मिजोरम	457	55
17.	नागालैण्ड	15	10
18.	उड़ीसा	18102	1222
19.	पंजाब	(*)	कुछ नहीं
20.	राजस्थान	11228	942
21.	सिक्किम	117	30
22.	तमिलनाडु	20	(**)
23.	त्रिपुरा	2352 (†)	160
24.	उत्तर प्रदेश	35879	2750
25.	पं. बंगाल	14086	1850
	जोड़ (राज्य)	138247	17064
	जोड़ (संघ राज्य)	48	उपलब्ध नहीं
	जोड़ (अखिल भारत)	138295	17064

(†) 1971 की जनगणना के अनुसार ।

(*) गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही प्राप्त कर लिया गया है ।

(**) योजना आयोग द्वारा गूजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

त्रिवेन्द्रम जिले में एस. टी. डी. सुविधा

2473. श्री ए. चार्ल्स : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम जिले में किन-किन स्थानों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ दिया गया है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस जिले के किन-किन स्थानों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस अवधि के दौरान जिले में किन-किन स्थानों पर एस. टी. डी. सार्वजनिक टेली-फोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में निम्नलिखित पांच स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा पहले ही उपलब्ध है :—

1. त्रिवेन्द्रम, 2. अट्टीगल, 3. वेंजुमंगड, 4. नयाट्टीकारा, 5. विझींजम ।

(ख) त्रिवेन्द्रम जिले अर्थात् वरकाला और कन्यापुरम नामक दो स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा सातवीं योजना के शेष अवधि के दौरान उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है ।

(ग) त्रिवेन्द्रम जिले के निम्नलिखित चार स्थानों पर एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है :—

1. बल्लानाड	2. चिरायाइन्किल
3. कल्लम्बलम	4. वेंजारमूडु ।

एनिलीन तेल का उत्पादन

2474. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एनिलीन तेल के निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की कमी को पूरा करने हेतु एनिलीन तेल के उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) देश में एनिलीन के मुख्य विनिर्माता मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. है, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है । मै. धनबाद केमिकल्स जो लघु उद्योग एकक है, एनिलीन के दूसरे विनिर्माता हैं ।

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान एनिलीन का उत्पादन क्रमशः 11,200 मी. टन, 11,700 मी. टन और 12,600 मी. टन के लगभग था ।

(ग) मे. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. को एनिलीन के निर्माण हेतु अपनी क्षमता का विस्तार करने हेतु हाल ही में एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

(घ) वर्ष 1988-89 की तीसरी तिमाही के दौरान मुख्यतः बैंजीन की अस्थायी कमी और मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के संयंत्र में तकनीकी समस्याओं के कारण एनिलीन की अस्थाई कमी हुई थी । एनिलीन के उत्पादन में कमी को आयात की अनुमति देकर पूरा किया जा रहा है ।

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा बिजली की खपत

2475. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि, उद्योग, परिवहन तथा परिवार जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा बिजली की खपत के तरीके में असमानता होने का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिजली की खपत के अनुसार प्रभार लेने का विचार है; और

(ग) क्या किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में बिजली की खपत के लिए विद्यमान दर में कमी की जाती है और यदि हां, तो कितनी कमी की जाती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1985-86 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान कृषि, उद्योग, रेलवे, घरेलू खपत आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में अखिल भारत औसत विद्युत उपभोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) घरेलू क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में टैरिफ, विद्युत उत्पादन तथा इसकी सप्लाई की लागत से काफी कम है। 1987-88 में औसत घरेलू तथा कृषि टैरिफ क्रमश: 54 पैसे/यूनिट तथा 15 पैसे/यूनिट थे जबकि विद्युत उत्पादन की अखिल भारत औसत लागत 84 पैसे/यूनिट थी। विद्युत टैरिफ में परिवर्तन, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान बिजली की खपत का वर्गवार ब्यौरा

(मिलियन यूनिट में)

श्रेणी	1985-86	1986-87*	1987-88
घरेलू	17257.83	19268.58	21498.23
वाणिज्यिक	7298.10	7965..94	8753.77
औद्योगिक	68980.86	71495.87	71361.48
विद्युत सार्वजनिक रोशनी	1895.81	1213.76	1248.98
रेलवे/ट्रामवेज	3882.14	3251.51	3698.98
कृषि	23421.97	28217.50	34813.93
सार्वजनिक जल कार्य और			
सीवेज पम्पिंग	2106.31	2394.51	2681.48
विविध	1765.12	2273.42	2129.48
जोड़	122999.34	136081.09	146205.81

* अनन्तिम

जलधारा योजना

2476. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए बनाई गई "जलधारा" योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के सीमांत किसानों की सहायता करने की दृष्टि से ऐसे किसानों को अनुदान और ऋण की संयुक्त सुविधा के जरिए सिंचाई प्रयोजन के लिए बिजली के पम्पसेट उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 1988-89 के दौरान "जलधारा" नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। इस स्कीम के 1989-90 तक पूरा हो जाने की अवधि में लगभग 50,000 किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जलधारा स्कीम के अन्तर्गत आई. एस. आई. मार्का ऊर्जा दक्ष बिजली के पम्पसैट प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

पश्चिम बंगाल में दुर्गाचक के लिए एस. टी. डी. सुविधा

2477. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया टेलीफोन एक्सचेंज से दुर्गाचक के लिए एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) दुर्गाचक एक्सचेंज में एस. टी. डी. सुविधा का विस्तार करने के लिए बड़े गेज के केबिल/पी.सी.एम. प्रणालियों को चालू किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक के उत्पादन हेतु प्लास्टिक के कच्चे माल की सप्लाई

[हिन्दी]

2478. **श्री राज करण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन द्वारा देश में उत्पादित प्लास्टिक के लिए उपयोग

में आने वाले कच्चे माल की कितनी मात्रा की सप्लाई की जाती है और कितनी मात्रा में कच्चे माल का आयात किया जाता है;

(ख) क्या इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने प्लास्टिक की निरन्तर बढ़ती हुई मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले और अगले पांच वर्षों में प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए कच्चे माल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(घ) इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस कच्चे माल के वितरण के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है और इस प्रयोजना के लिए नियुक्त किए गए एजेंटों/वितरकों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है,

(ङ) इस माल का कोटा मंजूर किए जाने हेतु क्या मापदंड अपनाए जाते हैं, और

(च) उपभोक्ताओं को कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में और समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान इन्डियन पेट्रो कमिकल्स कारपोरेशन लि. (आईपीसीएल) का लो डेंसिटि पालिएथिलीन (एलडीपीई), पालिविनाइल क्लोराइड, पीवीसी और पालिप्रापिलीन (पीपी) का उत्पादन क्रमश. 80,000 मी. टन. 44,000 मी. टन और 40,000 मी. टनके लगभग होने का अनुमान है। आयात के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने पेट्रो-रसायन उद्योग की परिप्रेक्ष्य योजना के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी जिसने वर्ष 1994-95 के लिए एलडीपीई, पीवीसी और पीपी की मांग क्रमश: 4,02,000 मी. टन, 4,85,000 मी. टन और 2,86,000 मी. टन होने का अनुमान लगाया है।

(घ) से (च) आईपीसीएल के अधिकतर प्लास्टिक उत्पादों की आपूर्ति गत समय में की गई कुल खरीद के मानदण्ड के आधार पर की जा रही है। नए एककों की आवश्यकता पूर्ति के अलावा कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों/उपभोगों और सूखा, राहत, बाढ़ राहत, आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये भी माल की आपूर्ति की जाती है। आईपीसीएल के प्लास्टिक उत्पादों की अधिकतर मात्रा की बिक्री कन्साइनमैंट स्टाकिस्टों सारे देश में फैले वितरकों के माध्यम से की जाती है। चूंकि देश की मांग उत्पादन से अधिक है अतः सरकार ने ओजीएल के अन्तर्गत प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात की अनुमति दी है।

दक्षिणी क्षेत्र में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन

(अनुवाद)

2479. श्रीमती एन्नलेक्ष्मी अन्नंया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में कच्चे पेट्रोलियम का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ख) उक्त क्षेत्र में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)

(क) सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	कूड आयल का उत्पादन (हजार टन)
1986-87	5.7
1987-88	13.7
1988-89 (अनुमानित)	25.0

(ख) दक्षिणी क्षेत्र से 1989-90 के अन्त तक 2.00 लाख टन तेल के उत्पादन को प्राप्त करने की योजना है। आठवीं योजना के आरम्भिक वर्षों में कृष्णा-गोदावरी बेसिन और कावेरी अपतटीय बेसिन में एक-एक स्थान पर उत्पादन आरम्भ करके उत्पादन को बढ़ाने की योजनाएं हैं।

दानकुनी कोल कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट से गैस का उत्पादन

2480 श्री अनन्त कुमार मण्डल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दानकुनी कोल कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद, प्रति दिन कितनी गैस का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ख) क्या ऊर्जा की बचत करने वाली कोई ऐसी ऊर्जा बचत योजनाएं बनाई गई हैं अथवा बनाई जा रही हैं जिनसे दानकुनी कोल कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् ऊर्जा की बचत की जा सके;

(ग) यदि हां', तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) यदि नहीं', तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी-के जाफर शरीफ) : (क) दनकुनी कोयला कम्प्लेक्स परियोजना पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिति में आने पर प्रतिदिन लगभग 18 से 20 मि. क्यूबिक फुट गैस का उत्पादन करने लगेगी।

(ख) और (ग) : पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा आयोजित की गई ऊर्जा लेखा-परीक्षा के बाद कुछ कदम उठाए गए, जैसे गैर आयात-कालीन भार से आयात-कालीन भार का "वियोजन किया जाना और उच्च रेटिंग मोटरों के लिए स्टार-डेल्टा स्टार्टर" उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित कदमों को पहले ही उठा लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर

2481. **श्री मोहम्मद अयूब ख़ां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में ऊधमपुर जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के डाकघरों में जनता को आम डाक सुविधायें भी उपलब्ध न होने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) क्या इन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें उपलब्ध हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री गिरिधर गोमांगो : (क) जम्मू तथा कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघर जनता को वही सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसा कि अन्य क्षेत्रों के डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। वैसे, इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें, यदि कोई हों, एकत्र की जा रही हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल. डी. पी. ई. के मूल्यों में वृद्धि

2482. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) ने पिछले दो वर्षों के दौरान लो-डेनसिटी पोलिथिलिन (एलडीपीई) के विभिन्न ग्रेडों के मूल्यों में अनेक बार वृद्धि की है।

(ख) यदि हां तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के अपने उत्पादों और उसी ग्रेड के राज्य सहायता प्राप्त आयातित एलडीपीई के मूल्यों में ग्रेडवार कितनी वृद्धि की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे बेंगल राव (क) से (ग) इन्डियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) की अपने ही एलडीपीई की कीमत 1.5.1986 को 21, 300 रुपए प्रति मि. टन का निर्धारित की गई थी जिसे 1.4.1988 को संशोधित करके 26,300 रुपए प्रति मी. टन किया गया था। दो वर्षों की अवधि के दौरान यह वृद्धि अन्तर्वस्तुओं बिक्री कर आदि में वृद्धि के कारण हुई थी। सामान्य उद्देश्य श्रेणी के लिये पूलित मूल्य 1987 में 27,000 रुपए प्रति मि. टन. निर्धारित किया गया था और अक्तूबर, 1988 में वह 33, 100 रुपए प्रति मी. टन था। आई-पीसीएल ग्राहकों को स्वदेशी एवं आयातित एलडीपीई की आपूर्ति पूलित मूल्य पर करता है जिसे

आयात की अवतरित लागत के आधार पर सक्षम-सक्षम पर समंजित किया जाता है। तथापि दिसम्बर, 1980 में पूलित मूल्य में प्रति कि. ग्रा. 3 रुपए की कमी की गई थी।

केन्द्रीय राज्य सहायता सुविधाएं

2483 : श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ए" श्रेणी के "उद्योग विहीन" जिलों में गैर-निर्माता एककों को मिल रही राज्य सहायता सुविधाएं हाल ही में समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को समाप्त करने के आदेश से कितने एकक प्रभावित हुये हैं; और

(ग) डी. आई. सी. बीडर में केन्द्रीय राज्य सहायता के लिए कितने एकक पहले से ही पंजीकृत हैं ?

उद्योग मन्त्रालयक में औद्योगि विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता किसी भी क्षेत्र में स्थित (श्रेणी "क" जिलों के लिए ही आवश्यक नहीं) "गैर-निर्माता एककों" के लिए समाप्त कर दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती।

गैर सरकारी डिश्क एन्टीनाओं के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक

[हिन्दी]

2384. श्री दिलीप सिंह भूरिया

श्री शान्ति धारीवाल

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न न्यायालयों द्वारा डिस्ट-एन्टीनाओं के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन रिले केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या के कारण ऐसे डिश्क एन्टीनाओं का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

जीवन रक्षक औषधियों का उपलब्ध न होना

[अनुवाद]

2485. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी जीवन रक्षक औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, और

(ख) बाजार में इन औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राज्य औषध नियंत्रकों की रिपोर्टों के आधार पर सभी प्रमुख जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता को नियमित रूप से मानीटर करता है। जहां तक जानकारी उपलब्ध है, उपलब्धता की समग्र स्थिति सन्तोषजनक है।

कोल इण्डिया लि. के लिए कनाडा से सहायता

2486. **श्री वी. कृष्ण राव** :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री एस. एम. पुरड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने कोयला खानों के विकास हेतु कोल इण्डिया लि. के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इण्डिया लिमिटेड और कनाडा की निर्यात विकास निगम के बीच 31 जनवरी, 1989 को 166 मिलियन कनाडायी डालर का एक ऋण करार निष्पादित किया गया। यह ऋण नवम्बर, 1988 में सरकार द्वारा स्वीकृत राजमहल ओपन कास्ट विस्तार परियोजना के लिए कनाडा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए किया गया है। इस ऋण की मुख्य शर्तें नीचे दी गई हैं :

	ट्रांचे-क	ट्रांचे-ख
(1) ऋण की राशि (कनाडायी डालर में)	119.52 मिलियन	46.48 मिलियन
(2) ब्याज की दर	8.3%	शून्य
(3) छूट के वर्ष	6	10
(4) प्रतिसंदाय वर्ष	10	40

कोल इण्डिया के इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से संयुक्त दूर संचार परियोजना

2487. **श्री के प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से देश में संयुक्त क्षेत्र मे एक दूरसचार परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए 14 पार्टियों को मांग-पत्र जारी किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। दूरसचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए 4 पार्टियों द्वारा भेजे गए आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों के साथ सहयोग कर रही पार्टियों की सूची

क्रम सं.	पार्टी का नाम	मद, जिसका विनिर्माण किया जाना है	विदेशी सहयोगी कम्पनी का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लि.	लंबी दूरी वाले संचार उपस्कर	मैसर्स हैरिस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	
2.	मैसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन लि.	ग्रुप ट्रांसलेटर	मैसर्स वेस्टर्न मल्टीप्लेक्स कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	
3.	मैसर्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	दुतरफा रेडियो संचार एवं संबद्ध उपस्कर	मैसर्स पावसेम इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	
4.	मैसर्स ए. पी. ई. एस. अरविन्द कम्यूनिकेशन्स लि.	सीधी दो लाइनों वाली मल्टीप्लेक्स प्रणाली	मैसर्स सीबोर टेक्नालाजीज इन्क संयुक्त राज्य अमेरिका	
5.	मैसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि.	ट्रांस मल्टीप्लेक्सर	मैसर्स ग्रेंचर एसोसिएट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका	
6.	मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड	माइक्रो वेव-केन्द्र	मैसर्स इक्वेटोरियल कम्युनिकेशन्स कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका	

1	2	3	4	5
7.	मैसर्स जी. सी. एल.	ईको कान्सलीलर्स	मैसर्स एम./ए. काम टेलीकम्यूनिकेशन, लि. संयुक्त राज्य अमेरिका।	
8.	मैसर्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	8 चैनल वाली एनालाग उपभोक्ता कैरियर प्रणाली	मैसर्स आम्प्टिलिक इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	
9.	मैसर्स बी. पी. एल. सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पी. एल. सी. सी. उपस्कर	मैसर्स डाउटी आर. एफ. सी. इन्क. इन्क संयुक्त राज्य, अमेरिका	
;0.	मैसर्स बी. सी. ई. एल.	कम क्षमता और कम लागत वाले उपग्रह संचार उपस्कर	मैसर्स स्कार्ड सिस्टम, संयुक्त राज्य अमेरिका	
11.	आ. ई. बी. [illegible]	एफ. डी. एम. ए. रेडियो रिले उपस्कर	मैसर्स ग्रैंजर एसोसियेट्स इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	
		पे-टेलीफोन	मैसर्स-डे-लाइन कम्यूनिकेशन्स सिस्टम लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका	
12.	हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि.	उपभोक्ता कैरियर सिस्टम	मैसर्स सिसकोर टेक्नालाजीज, सं. रा. अमेरिका	
13.	मैसर्स बी. एस. ई. डी. सी. लि.	कार्ड रहित टेलीफोन्स	मैसर्स रेडियो कम्यूनिकेशन्स कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका	
14.	मैसर्स ई. सी. आई. एस.	पाइन्ट से मल्टीपाइन्ट और पाइन्ट से पाइन्ट संचार प्रणाली	मैसर्स हैरिस फरीनोन—संयुक्त राज्य अमेरिका	

विवरण-2

संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों के साथ सहयोग कर रही उन पार्टियों की सूची, जिनके आवेदन अभी विचाराधीन हैं

क्रम सं.	पार्टी का नाम	मद, जिनका विनिर्माण किया जाना है।	विदेशी सहयोगी कम्पनी का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स ई. सी. आई. एल	400 से एच. पी. ए.	मैसर्स बेरियन इन्टरनेशनल, संयुक्त राज्य अमेरिका	विचाराधीन
2.	मैसर्स एल्को फोन्स	कार्ड रहित टेलीफोन	मैसर्स बी. टी. ई., संयुक्त राज्य अमेरिका	—वही—
3.	श्री एस. बी. सत्यनारायण राव	पी. बी. एक्स,	एम. ए. काम, संयुक्त राज्य अमेरिका	—वही—
4.	मैसर्स ई. सी. आई. एल.	उपग्रह भू-केन्द्र एंटीना	वर्टेक्स कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	—वही—

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के दस्तकारों का ध्यान रखने के लिए ब्लाक और जिला स्तर के संगठन

2488. श्री के. रामचन्द्र रेड्डी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार खादी और ग्रामोद्योग के दस्तकारों का ध्यान रखने के लिये ब्लाक और जिला स्तर पर संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के कार्य और शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन दस्तकारों को भी यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रायोगिक तौर पर ब्लाक तथा जिला स्तर के संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव में ऐसे संगठनों को ब्लाक स्तर पर पंजीकृत करने के वास्ते उपयुक्त पद्धतियां व मॉडल संविधान का विकास करने की परिकल्पना की गयी है । इन संगठनों का उद्देश्य खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कुशलता से कार्यान्वित करना तथा दस्तकारों के सामान्य कल्याण में सुधार करने की दृष्टि से देश भर में फैले गांवों में बड़ी संख्या में व्यापक रूप से दस्तकारों को शामिल करना होगा ।

(ग) ब्लाक स्तर के दस्तकार संघों में सभी प्रकार के दस्तकारों के शामिल होने की आशा है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

खादी और ग्रामोद्योग एकक खोलना

हिन्दी

2489. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक गांव में खादी और ग्रामोद्योग एकक खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने एकक खोले जायेंगे; और

(ग) राजस्थान में इन एककों द्वारा किन व्यवसायों को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम का उद्देश्य, यदि सभी ग्रामों को अलग अलग सम्मिलित नहीं किया जा सका, तो भी भारत के यथा संभव सभी ग्रामों को सामूहिक रूप से सन् 2000 तक सम्मिलित करना है । खादी के अलावा, देश में राजस्थान सहित खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के

अन्तर्गत इस समय 60 ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जबकि पहले ऐसे ग्रामोद्योगों की संख्या 26 थी।

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद

2490. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में माण्डवी, माहुर और हिमायतनगर में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) क्या राज्य के राजमार्गों पर उपर्युक्त स्थानों के आस-पास पेट्रोल और डीजल का कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) (1) माहुर के निकटतम खुदरा बिक्री केन्द्र निवर, नांदियाड जिले में राज्य सरकार के राजमार्ग पर 48 किलोमीटर की दूरी पर है।

(2) माण्डवी के निकटतम खुदरा बिक्री केन्द्र किनवट में ही स्थित है, जो 34 किलोमीटर की दूरी पर राज्य सरकार के राजमार्ग पर है।

(3) हिमायतनगर के निकटतम खुदरा बिक्री केन्द्र हदगांव में स्थित है जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ग) और (घ) खुदरा बिक्री केन्द्र को स्थापित करने के लिए मात्रा/दूरी के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तेल उद्योग द्वारा किए गए विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1994-95 तक माहुर में मोटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल का खुदरा बिक्री केन्द्र तथा हिमायत नगर में केवल डीजल का खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना व्यवहार्य होगा। माण्डवी में इस समय और प्रत्याशित मांग तत्व वहां पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

जौनपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करना

2491. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया है,

(ख) जौनपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में कब तक परिवर्तित किया जायेगा तथा वर्ष 1989 में इस एक्सचेंज का विस्तार करने का क्या कार्यक्रम है,

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले तथा अन्य जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, और

(घ) इन जिलों में प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :(क) जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को बदला गया है उनकी संख्या-12 है ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) जौनपुर एम. ए. एक्स-11 एक्सचेंज का 200 लाइनों तक (800 से 1000 तक) विस्तार किया जा रहा है जिसके 31 मार्च, 1989 तक पूरा होने की संभावना है।

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के मामले पर आठवीं योजना में विचार किया जाएगा बशर्ते कि इलेक्ट्रानिक उपस्कर उपलब्ध हों

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं।

(घ) प्रतीक्षा सूची का कुछ हिस्सा अर्थात लगभग 40 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची वर्ष 1989-90 में निपट जाने की उम्मीद है तथा उपस्कर उपलब्ध होने पर शेष प्रतीक्षा सूची आठवीं पंचवर्षीय योजना में निपटाई जाएगी।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची:—

क्रम सं	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की किस्म और क्षमता
1	2	3
1.	बांदा	एन. ई. ए. एक्स 600 लाइनें
2.	गाजीपुर	एन. ई. ए. एक्स 600 ,,
3.	फतेहपुर	एन. ई. ए. एक्स 400 ,,
4.	सुलतानपुरी	एन. ई. ए. एक्स 600 ,,
5.	अमेठी	128 पोर्ट सी-डाट आर. ए. एक्स
6.	जगदीशपुर	128 पोर्ट सी-डाट आर. ए. एक्स
7.	मुसाफिर खाना	मिनी आई. एम. टी. 64 पोर्ट
8.	गोरीगंज	—वही—

1	2	3
9.	तिलोई	मिनी आई. एल. एस. टी 64 पोर्ट
10.	सहजनवां	—वही—
11.	पीपोगंज	—वही—
12.	सलोन	128 पोर्ट सी-डाट

विवरण 2

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	31.1.89 को प्रतीक्षा सूची आवेदकों की संख्या
1.	जौनपुर	159
2.	गोंडा	34
3.	बस्ती	43
4.	बहराइच	19
5.	सुलतानपुर	90
6.	रायबरेली	14
7,	प्रतापगढ़	46
8.	फतेहपुर	95
9.	गोरखपुर	1258
10.	बांदा	24
11.	वाराणसी	4957
12.	इलाहबाद	3363
13.	मीरजापुर	101
14.	गाजीपुर	64
15.	देवरिया	136
16.	आजमगढ़	37
17.	बलिया	50
18.	मऊ	132
19.	फैजाबाद	135

"आकाशवाणी" समूह की पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द करना

2492. राम प्यारे पनिका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आकाशवाणी" समूह की उन पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द कर दिया है जिसमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रमों की दैनिक तथा पूर्ण जानकारी प्रकाशित होती रहती थी; और

(ख) यदि हां, तो जनता को इन कार्यक्रमों के विवरण की जानकारी देने के लिए अब कौन सी नई विधि अपनाई जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए अनेक पद्धतियां अपनाई जा रही हैं । जहां तक आकाशवाणी का प्रश्न है, इसमें ट्रेलर किस्म के प्रचार सहित माइक्रोफोन प्रचार, प्रदत्त प्रचार, पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रचार तथा आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम-सार तथा प्रादेशिक-उद्घोषणा शामिल हैं । दूरदर्शन कार्यक्रमों का ब्यौरा समाचार पत्रों को दिया जाता है तथा स्क्रीन पर प्रसारित किया जाता है । दिल्ली से प्रत्येक शनिवार को एक साप्ताहिक कार्यक्रम "साप्ताहिकी" टेलीकास्ट किया जाता है ।

केरल में लघु पन-बिजली एककों की स्थापना

2493. श्री पी. जे. कुरियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य में लघु पन-बिजली एकक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राज्य सरकार 5 करोड़ रुपये तक की लागत की योजनाओं को मंजूरी दे सकती है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केरल से राज्य में लघु-पन बिजली परियोजना (अर्थात 101-2000 के. वी. क्षमता की) को लगाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

शामली-कैराना उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2494. चौधरी अख्तर हसन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शामली-कैराना (मुजफ्फर नगर) में टेलीफोन प्रणाली पुनः कार्य नहीं कर रही है,

(ख) क्या सरकार ने खामगांव में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की अनुमति दे दी है,

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वहां इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। सरकार ने खामगांव के लिए 1500 लाइन के इलेक्ट्रानिक स्ट्राउजर टाइप के एक्सचेंज की मंजूरी दे दी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कार्यकारी निदेशकों के काम

[अनुवाद]

2495. श्री महेश्वर तांती : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कार्यकारी निदेशक का पद है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। कम्पनी को यह छूट है कि वह एक पूर्णकालिक निदेशक को कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य नाम से पदनामित कर सकती है और उसे इस प्रकार के कार्य सौंप सकती है जो इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए हों।

राष्ट्रीय कोयला मजदूर वेतन समझौता-चार

2496. श्री अनिल बसु :
श्री वासुदेव आचार्य :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला मजदूर वेतन समझौता-चार पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोयला उद्योग पर संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे. बी. सी. सी. आई.) के मंच पर प्रबन्धन और मजदूर संघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी चल रही है। इस संबंध में अभी नया करार भी नहीं किया गया और इसे सरकार के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया है।

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन

2497. श्री श्री जनार्दन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस की एजेन्सी और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए किसी डीलर के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) खाना पकाने की गैस की एजेन्सी/पेट्रोल के खुदरा बिक्री के लिए, स्थान निर्धारित करने व मंजूरी जारी किए जाने के बाद, किसी डीलर का चयन करने में सामान्यतया कितना समय लगता है;

(ग) क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश में डीलरों को चयन करते समय इस प्रक्रिया को नजरअन्दाज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एल. पी. जी. और खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) के लिए वार्षिक विपणन योजनाओं में रोस्टर पर रखे गए विशिष्ट स्थानों को तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापित किया जाता है, और ऐसे विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को संबंधित तेल चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाता है जो इन्टरव्यु लेते हैं और गुणदोष के आधार पर आमतौर पर तीन उम्मीदवारों के पैनल की सिफारिश करते हैं। पैनल में पहले नम्बर पर रखे उम्मीदवार को आशय पत्र जारी किया जाता है।

(ख) इसमें उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए कोई समय निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ) उपर्युक्त में अपवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है :—

(1) जहां वितरण केन्द्र समाप्त करना हो तथा पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों के मामलों में तदर्थ आधार पर वितरक की नियुक्ति।

(2) जहां कर्मचारियों की सहकारी समितियां/विभागीय कैन्टीनों/परियोजना प्राधिकारियों को केवल उनके ही प्रयोग के लिए सीधे वितरण केन्द्र दिए जाते हैं।

(3) जहां वितरण केन्द्र अनुकम्पा के आधार पर दिए जाते हैं।

डाक और तार विभाग, नई दिल्ली में हड़ताल

[हिन्दी]

2498. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक और तार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में हुई हड़तालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या थे और प्रत्येक हड़ताल की अवधि क्या थी; और

(ग) सरकार द्वारा इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री गिरिधर गोमांगो) :

डाक विभाग

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग, नई दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में हुई हड़तालों का विवरण :

(i) 1986 और 1987 में कोई हड़ताल नहीं हुई। 1988 में निम्नलिखित हड़तालें हुईं :

(1) दिल्ली कैंट डाकघर डी. एच. क्यू डाकघर आर. के. पुरम, (मुख्य) डाकघर आर. के पुरम (VI) डाकघर करोल बाग डाकघर	: 29.1.88
(2) आर. के. पुरम (V) डाकघर सफदरजंग एन्क्लेव डाकघर	27.10.88 से 31.10.88
(3) डी. एच. क्यू. डाकघर लाजपत नगर डाकघर श्रीनिवासपुरी डाकघर	2.11.88 से 4.11.88 3.11.88 से 4.11.88
(4) मालवीय नगर डाकघर	29.12.88

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या थे और प्रत्येक हड़ताल की अवधि क्या थी; और

भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित (i) से (iii) के मामले में हड़ताल, स्थापना पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप जिन कार्यालयों में स्टाफ अधिक था, उस स्टाफ को उन कार्यालयों में नियुक्त करने के कारण हुई जहां स्टाफ की जरूरत थी। जहां तक भाग (क) के उत्तर में क्रम सं. 4 का सम्बन्ध है, कहना यह है कि वहां हड़ताल डाकघर में स्थित पोस्ट बाक्सों से पत्रों के वितरण में पाई गई अनियमितताओं के बारे में डाकघर के उप-पोस्टमास्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण हुई।

(ग) जो हड़ताल के लिए जिम्मेवार थे, सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की ?

हड़ताली कर्मचारी जितने दिन हड़ताल पर रहे, उसके लिए उन्हें कोई वेतन और भत्ता नहीं दिया गया। इस मामले में "नो वर्क नो पे" सिद्धांत का पालन किया गया।

दूर संचार विभाग

दिल्ली टेलीफोन्स

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक और तार विभागों, नई दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में हुई हड़ताल का विवरण क्या है ?

I. जे. ई. टी. ए. (एफ. एन. टी. ओ के साथ सम्बद्ध)

दि जूनियर इन्जीनियर टेलीकाम असोसियेशन (इण्डिया) ने 11.6.86 से संचार भवन और खुर्शीद लाल भवन पर नियमानुसार काम सहित प्रदर्शन किया और माननीय संचार मंत्री द्वारा उनकी शिकायतों की जांच करने का आश्वासन देने पर उन्होंने 19.8.86 को अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया।

II. ट्रंक और विशेष सेवा डिविजन

एरिया लाग डिस्टेंस के कर्मचारियों (अर्थात् महिला आपरेटर, ट्रंक और विशेष सेवा डिवीजनों में कार्यरत सुपरवाइजर (द्वारा 23.8.86 अपराह्न) से 26.8.86 की सुबह तक अनधिकृत हड़ताल की गई।

III. बी. टी. टी. यू. (बी. टी. ई. एफ. से संबद्ध)

तकनीशियनों को भारतीय फेडरेशन ने नीचे दी गई अवधि के दौरान आंदोलन किया :—

(क) नियमानुसार काम : 15.2.88 से 1.3.88

(ख) टूल-डाउन : 2.3.88 से 8.3.88

(ग) नियमानुसार काम : 26.7.88 से 12.9.88

IV. ई-III और ई-IV एम. (एफ. टी. ई. के साथ सम्बद्ध)

(ख) 7 और 8 मार्च, 1988 को टूल-डाउन हड़ताल की गई।

(ख) हड़ताल के कारण और अवधि

उक्त (क) में वर्णित प्रत्येक हड़ताल की अवधि और उसके पेरा-वार कारण निम्नानुसार हैं :—

I. जे. ई. टी. ए.

कारण :-कारण मुख्यत: चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ थे।

अवधि : 14.8.86 से 18.8.86 तक नियमानुसार काम।

II. विशेष ट्रक सेवाएं

कारण :—भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. सी. सेठी के नेतृत्व में व्यक्तियों के एक ग्रुप द्वारा 23.8.86 की सुबह-सुबह महिलाओं द्वारा संचालित ट्रंक एक्सचेंज में अनधिकृत प्रवेश के फलस्वरूप।

अवधि :—23.8.86 से 26.8.86

III. बी. टी. टी. यू.

कारण :—अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट के संशोधन और कार्यान्वयन से सम्बन्धित मांगें।

अवधि 15.2.88 से 8.3.88 और 26.7.88 से 12.9.88

IV. ई-III और ई-IV (एन. एफ. टी. ई. के साथ संबद्ध)

कारण :—बातचीत के माध्यम से संवर्ग का पुनर्गठन करने के बारे में।

अवधि :—7.3.88 से 8.3.88

(ग) हड़ताल के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियां पैरा-वार नीचे दी गई हैं :—

(i) चूंकि जूनियर टेलीकाम आफिसर चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने की अवधि के दौरान सामान्य ड्यूटी/कार्य कर रहे थे इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(ii) चूंकि स्थिति बिगड़ गई थी और एक्सचेंज में अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों को शांत करना बहुत कठिन था इसलिए किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) दूरसंचार विभाग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार ड्यूटी से अनुपस्थिति/टूल-डाउन हड़ताल की अवधि को "लीव ड्यू" के बतौर माना गया था।

(ii) महाप्रबन्धक अनुरक्षण, उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, नई दिल्ली

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हड़ताल का ब्योरा

(i) बी. टी. टी. यू. 1987-88	15.2.88 से 7.3.88 की अवधि तक पूर्ण टूल-डाउन हड़ताल। 23.2.88 से 7.3.88 तक की अवधि में सांकेतिक हड़ताल।
बी. टी. टी. यू. 1988-89	26.7.88 से 12.9.88 की अवधि तक टूल-डाउन हड़ताल
(ii) जे. ई. टी. ए. 1986-87	11.8.86 से 19.8.86 की अवधि तक नियमानुसार काम और
1987-88	26.2.87 से 20.4.87 की अवधि तक नियमानुसार काम।

(ख) हड़ताल के कारण और उसकी अवधि

	अवधि
(i) बी. टी. टी. यू. 1987-88 तकनीकी संवर्ग के वेतनमान का संशोधन	15.2.88. से 7.3.88

1988-89		26.7.88 से 12.9.88
1986-87	वेतनमान का संशोधन	11.8.86 से 19.8.86
1987-88	वेतनमान का संशोधन	26.2.87 से 20.4.87

(ग) हड़ताल के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई। हड़ताल की स्थिति में निदेशालय के अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई। मार्ग निर्देशों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई भी की गई। जहां तक बी. टी. टी. यू. की हड़ताल का संबंध है एक तकनीशियन की उसके दुर्व्यवहार के लिए 1.8.88 से 20.7.88 की अवधि के लिए निलंबित किया गया (विभागीय कार्रवाई लम्बित है)।

इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना अथवा असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

(iii) महाप्रबन्धक परियोजना, नई दिल्ली
जानकारी शून्य है।

(iv) महाप्रबन्धक रेल विद्युतीकरण परियोजना, नई दिल्ली
जानकारी शून्य है।

(v) महाप्रबन्धक उपग्रह, नई दिल्ली
(vi) चीफ इन्जीनियर (सिविल), नई दिल्ली
(vii) महाप्रबन्धक टी. एंड डी. सर्किल के अधीन कार्यालय
(viii) महाप्रबन्धक दूरसंचार मंडार, कलकत्ता के अधीन कार्यालय
} जानकारी एकत्र की जा रही है।

मयूर विहार में डाकघर खोलना

[अनुवाद]

2499. **प्रो. रामकृष्ण मोरे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "बाह्य" राजधानी क्षेत्र में विकसित हो रही अनेक नई सहकारी समूह आवास समितियों की बस्तियों में डाक वितरण तथा डाकघर खोलने की सुविधाएं देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग ने मयूर विहार चरण-I विस्तार में बने छब्बीस सहकारी समूह आवास कालोनियों के लिए डाकघर खोलने का प्रावधान किया है;

(घ) क्या राजधानी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मयूर विहार में पत्र एक दिन देरी से बांटे जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) राजधानी की सीमा के भीतर बन रही नई रिहायशी कालोनियों में डाक वितरण के अतिरिक्त कार्य से निपटने के लिए मौजूदा वितरण डाकघरों अर्थात् लक्ष्मीनगर, श्रीनिवासपुरी, शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन, शाहदरा मल्कागंज, महरौली और खिचड़ीपुर को तैयार किया गया है। इसके अलावा, सात नए डाकघर अर्थात् आनद विहार, निर्माण विहार, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, रोहिणी, झिलमिल, गुलाबी बाग और बसंत कुन्ज मंजूर कर दिए गए हैं तथा ये समुचित आवास उपलब्ध होते ही खोल दिये जाएंगे।

(ग) मयूर विहार फेज-I विस्तार में डाकघर के लिए औचित्य की जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"रामायण" दूरदर्शन धारावाहिक के प्रसारण का समय

2500. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "रामायण" के प्रसारण के वर्तमान समय के बारे में अनेक शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धारावाहिक के प्रसारण का समय बदलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) केवल कुछ दर्शक यह चाहते हैं कि धारावाहिक को रविवार प्रातः दिखाया जाये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन बिहार तक बढ़ाया जाना

2501. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस को बिहार ले जाने के लिए हजीरा-बिजयपुर जगदीशपुर गैस पाइप लाइन की एक शाखा पाइप लाइन को बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम के गैस क्षेत्रों से एक वैकल्पिक पाइप लाइन बिछाने की उपयोगिता पर विचार किया गया है; और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) गैस की वर्तमान उपलब्धता और पाइप लाइन मार्ग में होने वाली वर्तमान मांग को देखते हुए ऐसी कोई शाखा लाइन बिछाना उचित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में प्रौद्योगिकी उन्नयन केन्द्र के लिये कनाडा की सहायता

2502. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रौद्योगिकी उन्नयन केन्द्र की स्थापना के लिये इन्डियन आटोमेटिक कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन को सहायता देने के लिये कनाडा सरकार ने पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन के सुधार में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) ओन्टेरियो, कनाडा सरकार आटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इन्डिया द्वारा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने में आवश्यक प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए, आटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इन्डिया और उद्योग, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ओन्टेरियो, कनाडा सरकार के बीच एक समझौता किया गया है।

(ग) केन्द्र से, उत्पाद प्रौद्योगिकी/विनिर्माण प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया सुधार इत्यादि में परिवर्तन नवीन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए एक अभिकरण के रूप में कार्य करने तथा इसे उद्योग को हस्तांतरित करने में सहायता पहुँचाने की आशा है।

(घ) केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ए. सी. एम. ए. की रिपोर्ट के अनुसार अगले 10-12 महीनों के अन्दर केन्द्र के कार्य आरम्भ कर देने की आशा है।

कृषि कार्यक्रमों का हिन्दी में प्रसारण

2503. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिस्थिति-विज्ञान, वन्य-जीवन, वन समुद्री जीवन और मिट्टी के कटाव समक्षीण और कृषि संबंधी अन्य विभिन्न पहलुओं संबंधी कार्यक्रम केवल अंग्रेजी मे ही प्रसारित किए जाते हैं जो अंग्रेजी न जानने के कारण ग्रामीण और अन्य लोगों को समझ में नहीं आते; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरदर्शन नियमित रूप से परिस्थिति की, वन्यजीवन, वन, समुद्री जीवन, और मिट्टी का ग्रेड घटना आदि पर हिन्दी, प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है। परन्तु विदेशों से आयात किए गये कार्यक्रमों को अंग्रेजी टेलीकास्ट करना आवश्यक हो जाता है। जब ऐसे आयातित कार्यक्रम ग्रामीण दर्शकों के कार्यक्रमों का अंग होते हैं, इसकी स्थानीय भाषा में कमेंन्ट्री की व्यवस्था की जाती है।

कपटपूर्ण आचरण के दोषी पाये गये व्यक्तियों के कम्पनियों के निदेशक बनने पर रोक

2504. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कपटपूर्ण आचरण के दोषी पाए गए व्यक्ति कम्पनियों के निदेशक नहीं बन सकते या उनका नियंत्रण नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन तथा अन्य आर्थिक अपराध करने वाले और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापों के बाद निर्धारित दण्ड का भुगतान कर देने वालों को केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धानुसार कपटपूर्ण आचरण का दोषी मानती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन उपबंधों का प्रत्येक मामले में पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम बढाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अन्तर्गत सक्षम उपबंध है जिनमें निदेशकों की अनर्हताओं हेतु प्रावधान है। अधिनियम की धारा 283 के अन्तर्गत उसमे उल्लिखित परिस्थितियों में निदेशक द्वारा पद रिक्त किया जाएगा। अधिनियम की धारा 267 के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को कम्पनी में प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 388ख से 388ङ के अधीन किसी भी प्रबन्धकीय कार्मिक को उसके पद से हटाने के लिए सशक्त है जिसके सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों कि कम्पनी के कारोबार का ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालन और इस आशय से किया गया है कि इसके लेनदारों, सदस्यों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को कपटवंचित किया जाए अथवा वह अन्यथा कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए किया गया है।

(ख) से (घ) "कपटपूर्ण आचरण" शब्दों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII के साथ पठित धारा 269 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति प्रबंधकीय या पूर्णकालिक निदेशक या कम्पनी के प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना पात्र नहीं होगा यदि उसे "फेरा" या उसमें उल्लखित बारह अन्य अधिनियमितियों में से किसी के अन्तर्गत अपराध के दोष के संबंध में किसी अवधि के लिए कारावास हुई हो अथवा 1000 रुपये से अधिक जुर्माना हुआ

हो। अधिनियम की धारा 269 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक की नियुक्ति के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय इस प्रकार नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के चरित्र की उपयुक्तता पर भी विचार करेगी। अधिनियम की धारा 269 के अन्तर्गत दिए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है।

राजस्थान और गुजरात के जिलों को एस टी डी सुविधा से जोड़ना

2505. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और गुजरात के कितने और किन-किन जिलों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ा गया है और कितने जिले उक्त सेवा से जोड़ा जाना अभी शेष है; और

(ख) एस. टी. डी. की सुविधा से शेष जिलों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के सात जिला मुख्यालयों तथा गुजरात के सात जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग से जोड़ा गया है। इनके नाम हैं—

राजस्थान :	1. नागौर	2. धौलपुर	3. जोधपुर	4. बीकानेर
	5. श्रीगंगानगर	6. पाली	7. बूंदी	
गुजरात :	1. मेहसाना	2. जूनागढ़	3. सुरेन्द्रनगर	4. गोधरा
	5. पालनपुर	6. खेड़ा	7. महुवा	

राजस्थान 14 जिला मुख्यालयों और गुजरात में 3 जिला मुख्यालयों को अभी एस. टी. डी. से जोड़ा जाना है।

(ख) राजस्थान और गुजरात के शेष जिला मुख्यालयों को मार्च, 1990 के अन्त तक एस. टी. डी. से जोड़े जाने की संभावना है।

एक्स-रे तथा प्रेफाइट आर्ट फिल्मों के निर्माण के लिए लाइसेंस

2506. श्री भट्टम श्री राममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के आयात पर भारी व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एक्स-रे फिल्मों और ग्रेफाइट आर्ट फिल्मों का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की लाभप्रदता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने पोलिस्टर पर आधारित एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण के लिए मैसर्स डू पोन्ट आफ यू.एस.ए. के साथ सहयोग किया है। परियोजना की कुल लागत 168.12 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) मैसर्स गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पोलिस्टर लि. ने पोलिस्टर पर आधारित एक्स-रे और ग्राफिक आर्टस फिल्मों का निर्माण करने के लिए आशय पत्र हेतु आवेदन किया है।

(घ) यद्यपि देश में एक्स-रे तथा ग्राफिक आर्टस फिल्मों के लिए क्षमता की स्थापना किसी क्षेत्र में करने पर कोई रोक नहीं है, फिर भी इस वस्तु की मांग, पहले से अधिष्ठापित क्षमता, अन्तर्ग्रस्त निवेश की सीमा जिसमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत इत्यादि भी सम्मिलित हैं, जैसे अनेक कारणों पर अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस देते समय विचार किया जाता है।

पेट्रोरसायन परियोजनाओं की स्थापना के लिये

विश्व बैंक से ऋण

2507. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री वी. तुलसीराम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेट्रोरसायन परियोजनाओं की स्थापना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है,

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई थी और विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मन्जूर की है,

(ग) स्थापित किए जाने वाले पेट्रोरसायन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे, और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक स्थापित हो जाएंगी;

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) से (घ) आई. पी. सी. एल. की पेट्रोरसायन परियोजनाओं जैसे एम. जी. सी. सी. में इथाइलिन विस्तार आवश्यकताएं में तार और केबल और एच. डी. पीई. परियोजनाओं, बड़ौदा में कुआडिन एक्स्ट्रैक्शन रिवम्प, पालिप्रापिलीन प्लास्टिक, पी. वी. आर. विस्तार और इन्जीनियरिंग प्लास्टिक परियोजना और सिपेट की गतिविधियों का जांच और प्रशिक्षण उपस्करों आदि के आयात के रूप में आधुनिक बनाने आदि के वित्त पोषण के लिए 220 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता विश्व बैंक से मांगी जानी है। 1989-91 के दौरान आई. पी. सी. एल, द्वारा पालिमरो के आयात के लिए भी बैंक की सहायता मांगी गई है। परियोजनाओं को 3-4 वर्ष की अवधि में पूरा किये जाने की सम्भावना है।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

(हिन्दी)

2508 श्री. के. डी. सुल्तानपुरी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पन्चवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमानत : कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है और,

(ख) आठवीं योजना राज्य में स्थापित करने के लिए किन-किन परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) आठवीं योजना हेतु विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियों के आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) आठवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (यूनिटो की संख्या × मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1.	चमेरा चरण-एक	3 × 180	540
2.	बानेर	3 × 4	12
3.	गाज	3 × 3.5	10.5
4.	धानवी	3 × 7.5	22.5
5.	लारजी	3 × 42	126
6.	बीरोट	3 × 1.5	4.5

मथुरा तेल शोधक कारखाने में आग-दुर्घटना

2509. श्री सरफराज अहमद :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में दिसम्बर, 1988 में आग लग गई थी :

(ख) यदि हां तो आग लगने के क्या कारण थे तथा इसमें जान माल का कितना नुकसान हुआ था;

(ग) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में पहले भी आग लगने की घटनाएं हुई थीं; और

(घ) यदि हां तो तेल शोधक कारखाने में बार-बार आग लगने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां मथुरा रिफायनरी की विश्वेकर यूनिट के हीट एक्सचेंजर क्षेत्र में 24.12.1988 को आग लगने की एक दुर्घटना हुई।

(ख) फीड प्रिहीट एक्सचेंजर के शैल साइड इनलेट फ्लेज लाइट में गैसकेट के काम न करने के कारण हाट हाइड्रोकार्बनों का रिसाव हुआ और उसके स्वतः प्रज्वलित होने से आग लग गई इसमें किसी की जान नहीं गयी। केवल कुछ उपकरणों बिजली की तारों तथा फिटिंगो को क्षति पहुंची।

(ग) और (घ) : 1982 में मथुरा रिफायनरी के चालू होने के बाद अब तक आग लगने की पांच अन्य बड़ी दुर्घनाएं हुई हैं। तेल रिफाइनरियों में ज्वलनशील हाइड्रोकार्बनों की सम्भाल होती है इसलिए यहां आग लगने का खतरा बना रहता है। सम्भव सुरक्षा के उपायों के बावजूद रिफाइनरियों में आग लगने की सम्भावनाओं से पूर्णत : इन्कार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां बहुत अधिक तापमान दबाव पर हाइड्रोकार्बनस की प्रोसोसिंग सदान की जाती है। ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

हाजीरा-विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन संबंधी सौदे में कमीशन

[अनुवाद]

2510. श्री राम बहादुर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हाजीरा-विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन संबंधी सौदे में कमीशन के बारे में 15 नवम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ पाइपलाइन संबंधी सौदे में कमीशन के भुगतान के कारणों को स्पष्ट करने के संबंध में जापान के मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन को पत्र लिखा है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा टैंकर सौदे के संबंध में भी जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) मैसर्स ज्योत्स्ना होल्डिंग्स लिमिटेड को की गई अदायगियों के संबंध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आवश्यक पूछताछ की गई है। इस संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से कहा गया है।

(ख) और (ग) गैस अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड ने टैंकरों के लिए कोई आर्डर नहीं दिया है।

दूरसंचार विभाग के तकनीकी कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों में संशोधन

[हिन्दी]

2511. डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों के साथ उनके वेतनमानों के संबंध में कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस समझौते को अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का संशोधित वेतनमान कब कार्यान्वित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में इरान्तुपिता स्थित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

2512. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में इरान्तुपिता स्थित मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में कब तक बदला जाएगा और इस एक्सचेंज में एस. टी. डी. सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : इरान्तुपिता (केरल) स्थित मैनुअल एक्सचेंज को 1990-91 में आटोमैटिक बनाए जाने का कार्यक्रम है, बशर्ते कि उपस्कर हों फिलहाल, इस स्थान के लिए एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

मणिपुर में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें

2513. श्री एन टोम्बी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक मणिपुर में पेट्रोल/डीजल की जिला वार कितनी खुदरा दुकानें खोली गयीं;

(ख) कितनी खुदरा दुकानें खोलने को तैयार की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इन पदार्थों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 तक मणिपुर में जिलावार खोले गये खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की संख्या इस प्रकार है:—

1	2	3
इम्फाल	—	11
केन्द्रीय जिला इम्फाल	—	1
थोबल	—	3
चूड़ाचांदपुर	—	3
सेनापति	—	1
उखरुल	—	1
चकचल	—	1
तेमेंगलोंग	—	1
		22

(ख) सेनापति (1), इम्फाल (2), मणिपुर केंद्रल (1) और ...पुर ( ) में 5 और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजना है जो 1987-88 तक की विपणन योजनाओं के विभिन्न चरणों में है।

(ग) और (घ) ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न स्थानों पर तेल उद्योग द्वारा लगातार संभाव्यता अध्ययन किए जाते हैं। मात्रा/दूरी के मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाए गए स्थानों को खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए वार्षिक विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

बर्दवान में कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का साफ-साफ दिखाई नहीं देना

2514. डा. सुधीर राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम बर्दवान के निवासियों द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चैनल के अधिक शक्तिशाली होने के कारण साफ-साफ नहीं देख पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) मध्यवर्ती दूरी के कारण कलकत्ता के उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित टी. वी. सिगनलों के बर्दवान में संतोषपूर्ण ढंग से प्राप्त होने की आशा नहीं है। इस दिशा में बर्दवान में एक पृथक अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। तथापि, यह ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रमों को रिले करता है क्योंकि इसको दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से सेटलाइट के माध्यम से जोड़ा जाता है। दूरदर्शन की सातवीं योजना में बर्दवान के ट्रांसमीटर को कलकत्ता के दूरदर्शन केन्द्र से जोड़ने की कोई योजना शामिल नहीं है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

2515 श्री वासुदेव आचार्य :

श्री शांति धारीवाल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार रुग्ण तथा बंद पड़े एककों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या आयात उदारीकरण नीति के कारण भारी संख्या में औद्योगिक एकक या तो रुग्ण हो गए या बंद हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आयात उदारीकरण नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं तथा बन्द औद्योगिक एककों के बारे में,आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं। ननीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार रुग्ण एककों तथा बन्द एककों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	संगठित क्षेत्र गैर लघु उद्योग में जून, 1987 के अन्त में रुग्ण एककों की संख्या	जनवरी- नवम्बर, 1988 (अन्तिम) के दौरान स्थायी रूप से बन्द एककों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	66	5
असम	6	*
बिहार	26	1
गुजरात	115	12
हरियाणा	41	19
हिमाचल प्रदेश	7	*
जम्मू और कश्मीर	—	*
कर्नाटक	62	*
केरल	27	1
महाराष्ट्र	338	70

1	2	
मध्य प्रदेश	30	*
उड़ीसा	10	4
पंजाब	30	3
राजस्थान	36	2
तमिलनाडु	105	5
उत्तर प्रदेश	67	*
प. बंगाल	146	*
गोवा, दमन और द्वीव	16	*
नागालैंड	—	*
दादर और नगर हवेली	1	*
अरूणाचल प्रदेश	—	*
चण्डीगढ़	3	*
दिल्ली	19	5
मणिपुर	—	*
मेघालय	1	*
मिजोरम	—	*
पाण्डिचेरी	4	*
त्रिपुरा	1	3
सिक्किम	—	*
	1057	130

नोट : *इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना या तो शून्य है या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं। स्वदेशी उद्योग के हितों का ध्यान रखने के लिए आयात नीति में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जिन वस्तुओं के संबंध में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है उनको प्रतिबंधित सूची में रखा गया है और सामान्यत: इनके आयात की अनुमति नहीं दी जाती। आयात नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी आवश्यक होता है अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

दिल्ली में एस. ए. ई. तेल की कमी

2516. श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पेट्रोल कार इन्जनों में प्रयोग के लिए अनुशंसातित 50 ग्रेड एस.ए.ई तेल दिल्ली में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल का यह ग्रेड दिल्ली में इण्डियन आयल कारपोरेशन तथा आई. बी. पी. कम्पनी के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नियमित रूप से उपलब्ध हैं परन्तु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छोटे डिब्बों में इस तेल की कुल कमी हाल ही में हुई है। छोटे डिब्बों में इस तेल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए इन तेल कम्पनियों ने उपाय किए हैं :

उत्तर प्रदेश में छोटी पन बिजली परियोजनाएं

(हिन्दी)

2517. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी छोटी पन बिजली परियोजनायें हैं जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है और वे कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में कोई समय सारणी तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) इस समय उत्तर प्रदेश में छोटी मिनी और माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं की 7 योजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। उन योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे.वा)	जिला जिसमें वह स्थित है	स्वीकृत लागत	चालू किए जाने की (लाख रु.)
					संभावित तिथि
1.	सीतापुरछती पन बिजली	0.2	चमोली	57.0	1989-80
2.	कंचौती मिनी पन बिजली	2.0	पिथौरागढ़	285.0	1994-95
3.	झिरकिला मिनी पन बिजली	1.5	पिथौरागढ़	191.6	1990-91

1	2	3	4	5	6
4.	सोबला लघु पन बिजली	6.0	पिथौरागढ़	746.73	1991-94
5.	कोटाबाग लघु पन-बिजली	0.2	नैनीताल	34.94	1994-95
6.	कलगाद मिनी पन-बिजली	1.2	पिथौरागढ़	259.22	1994-95
7.	बेल्का लघु पन-बिजली	3.0	सहारनपुर	734.05	1994-95

विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता

[अनुवाद]

2518 श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्युत परियोजनाओं की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा वर्ष 1986, 1987 और 1988 में प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में पृथकतः कितना कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी-कितनी थी;

(ग) उपर्युक्त अवधि में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, एफ-आर.जी. स्वीडन, स्विटजरलैंड, जापान और सोवियत संघ की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी थी,

(घ) वर्ष 1989 और 1990 में कितने मिलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन करने की योजना है तथा आठवीं योजना में स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उन पर कितना पूंजी-निवेश करने का प्रस्ताव है, और

(ङ) वर्तमान विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मार्च 1986, 1987 और 1988 की स्थिति के अनुसार कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः लगभग 45920.5 मेगावाट, 48586.5 मेगावाट और 53322.1 मेगावाट थी । इसकी तुलना में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रति किलोवाट विद्युत का उत्पादन 3703, 3861 और 3786 किलोवाट आवर प्रति वर्ष था ।

(ख) और (ग) मार्च, 1986, मार्च, 1987 तथा मार्च 1988 को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत क्रमशः 178 किलोवाट आवर, 191, किलोवाट आवर और 200 किलोवाट आवर होने का अनुमान लगाया गया है । विकसित देशों की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति खपत कम है ।

(घ) सातवीं योजना की मध्यावधि की समीक्षा के आधार पर सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (अर्थात् 1989-90) के लिये विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 252 बिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है । 8वीं योजनावधि के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38,000 मेगावाट की क्षमता

जोड़े जाने का लक्ष्य है। वर्तमान अनुमान के अनुसार आठवीं योजना के दौरान विद्युत संबंधी कार्यक्रम के लिये लगभग एक लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

(ङ) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन के लिये कुछ विद्यमान ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों के लिये नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्मों का निर्यात

2519. **श्री श्रीहरि राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के मामले में, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, अपने द्वारा निर्मित या वित्त पोषित फिल्मों को ही प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनके निर्यात को प्राथमिकता देता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो फिल्म उद्योग द्वारा निर्मिति फिल्मों को निर्यात न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारतीय फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों की बिक्री सहित फीचर फिल्मों के निर्यात के मामले में कैनेलाइजिंग एजेंसी है जिसमें कम बजट की फीचर फिल्में (20 लाख रुपए से अधिक की लागत पर न बनाई गई फिल्में) शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, यह अपने द्वारा निर्मित, वित्त पोषित या प्राप्त की गई फिल्मों का सीधा निर्यात करता है। विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कैनेलाइज्ड निर्यात, इसके द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फिल्मों का सीधा निर्यात और गैर-राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की उन फिल्मों का ब्यौरा दिया गया है जिन्हें इसने वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान अपने सीधे निर्यात निष्पादन के अन्तर्गत निर्यात किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अपने सीधे निर्यात निष्पादन के अन्तर्गत वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान किए गए कैनेलाइज्ड, निर्यात इसके द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फिल्मों का सीधा निर्यात और गैर-राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों का निर्यात दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(रुपए लाखों में)

	1985-86		1986-87		1987-88	
	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रुपए)	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रुपए)	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रुपए)
1. फिल्मो का कैनेलाइज्ड निर्यात	763	618.28	722	572.17	823	730.68
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का सीधा निर्यात						

1	2	3	4	5	6	7	8
(I)	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फिल्में	33	34.77	20×	30.30	14	16.35
(II)	गैर-राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्में	70	80.95	82	88.77	70	134.64
	कुल	866	734-00	824	691.25	907	881.67

×आंकड़ों में वृत्त चित्र और वीडियो अधिकार शामिल हैं।

पाकिस्तान के साथ फिल्मों का आदान-प्रदान

2520. श्री पी. एम. सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ फिल्में आदान-प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव के लिए चर्चा आरम्भ कर दी गई है। आदान-प्रदान के ब्यौरे तथा निश्चित समय द्विपक्षीय विचार-विमर्श के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस विचार विमर्श के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए प्लाट की खरीद

[हिन्दी]

2521. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या उद्योग मन्त्री खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए प्लाट की खरीद के बारे में 26 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है और अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या खादी भवन ने अब प्लाट का कब्जा ले लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग को कब तक कब्जा दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) चूंकि समस्त प्लाट (भूखंड) पर झुग्गियां पड़ी हुई हैं, इसलिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ने झुग्गी निवासियों को हटाने तथा उनको फिर से बसाने के लिए 12.80 लाख रुपए की

मांग की थी। झुग्गी निवासियों को तुरन्त हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त धनराशि का भुगतान 11-11-88 को कर दिया गया है :

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खाली कराई गई भूमि का कब्जा अभी खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को सौंपा जाना बाकी है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कार्यवाही करने के लिए जोर दिया जा रहा है तथा जैसे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट (भूखंड) से अतिक्रमणों को हटा दिया जाएगा, प्लाट (भूखंड) का खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सौंप दिया जाएगा।

शीरा का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

2522. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक देश में शीरे की कितनी मात्रा का उत्पादन और निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

उत्पादन निर्यात

	(लाख टन में)	
1985-86		
दिस.—नव.)	29.008	शून्य
1986-87		
(दिस.—नव.)	37.716	शून्य
1987-88		
(दिस.—नव.)	41.971	शून्य

चालू अल्कोहल वर्ष 1988-89 के दौरान 3 मार्च, 1989 तक 70,000 टन शीरे का निर्यात कर दिए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है :

डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस सिलेंडरों के मूल्य

[हिन्दी]

2523. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और प्रति गैस सिलेंडर के मूल्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी तीनों राज्यों में इन मदों के मूल्यों में समानता रखने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और एल. पी. जी. की कीमतें भण्डार पाइन्ट पर पूरे देश में एक समान है। अलग अलग स्थानों पर इनकी खुदरा कीमतें भाड़े, राज्य के महसूल और अन्य स्थानीय शुल्कों आदि के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न राज्यों में चुने हुये स्थानों पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एल. पी. जी. (घरेलू) की खुदरा बिक्री कीमत दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) इन उत्पादों की वर्तमान भण्डारण पाइन्ट पर की कीमतों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

6.3.1989 को विभिन्न राज्यों के चुने हुये स्थानों पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एल. पी. जी. (घरेलू) की खुदरा बिक्री

स्थान	पेट्रोल रु./लि.	डीजल रु./लि.	मिट्टी का तेल रु./लि.	एल. पी. जी. 14.2/रु. कि. ग्रा. सिलेंडर
हैदराबाद	10.34	4.06	2.48	66.35
ईटानगर	8.23	3.34	2.07	54.35
पोर्ट ब्लेयर	8.21	3.35	2.21	57.95
गुवाहाटी	8.63	3.52	2.04	55.80
पटना	8.68	3.74	2.37	60.20
चण्डीगढ़	8.47	3.56	2.42	63.30
दिल्ली	8.50	3.50	2.25	57.60
पणजी	8,86	3.62	2.17	60.25
गांधी नगर	9.90	3.95	2.20	62.55
शिमला	8.56	3.58	2.27	58.50
श्रीनगर	8.79	4.01	2.29	56.45
बंगलौर	9.62	4.00	2.40	64.05
त्रिवेन्द्रम	9.49	4.14	2.35	64.45
भोपाल	9.34	3.91	2.34	64.95

1	2	3	4	5
बम्बई	9.30	3.69	2.17	56.15
इम्फाल	8.22	3.47	2.07	57.55
शिलांग	8.50	3.46	2.07	58.20
आईजोल	7.99	3.27	2.30	54.40
कोहिमा	8.00	3.29	2.07	57.55
भुवनेश्वर	9.02	3.88	2.60	62.80
पांडिचेरी	8.87	3.63	2.22	59.10
जयपुर	9.44	3.85	2.42	60.60
गंगटोक	8.76	3.74	2.65	57.05
मद्रास	8.98	3.64	2.25	57.25
अगरतला	8.55	3.38	2.15	60.95
लखनऊ	8.97	3.88	2.55	61.70
कलकत्ता	8.70	3.59	2.27	63.20

तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन और खपत

[अनुवाद]

2524. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और उनकी खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई और मांग में अन्तर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करके तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम और योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1988-89 में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग 49.788 मिलियन टन की होगी। 32.136 मिलीयन टन कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन होने का अनुमान है, तथा रिफाइनरियों में 48.599

मिलियन टन थुपुट की आवश्यकता होगी। 1988-89 में (जनवरी, 1989 तक) प्राकृतिक गैस की 25 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन खपत होने का अनुमान है।

(ग) मांग और पूर्ति के अन्तर को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— खोज कार्यों को तेज करना जिससे उत्पादन में स्वत: वृद्धि होगी;

— अधिक तेल निकालने की तकनीकों का प्रयोग।

— उच्च प्रौद्योगिकी को लगाना।

जहां तक प्राकृतिक गैस का प्रश्न है, प्राकृतिक गैस को निकालने की स्कीमें समय-समय पर बनाई जाती हैं और यह गैस की उलब्धता और निकालने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती हैं।

केरल में डाक के वितरण में विलम्ब

2525. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पत्रों और धनादेशों के वितरण में प्राय: विलम्ब होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : जी नहीं। कभी-कभार कुछ शिकायतें प्राप्त हो जाती है।

(ख) शिकायतें मुख्यत: मानवी भूल और सेवाओं में खराबी के कारण होती हैं।

(ग) ऐसे मामलों में बाकायदा जांच की जाती है और उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

बड़ी विद्युत परियोजनाएं

2526. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 1987 और 1988 में कितनी बड़ी विद्युत परियोजनाओं (पनबिजली, ताप और परमाणु) का निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा 1 जनवरी, 1989 को कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं और इनकी अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में) कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अनुमानित कितनी लागत आएगी;

(ग) लागत में मूल आकलनों की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं; और

(घ) वर्ष 1989 और आठवीं योजनावधि में अन्य कौन-कौन सी बड़ी विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई में टेलीफोन लाईनें

2527. श्री शरद दिघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अंत तक बंबई में कितनी टेलीफोन लाइनें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी लाइनें लगाई गई हैं;

(ग) क्या-क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बम्बई में सातवीं योजना के अन्त तक टेलीफोन की कुल 3,29,680 लाइनें जोड़ने का लक्ष्य है।

(ख) 28.2.1989 तक 2,10,200 लाइनें जोड़ी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) इसमें कमी का कारण एक्सचेंज उपस्कर का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना है। देश में स्विचिंग उपस्कर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कानपुर में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

2528. श्री जगदीश अवस्थी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं,

(ख) इन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है,

(ग) क्या कानपुर में एक नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कानपुर में 28.2.89 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 6,539 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज मौजूदा सभी आवेदकों को दिसम्बर, 1991 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है। बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हो सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) कानपुर में नए टेलीफोन एक्सचेंज को मार्च, 1990 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तन्जौर तमिलनाडु में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

[अनुवाद]

2529. **श्री पी. कुलनदईवेलू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तन्जौर जिले में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी और इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में बिजली की कमी से अवगत कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) तन्जौर जिले के कोविलकलप्पल में 10.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक 5 मेगावाट का गैस टरबाइन संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के बारे में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जनवरी, 1989 में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तमिलनाडु में विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं; नई क्षमता को शीघ्र प्रतिष्ठापित करना, हाल ही में चालू किए गए यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण करना, विद्यमान यूनिटों से इष्टतम उत्पादन करना और मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय करना।

शीरे के आयंटन और अल्कोहल के वितरण के लिए नीति

2530. **श्री के. एस राव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल की कमी वाले राज्यों में स्थित अनेक रासायनिक कारखाने औद्योगिक अल्कोहल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो शीरे और अल्कोहल के निर्यात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का शीरे के आवंटन और अल्कोहल के वितरण के लिए समान नीति अपनाने का विचार है ताकि रासायनिक उद्योगों को ये चीजें नियमित रूप से उपलब्ध हो सकें

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) किसी रासायनिक एकक को औद्योगिक अल्कोहल

की भारी कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । कमी वाले राज्यों को उनकी पूरी जरूरतों के लिए आवंटन किये जा रहे हैं।

(ख) शीरे और अल्कोहल का निर्यात किया जा रहा है क्योंकि देश में उनकी उपलब्धता उनकी जरूरत से काफी अधिक है ।

(ग) जी हां ।

बिजली की हानि

2531 श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की अत्यधिक हानि होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई कुल वार्षिक हानि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रेषण तथा वितरण हानि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(घ) बिजली और वितरण ट्रांसफार्मरों की हानि की दर का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.88 की स्थिति के अनुसार संचयी लाभ/हानि का ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिए गए के अनुसार है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों का राज्यवार पारेषण एवं वितरण हानियों का ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

(घ) बिजली के ट्रांसफार्मरों के फेल होने के केवल छूट-पुट मामले हैं। वितरण ट्रांसफार्मरों के फेल होने की दरें 1986-87 वर्ष के दौरान 1.5% से 21.14 के मध्यम भिन्न-भिन्न रही ।

विवरण-I

31.3.1988 की स्थिति के अनुसार, राज्य बिजली बोर्डों के संचयी अधिशेष/घाटे का ब्योरा

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	अधिशेष/घाटा (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	169.40
2.	बिहार	356.60
3.	गुजरात	54.40
4.	हरियाणा	607.80
5.	हिमाचल प्रदेश	129.30
6.	कर्नाटक	10.20
7.	केरल	26.80

1	2	3
8.	मध्य प्रदेश	161.50
9.	महाराष्ट्र	48.90
10.	उड़ीसा	102.80
11.	पंजाब	123.60
12.	राजस्थान	300.90
13.	तमिलनाडु	248.20
14.	उत्तर प्रदेश	516.80
15.	पश्चिमी बंगाल	271.00
16.	असम	339.90
17.	मेघालय	26.60
	जोड़	2055.90

टिप्पणी :— 1. ऋणात्मक आंकड़े घाटा/अभिशेष दर्शाता है ।

2. वर्ष 1987-88 में निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण किया गया ।

3. उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-2

वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों की प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियों सहित) (*)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	गणना न की गई वाणिज्यिक हानियों (जैसे बिजली की चोरी आदि) सहित प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां		
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	19.24	20.62	25.43
	2. हिमाचल प्रदेश	20.22	21.01	21.55
	3. जम्मू और कश्मीर	35.85	33.50	41.84**
	4. पंजाब	18.82	17.01	18.39
	5. राजस्थान	26.54	23.94	21.00

1	2	3	4	5
	6. उत्तर प्रदेश	20.50	20.04	26.82
	7. चंडीगढ़	18.90	18.30	17.85
	8. डेसू	18.00	17.50	24.98**
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	25 50	24.00	23.50
	2. मध्य प्रदेश	18.90	20.76	20.54
	3. महाराष्ट्र	14.51	14.46	14.32
	4. दादरा और नगर हवेली	16.00	19.24	17.74
	5. गोवा दमन और द्वीव	20.43	23.71	24.56 गोवा 20.66 दमन व द्वीव
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	19.19	18.49	20.19
	2. कर्नाटक	22.50	22.19	21.00
	3. केरल	24.60	27.50	21.30
	4. तनिलनाडु	18.70	18.65	18.55
	5. लक्षद्वीप समूह	19.82	17.72	12.82
	6. पांडेचेरी	18.00	20.54	20.21
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	22.48	22.05	21.74
	2. उड़ीसा	23.00	22.00	23.30
	3. सिक्किम	18.20	19.60	23.92
	4. पश्चिमी बंगाल	23.13	23-10	21-14
	5. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15.11	19.00	17.19
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. असम	19.98	20.99	20.19
	2. मणिपुर	45.00	37.10	27.60
	3. मेघालय	8.19	10.35	8.39

1	2	3	4	5
	4. नागालैंड	20 00	24.12	.9.09
	5. त्रिपुरा	30.50	29.50	29.30
	6. अरुणाचल प्रदेश	30 42	35.00	31.32
	7. मिजोरम	43.63	48.07	30.00

* अनन्तिम

** वर्ष 89-90 की वार्षिक योजना पर विचार विमार्श के समय प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर।

बंगलौर में तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

2532. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र से बंगलौर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में इस प्रयोजन के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बंगलौर में तकनीकी विकास महानिदेशक का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बैंगल राव) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे और उनकी प्रादेशिक क्षेत्रीय सीमा संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक सरकार ने कुछ आधार भूत सुविधाएं देने की पेशकश की है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थल	प्रादेशिक क्षेत्रीय सीमा
1.	कलकत्ता	पश्चिम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, अन्दमान तथा निकोबार, पूर्वोत्तर क्षेत्र।

1	2	3
2.	बंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमन तथा द्वीव, दादरा व नगर हवेली।
3.	मद्रास	केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक।
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश।
5.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण

2533. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला तथा बाल विकास, परिस्थिति, विज्ञान, और यहां तक कि ग्रामीण उत्थान से संबंधित अन्य विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक कार्यक्रमों काप्रसारण केवल अंग्रेजी में ही होता है, जिससे अंग्रेजी न जानने वाली जनता पर उसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रसारणों की भाषा कैसे और किस आधार पर निर्धारित की जाती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। सामाजिक समस्याओं, महिलाओं तथा बाल विकास, परिस्थिति की तथा ग्रामीण उत्थान से संबंधित विषयों पर दूरदर्शन हिन्दी अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम/धारावाहिक टेलीकास्ट करता रहा है। क्षेत्रीय केन्द्रों से निर्मित तथा टेलीकास्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भी स्थानीय भाषाओं और हिन्दी में टेलीकास्ट होते हैं तथा इसमें कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता सामाजिक मामले आदि जैसे विषय कवर किए जाते हैं।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के चयन हेतु मानदंड

2534. **श्री अजय मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की पात्रता हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का निर्धारण करने का तरीका बहुत पुराना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो वर्तमान तरीके पर पुनर्विचार करके उसे और अधिक व्यवहारिक बनायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक अन्तर मंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2535. श्री राम भगत पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गयी है;

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत गांव में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और ऐसे सभी गांवों को कब तक बिजली लगा दी जायेगी;

(ग) क्या बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बसे बहुत अधिक जनसंख्या वाले गांवों में भी अभी बिजली नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार के सभी बाढ़-प्रवण गांवों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31.1.1989 की स्थिति के अनुसार देश में 446712 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) जनगणना संबंधी पुस्तक में हरिजन गांवों की अलग से संख्या नहीं दर्शाई गई है। तथापि संसाधनों की उपलब्धता और अन्य निवेशों पर निर्भर करते हुए इस शताब्दी में आठवीं और अनुवर्ती योजनाओं के दौरान सभी गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :—

जिला	गांवों की कुल संख्या (1971 की जनगणना के अनुसार)	शेष गांवों जिनका विद्युतीकरण किया जाना है
1. दरभंगा	1048	28
2. समस्तीपुर	1188	शून्य

1989-90 की वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया था कि बाढ़ की गम्भीर स्थिति के परिणामस्वरूप कुछ विद्युतीकृत गांवों के लिए विद्युत का पारेषण करने हेतु पारेषण और वितरण प्रणालियों में बाधा आई थी।

केरल में केन्द्रीय निवेश

[अनुवाद]

2536. श्री सुरेश कुरुप : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कितना केन्द्रीय निवेश किया गया है; और

(ख) स्थापित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

उद्योग मंत्री (श्री बी. वेंगल राव) : (क) 31.3.1988 को केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किया गया केन्द्रीय पूम्जी-निवेश 1306.95 करोड़ रुपये था।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्यम, जिनके पंजीकृत कार्यालय केरल राज्य में स्थित हैं, इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.

(2) कोचीन रिफायनरीज लि.

(3) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.

(4) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

(5) कोचीन शिपयार्ड लि.

31.3.1988 को सरकारी क्षेत्र के उपर्युक्त उद्यमों में पैदा किये गये रोजगार के कुल अवसर 0.32 लाख थे।

गुजरात में गांधीनगर में टेलीफोन प्रणाली

2537. श्री अमरसिंह राठवा :क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गांधी नगर में टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण करने तथा उसमें विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गांधीनगर टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के संबंध में इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। मौजूदा एक्सचेंज के स्थान पर एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके वर्ष 1991 में चालू होने की उम्मीद है। इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का, वहां की मांग के अनुसार, पुन: विस्तार किया जाएगा।

मारुति गाड़ियों के मूल्य में वृद्धि

2538. डा. पी. बल्लल पेडमल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित हिस्से पुर्जों की लागत में वृद्धि के कारण हाल ही में मारुति-गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विभिन्न हिस्से पुर्जों का देश में ही उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि मारुति गाड़ियों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोका जा सके ?

उद्योग मंत्री श्री जे. वेंगलराव : (क) जी, हां।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड आयात को कम करने के लिए तैयार किये गये एक प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करता रहा है।

सीमेंट के लघु संयंत्र

6539. श्री ई. अय्यपु रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक सीमेंट के कितने लघु संयंत्र चल रहे हैं;

(ख) कितने एककों में वर्ष 1989 तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा; और

(ग) सीमेंट लघु उद्योग को उत्पादन शुल्क में क्या रियायतें तथा अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री एम. अरुणाचलम : (क) भिन्न-भिन्न राज्यों में संगठित क्षेत्र में लघु सीमेंट संयंत्रों की संख्या इस प्रकार है।

क्र. सं.	राज्य	लघु सीमेंट संयंत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	गुजरात	16
6.	जम्मू तथा कश्मीर	2
7.	कर्नाटक	11
8.	मध्य प्रदेश	12
9.	महाराष्ट्र	2
10.	उड़ीसा	1
11.	राजस्थान	5
12.	तमिलनाडु	4
13.	उत्तर प्रदेश	2
		72

इसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र में छोटे सीमेंट संयंत्र हैं जो संबंधित राज्य उद्योग निदेशक द्वारा पंजीकृत और प्रशासित किये जाते हैं। ऐसे संयंत्रों के आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे गये हैं। तथापि अब तक ऐसे लगभग 80 संयंत्र विकास आयुक्त सीमेंट उद्योग को उत्पादन सम्बन्धी सूचना दे रहे हैं।

(ख) संगठित क्षेत्र में चार लघु सीमेंट संयंत्रों के 1989 में उत्पादन करने की सम्भावना है।

(ग) लघु सीमेंट संयंत्रों सहित सीमेंट संयंत्रों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदायगी में निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :—

(1) 1.1.1982 से 31.3.86 के बीच स्थापित सीमेंट संयंत्रों के बारे में 20/-रु. प्रति मी. टन की छूट,

(2) 1.4.86 को या उसके बाद स्थापित सीमेंट संयंत्रों के बारे में 50/-रु. प्रति मी. टन की छूट,

(3) 1989-90 के लिए बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में वर्टिकल शाफ्ट भट्ठे का प्रयोग करने वाले एककों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को सामान्य प्रभावी दर से 100 रु. प्रति मी. टन कम कर दिया गया है।

2. लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित लघु सीमेंट संयंत्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी उन रियायत और प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं जो लघु औद्योगिक उपक्रम को उपलब्ध हैं।

3. लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने वाले उद्यमी भी उन प्रोत्साहनों को पाने के पात्र हैं जो केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने वाले अन्य उद्यमियों को उपलब्ध हैं।

मशीनरी मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन, कलकत्ता, को पुनः चालू करना

2540. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित मशीनरी मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन वर्ष 1987 से बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का कंपनी को पुनः चालू करने अथवा उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री के. वेंगल राव) : (क) से (ग) मशीनरी मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लि. ने मई, 1988 से कार्य स्थगित कर दिया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के लागू होने के बाद, उक्त कम्पनी ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से पत्र व्यवहार किया। कम्पनी को रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को संचालक ऐजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने मामले की सुनवाई समाप्त कर दी है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है

कि मशीनरी मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लि. को बन्द कर दिया जाए और उसने 19 अक्तूबर, 1988 को अपनी सिफारिशें बम्बई हाईकोर्ट को भेज दी हैं।

बिहार में आकाशवाणी/दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

2541. डा. गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क के प्रसारण क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अन्य अनेक राज्यों के प्रसारण क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से कम है;

(ख) अब तक, बिहार में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क द्वारा प्रसारित कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्र में देखे तथा सुने जाते हैं;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) बिहार में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी सेवा द्वारा कवर की गई जनसंख्या का प्रतिशत अन्य कई राज्यों से अधिक है।

(ख) बिहार में दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

दूरदर्शन—1,25,000

वर्ग किलोमीटर (लगभग)

आकाशवाणी—1,72,000

वर्ग किलोमीटर (लगभग)

(ग) जी, हां।

(घ) दूरदर्शन

बिहार, में सातवीं योजना के भाग के रूप में, पटना में एक टी. वी. स्टूडियो केन्द्र तथा मुज्फ्फरपुर तथा डाल्टनगंज में एक-एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, तथा 13 अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर कार्यान्वनाधीन हैं। रांची में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र को भी बढ़ाए जाने का विचार है। उपर्युक्त सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आकाशवाणी

एक किलोवाट मीडियमवेव ट्रांसमीटर और स्टूडियो सहित जमशेदपुर में ही शीघ्र एक नए रेडियो स्टेशन चालू करने का विचार है। इसके अलावा, बिहार राज्य में पुर्णिया, सिंहभूमि,

सासाराम, डाल्टनगंज तथा हजारीबाग में प्रत्येक में एक-एक नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीमें, सातवीं योजना में शामिल हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन

2542. **श्री शांतिलाल पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में दिसम्बर, 1988 में गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के. वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उद्यम विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 29 उपक्रमों ने दिसम्बर, 1988 में 602.16 करोड़ रुपये मूल्य का (अन्तिम) उत्पादन किया था जबकि गत वर्ष इसी महीने में 450.08 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन किया था।

केमिकल्स तथा पैट्रो-केमिकल्स विभाग के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन को और बेहतर बनाने के लिये किये गये उपायों में शामिल हैं—बेहतर उत्पादन आयोजन, क्षमता के उपयोग में सुधार करना, उत्पादकता बढ़ाना, संयंत्र तथा मशीनरी के रुकने के समय को कम करना आदि।

तापीय बिजली घरों के लिये कोयले का आयात

2543. **श्री जी. एस. वासवराजू :**

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :

श्री एस. एम. गुरुडी :

श्री चिंतामणि जेना :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुपर तापीय विद्युत स्टेशनों की जरूरत के लिये कोयला आयात करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला प्रतिवर्ष आयात करने का विचार है और उस पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान, राज्यवार कितने तापीय बिजली घर-सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इन बिजली घरों के लिये कितना कोयला आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सुपर ताप बिजली केन्द्रों के लिए कोयला आयात करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1994-95) तक कोयले पर आधारित ताप/सुपर ताप बिजली केन्द्रों के लिए करीब 201 मिलियन टन कच्चे कोयले की आवश्यकता पड़ सकती है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने के लिए अनंतिम रूप से पता लगाए गए कोयले पर आधारित ताप विद्युत/सुपर ताप विद्युत केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

स्कीम का नाम	आठवीं योजना के दौरान लाभ (मेगावाट)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	
1. पानीपत (यूनिट-6)	210
पंजाब	
2. रोपड़ चरण-III (यूनिट 5 व 6)	420
राजस्थान	
3. कोटा (यूनिट-5)	210
उत्तर प्रदेश	
4. अनपारा "ख"	1000
5. ऊंचाहार (यूनिट-3 व 4)	420
केन्द्रीय क्षेत्र	
6. नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट	840
7. रिहन्द चरण-II	1000
8. यमुना नगर	420

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	
1. गांधी नगर (यूनिट-4)	210
2. सिक्का विस्तार-2	120
मध्य प्रदेश	
3. बीरसिंहपुर चरण-I	420
4. बीरसिंहपुर चरण-2	420
5. पेंच चरण-I	420
6. कोरबा विस्तार (यूनिट 5 व 6)	420
महाराष्ट्र	
7. चन्द्रपुर (यूनिट 5, 6 व 7)	1500
8. खापर खेड़ा विस्तार	420
केन्द्रीय क्षेत्र	
9. विन्ध्याचल (यूनिट-6)	210
10. विन्ध्याचल चरण-II	500
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	
1. मद्दानूर	420
कर्नाटक	
2. रायचूर (यूनिट 3 व 4)	420
तमिलनाडु	
3. उत्तर मद्रास चरण-I	630
4. टूटीकोरीन (यूनिट 4 व 5)	420
केन्द्रीय क्षेत्र	
5. मंगलोर चरण-I	420
6. कायमकुलम चरण-I	420

1	2
पूर्वी क्षेत्र	420
बिहार	
1. तेनुघाट चरण-I	420
2. तेनुघाट विस्तार	210
उड़ीसा	
3. इब थर्मल पावर स्टेशन	420
पश्चिम बंगाल	
4. बक्रेश्वर	630
5. कोलाघाट विस्तार	630
6. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन प्रतिष्ठापन	135
दामोदर घाटी निगम	
7. बोकारो "ख" विस्तार	420
8. मोफिया चरण-I	630
9. मैथान (दायां तट)	630
केन्द्रीय क्षेत्र	
10. फरक्का {यूनिट-4, 5 व 6	1500
11. कहलगांव	840
12. तलचर	1000

राज्य विद्युत मन्त्रियों का सम्मेलन

2545 **श्री. टी. वी. चन्द्रशेखरप्पा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 को नई दिल्ली में राज्य विद्युत मन्त्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन 23 व 24 जनवरी, 1989 को दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन में 8वीं योजना के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी तथा आठवीं योजना से सम्बन्धित मुद्दों एवं विकल्पों, विद्युत विकास एवं पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों प्रभावशाली ग्रिड प्रबन्ध, युक्तिसंगत टैरिफ तथा ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों

पर संसद सदस्य एवं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में की गई प्रमुख सिफारिशें 8वीं योजना में लगभग 38,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ना सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने, राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने, 8वीं योजना की परियोजनाओं को पर्यावरणीय एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, ऊर्जा संरक्षण के लिए दस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, यदि विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण उपलब्ध निधियों में बढ़ोतरी होती है तो इसे प्रोत्साहन देने, विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की भूमिका को महत्व देने, राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने तथा कम अवधि में निर्माण की जाने वाली गैस पर आधारित परियोजनाओं पर अधिक बल देने से सम्बन्धित थी।

स्मारक डाक-टिकट जारी करना

2546. **डा. फूलरेणु गुहा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1987 और 1988 के दौरान किन-किन तारीखों और अवसरों पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री गिरिधर गोमांगो 1987 और 1988 के दौरान जिन-जिन तारीखों को और जिन अवसरों पर स्मारक विशेष डाक टिकट जारी किए गए थे, उससे सम्बन्धित सूची क्रमश: विवरण-1 विवरण 2 में दी गई है।

विवरण-1

1987 के दौरान जिन-जिन तारीखों को और जिन अवसरों का स्मारक विशेष डाक टिकट जारी किए गए थे उससे सम्बन्धित सूची

क्र. स.	विषय	जारी करने की तारीख	अवसर
1.	प्रथम भारतीय, विश्वपाल नौका अभियान 1985-87	1. 1. 1987	नौका अभियान पूरा हुआ।
2.	आफ्रीका कोष	25.1.1987	9 राष्ट्रों के लिए अफ्रीका फण्ड बनाने में योगदान
3.	अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मन्डल का 29वां महासम्मेलन, नई दिल्ली	11.2.1987	अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मन्डल का 29वां महासम्मेलन नई दिल्ली
4.	हकीम अजमल खां	13.2.1987	नई दिल्ली में यूनानी दवाइयों का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार
5.	लाला हरदयाल	18.3.1987	स्वतन्त्रता सैनानी श्रृंखला में उनके देहान्त 103 वर्ष बाद जन्म-
6.	मानवेन्द्र नाथ राय	21.3.1987	शताब्दी

1	2	3	4
7.	10 दक्षिण पूर्व रेल शताब्दी 1887-1988	28.3.1987	शताब्दी
11.	कलिया भौमौरा सेतु, असम	14.4.1987	पुल का उद्घाटन
12.	मद्रास क्रिश्चियन कालेज	16.4.1987	150 वर्ष
13.	त्रिपुरानेनी रामास्वामी चौधरी	25.4.1987	जन्म शताब्दी
14.	श्री श्री मां आनन्दमयी	1.5.1987	आनन्द ज्योतिपीठम नामक समाधि का उद्घाटन और श्री श्री मां की मूर्ति की संस्थापना।
15.	गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर	8.5.1987	जन्म शताब्दी
16.	गढ़वाल राइफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स 1887 से 1987	10.5.1987	शताब्दी
17.	जे. कृष्णमूर्ति	11.5.1987	92वीं जन्म शताब्दी
18,	7 यान्त्रिक बटालियन (1-डोगरा)	3.6.1987	शताब्दी
19-20.	भारत-89 विश्व फिलैबली प्रदर्शनी	15.6.1987	भारत-89 की तैयारी और प्रसार करना
21.	डा. कैलाश नाथ काटजू	17.6.1987	जन्म शताब्दी
22.	भारतीय समारोह	3.7.1987	सोवियत संघ में भारतीय समारोह का उद्घाटन
23.	स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष, 1947 से 1987	15.8.1987	स्वतन्त्रता के 40 वर्ष पूरे होने का अभिनन्दनोत्सव
24.	सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल	20.8.1987	दूसरी पुण्यतिथि
25.	एस. सत्य मूर्ति	22.8.1987	जन्म शताब्दी
26.	गुरु बासीदास	1.9.1987	देहान्त के 150 वर्ष बाद
27.	श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र	2.9.1987	श्री श्री ठाकुर के देवघर (बिहार) पधारने की शताब्दी
28.	इलाहाबाद विश्व विद्यालय शताब्दी	23.9.1987	शताब्दी
29.	फूल वालों की सैर	1.10.1987	पर्व के मनाये के लगभग 150 वर्ष
30.	शत्रुघात	2.10.1987	जन्म के 338 वर्ष बाद

1	2	3	4
31.	निराश्रयों को आश्रय का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष	5.10.1987	निराश्रयों को आश्रय का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के रूप में
32-33.	अन्तर्राष्ट्रीय रोटरी-एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली	14.10.1987	अन्तर्राष्ट्रीय रोटरी-एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए
34-35.	नेत्रदान और दृष्टिहीनों की सेवा के 100 वर्ष	15.10.1987	दृष्टिहीनों के सेवा के 100 वर्ष
36-39.	भारत-89 विश्व फिलैटली प्रदर्शनी	17.10.1987	भारत-89 की तैयारी और प्रसार करना
40.	त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेशदत्त	2.11.1987	98वीं जन्म शताब्दी
41.	बालदिन	14.11.1987	बालदिन
42-45.	भारतीय वृक्ष	'9 11.1987	इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर
46.	भारत में सोवियत संघ महोत्सव	21.11.1987	भारत में सोवियत संघ महोत्सव का उदय
47-48.	वन्य जीवन	29.11.1987	वन्य जीवन पर सुविधानुसार प्रत्येक वर्ष जारी किया जाना
	1. सफेद बाघ		
	2. बर्फीला तेंदुआ		
49.	श्रीमती रामेश्वरी नेहरू	10.12.1987	जन्मशताब्दी वर्ष पूरा होने पर
50.	वीर नारायण सिंह	10.12.1987	13वीं पुण्य तिथि
51.	फादर कुरियाकोस एलियास चावरा	20.12.1987	उनके देहान्त के 125 वर्ष पूरे होने के दौरान।
52.	डा. राजा सर मुतैया चेट्टियार	21,12.1987	चिदम्बरम में कालेज का उद्घाटन
53.	श्री हरमंदर साहिब-अमृतसर	26.12.1987	स्थापना के 400 वर्ष
54.	रूकिमणी देवी	27.12.1987	देहान्त के एक वर्ष बाद
55.	डा. हीरा लाल	31.12.1987	देहान्त के 120 वर्ष बाद
56.	पन्डित हृदय नाथ कुंजरू	31.12.1987	जन्म शताब्दी

विवरण-2

1988 के दौरान जिन तारीखों को और जिन अवसरों पर स्मारक विशेष डाक-टिकट जारी किए गए थे उससे संबंधी सूचि

क्र. स.	विषय	जारी करने की तारीख	जारी करने का अवसर
1.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस परिषद् का 75 वां अधिवेशन	7.1.1988	भारतीय विज्ञान कांग्रेस परिषद् के 75वां अधिवेशन का उद्घाटन समारोह
2.	13 वीं एशिया प्रशान्त दन्त चिकित्सा कांग्रेस-1988	28.1.1988	उद्घाटन समारोह
3.	मोहनलाल सुखड़िया	2.2.1988	6वीं पुण्यतिथि
4.	तिरोत सिंह	3.2.1988	देहावसान के लगभग 150 वर्ष
5.	डा. श्री कृष्ण सिन्हा	4.2.1988	जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान
6.	कुमाऊ रेजीमेंट की चौथी बटालियन के 200 वर्ष	19.2.1988	200 वर्ष पूरे होने पर
7.	बाल गन्धर्व	22.2.1988	जन्म शताब्दी के दौरान
8.	दी मैकेनाइज्ड इर्फैंट्री रेजीमेंट	24.2.1988	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वज प्रदान करने के अवसर पर
9.	बी. एन. राउ	26.2.1988	जन्म शताब्दी पूर्ण होने पर
10.	चन्द्रशेखर आजाद	27.2.1988	57वीं पुण्य तिथि
11.	गोविन्द बल्लभ पन्त	7.3.1988	जन्म शताब्दी के दौरान पुण्य तिथि पर
12.	सरकारी महेन्द्रा कालेज पटियाला	14.3.1988	स्थापना की 113वीं वर्ष गांठ पर
13.	डा. डी. वी. गुन्डप्पा	17.3.1988	जन्म शताब्दी पूर्ण होने पर
14.	रानी अवन्ती बाई	20.3.1988	जन्म शताब्दी पूर्ण होने पर
15.	मलयाल मनोरमा के 100 वर्ष	23.3.1988	स्थापना शताब्दी
16.	महर्षि दधीचि	26.3.1988	प्रायोजक को सुविधानुसार
17.	मोहम्मद इकबाल	21.4.1988	50वीं पुण्य तिथि
18.	समर्थ रामदास	1.5.1988	300वीं पुण्य तिथि
19.	स्वाति तिरूनाल रामावर्मा	2.5.1988	जन्म के 175 वर्ष बाद

1 2	3	4
20. प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857	9.5.1988	प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 को जयन्ती की संध्या पर
21. भाऊराव पाटिल	9.5.1988	जन्म शताब्दी वर्ष
22-25. हिमालय शिखर	19.5.1988	भारत के राष्ट्रपति की सुविधानुसार
26. बड़ों के प्रति आदर और स्नेह	24.5.1988	स्वतन्त्रता की चालीसवीं जयन्ती के क्रम में
27. विक्टोरिया टर्मिनस, बम्बई के 100 वर्ष	30.5.1988	शताब्दी
28. लारेंस स्कूल लवडेल	31.6.1988	स्थापना के 13 वर्ष
29. बेलड़ो वृक्ष	5.6.1988	विश्व पर्यावरण दिवस
30. डा. अनुग्रह नरायण सिंह	18.6.1988	जन्म शताब्दी पूर्ण होने पर
31. कुलाधीर चालिहा	19.6.1988	जन्म शताब्दी
32. रानी दुर्गावती	24.6.1988	देहावसान के लगभग 425 वर्ष पूरे होने पर
33. शिव प्रसाद गुप्त	28.6.1988	105वीं जन्म शताब्दी
34. आचार्य शान्ति देव	28.7.1988	जन्म के 1300 वर्ष बाद
35. वाय. एस. परमार	4.8.1988	82वीं जन्म शताब्दी
36-37. स्वतन्त्रता के चालिस वर्ष-स्वराज	16.8.1988	स्वतन्त्रता के चालिस वर्ष बाद
38. दुर्गादास राठौड़	25.8.1988	जन्म के 35 वर्ष बाद
39. शरत् चन्द्र बोस	6.9.1988	जन्म शताब्दी
40. गोपीनाथ कविराज	7.9.1988	जन्म शताब्दी
41. हिन्दी दिवस	14.9.1988	हिन्दी दिवस मनाने के अवसर पर
42-43. खेल-1988	17.9.1988	सियोल आलोम्पिक-1988 के अवसर पर
44. बाबा खड़ग सिंह	6.10.1988	25वीं पुण्य तिथि
45. वन्य जीवन लाईस कार्मेल	7.10.1988	वन्य जीवन सप्ताह के दौरान

1	2	3	4
46-47.	भारत-89 (बम्बई जी. पी. ओ. और बेंगलूर जी. पी. ओ.)	9.10.1988	भारत-89 के तैयारी, प्रसार और डाक दिवस
48.	टाइम्स आफ इन्डिया	3.11.1988	150 वर्ष पूरे होने पर
49.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	11.11.1988	जन्म शताब्दी
50-51.	जवाहरलाल नेहरू शताब्दी	14.11.1988	जन्म शताब्दी
52.	बिरसा मुन्डा	15.10.1988	113वीं गांठ
53.	शेख मुहम्मद अब्दुल्ला	5.12.1988	83वीं वर्ष गांठ
54.	भांखड़ा बांध	15.12.1988	25 वर्ष पूरे होने पर
55-56.	भारत-89 विश्व फिलैटली प्रदर्शनी	20.12.1988	भारत-89 को तैयार और प्रसार
57.	कनैया लाल मा. मुन्शी	30.12.1988	जन्म शताब्दी

दमोह मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2547. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिरिचर गोमांगो) : (क) दमोह में पहले से ही 500 लाइनों का एक एम. ए. एक्स-II एक्सचेंज है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा ताप परियोजना, राजस्थान का बन्द होना

2548. **श्री शांति धारीवाल** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा ताप परियोजना के एकक आम तौर पर बन्द रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों के सही रखरखाव और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) : चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उपस्करों संबंधी समस्याओं के कारण कोटा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट एक और दो (2×110 मेगावाट) में क्रमशः 45 और 60 दिन जबरन बन्दी रही, समस्याओं का पता लगा लिया गया है और इन पर ध्यान दिया जा रहा है।

गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र

[अनुवाद]

2549. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) : गुजरात में गैस-आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव से सम्बन्धित मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है :—

क्रम सं.	योजना का नाम	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1.	उरन गैस टर्बाईन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र	135 मेगा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस योजना को तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी गई है, बशर्ते पारेषण स्कीम को अनुमोदित कर दिया जाय और जब आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए।
2.	गान्धार/मध्य/दक्षिणी ताप्ती से प्राप्त गैस पर निर्भर गैस-आधारित विद्युत केन्द्र।	1200 मेगा.	राष्ट्रीय ताप विद्युत विभाग को इसके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाह दी गई है।
3.	अंकलेश्वर गैस टर्बाइन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र	30 मेगा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस योजना का परीक्षण कर लिया गया है, गुजरात बिजली बोर्ड को सलाह दी गई है कि वह अंकलेश्वर में छोटी यूनिट लगाने के बजाय उत्तरान विद्युत केन्द्र पर बड़ी यूनिट स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव की समीक्षा करें।

1	2	3	4
4.	अहमदाबाद में वातवा गैस टर्बाईन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र (अहमदाबाद बिजली कम्पनी लि.)	100 मे.वा.	पर्यावरण स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिए जाने तथा परियोजना प्राधिकारियों के बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों से सहमत हो जाने के बाद ही इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकित करने के लिए विचार किया जा सकता है।
5.	गांधार गैस टर्बाईन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र	600 मे.वा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम का परीक्षण कर लिया गया है और बिजली की आवश्यकताओं एवं गैस आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
6.	पिपवाव गैस टर्बाईन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र	750 मे.वा.	बिजली की आवश्यकताओं एवं गैस की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
7.	भड़ौच में गैस टर्बाईन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र (मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि.)	600 मे.वा.	विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रश्न तथा संबंधित पहलुओं पर अलग-अलग ध्यान दिया जा रहा है।

सोवियत संघ की बसों में डीजल इंजन लगाना

2550. श्री बी. तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीशियनों ने सोवियत संघ की बसों में सफलतापूर्वक डीजल इंजन लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सोवियत संघ की बसों में ऐसे इंजन लगाने के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बैंगल राव) : (क) और (ख) मैसर्स अशोक लेलैण्ड ने अपना ए. एल-डब्ल्यू जो 4 डी डीजल इंजन सोवियत कम्पनी द्वारा कुछ असेम्बलियों सहित सप्लाई की गई एक प्रायरूपी बस में लगाया है। इस प्रायरूप की जांच अभी भारत तथा रूस में की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को आवंटन

2551. श्री अतीक चन्द्र सिन्हा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के लिए कुल आवंटन की तुलना में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को आनुपातिक आवंटन में कमी आई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के माध्यम से कितना रोजगार पैदा किया गया है तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में "सिंगल जोब" के अवसर पैदा करने के लिए कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है, और

(घ) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) : खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में स्थापित किए गए उद्योगों, जो कि पूंजी की कम प्रगाढ़ता वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगारोन्मुख होते हैं, के वास्तविक स्वरूप के कारण इन उद्योगों के लिए किए गए आवंटन की तुलना बड़े तथा मझोले उद्योगों के लिए किए गए आवंटन से नहीं की जा सकती है।

(ग) वर्ष 1987-88 में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुल 41.80 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगारों का सृजन किया गया था। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में एक व्यक्ति के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए लगभग 10,000 रु. का निवेश करने की आवश्यकता होती है।

(घ) : ग्रामीण उत्पादन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए के. वी. आई. सी. ने वर्ष 1988-89 के लिए 34 नए उद्योगों (सूची विवरण के रूप में संलग्न) का पता लगाया है।

विवरण

1988-89 के लिए चुने गये नये उद्योग

समूह-1 खनिज आधारित उद्योग

1. मन्दिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्काशी और उत्कीर्णन
2. पत्थर से बनाई गईं उपयोगी वस्तुएं।

समूह-2 वन आधारित उद्योग

3. कागज के कप, प्लेट, थैले तथा अन्य कागज कन्टेनरों का विनिर्माण
4. काज से बनाई गई अन्य सभी सेवन सामग्री सहित अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण, जिल्दसाजी, लिफाफा बनाना, रजिस्टर बनाना।

5. खस टट्टी तथा झाड़ू निर्माण

6. वन उत्पाद का संचय, संसाधन तथा पैकिंग

7. फोटो फ्रेम बनाना

समूह-3 कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग

8. पिथ कार्य, पिथ, कटाई तथा माला इत्यादि का विनिर्माण

9. काजू संसाधन

10. पत्ते के कप बनाना

समूह-4 पोलिमर तथा रसायन आधारित उद्योग

11. रेक्सिन, पी. वी. सी. इत्यादि से उत्पाद

12. हाथी दांत उत्पादों सहित खींप तथा हड्डी

13. मोमबत्ती, कपूर तथा सील करने हेतु मोम बनाना

समूह-5 इन्जीनियरी तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा

14. पेपर पिनों, क्लिपों, सुरक्षा पिनों, स्टोव पिनों आदि का विनिर्माण

15. सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लास इत्यादि का विनिर्माण

16. छतरी सज्जीकरण

17. सौर एवं वायु ऊर्जा उपकरण

18. पीतल से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण

19. तांबे से हस्त निर्मित बर्तनों का विनिर्माण

20. कांस्य से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण

21. पीतल, तांबे तथा कांस्य से बनी अन्य वस्तुएं

22. रेडियो का उत्पादन

23. रेडियो के साथ लगी हुई अथवा न लगी हुई कैसेट प्लेयरों का उत्पादन

24 रेडियो के साथ लगे हुए अथवा न लगे हुए कैसेट रिकार्डर

25. वोल्टेज स्टेबिलाइजरों का उत्पादन

26. इलैक्ट्रोनिक घड़ियों (टाइम पीस) का उत्पादन

समूह-6 वस्त्र उद्योग (खादी के अतिरिक्त)

27. होजरी

28. दर्जीगीरी और सिले सिलाये कपड़े तैयार करना ।

29. नायलोन/सूत से मछली पकड़ने के जाल का हाथ से निर्माण करना ।

समूह-7 सेवा उद्योग

30. कपड़ों की धुलाई (लान्ड्री)

31. नाई

32. मलसाजी

33. विद्युत वायरिंग तथा इलैक्ट्रानिक घरेलू यन्त्रों और उसकरणों की सेवा

34. डीजल इंजन, पम्प सेटों आदि की मरम्मत ।

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निपटाये जाने वाले मामले

2553. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को भारतीय प्रेस परिषद के पास कितने मामले लम्बित पड़े थे;

(ख) वर्ष 1987 तथा 1988 में वर्ष-वार, भारतीय प्रेस परिषद् के पास कितने मामले आए और कितने मामले निपटाए गए ; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली से बाहर प्रेस परिषद की बैठकों पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल भगत) : (क) दिनांक 31.12.88 को प्रेस परिषद के पास 524 मामले लम्बित थे ।

(ख) परिषद में, वर्ष 1987 में 361 शिकायतें और वर्ष 1988 में 505 शिकायतें दर्ज की गयी थी । परिषद् ने वर्ष 1987 में 378 मामले तथा वर्ष 1989 में 265 मामले निपटाए ।

(ग) 2,25,790.60/- रुपए

विद्युत क्षेत्र में सुधार

2554. **श्रीमती डी. के भंडारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के संबंध में कुछ सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

(ख) क्या सरकार को सिक्किम से कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन सुझावों पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सिक्किम की विशिष्ट विद्युत स्कीमों को हाथ में लेने से संबंधित सुझावों के अलावा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिए जाने और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उनके द्वारा मूल्यांकन किए जाने तथा योजना आयोग की स्वीकृति सहित अन्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात जिन स्कीमों का क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जा सकता है, मुख्य सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित थे :—

1. क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों के माध्यम से सिक्किम में विद्युत का विकास।
2. विद्युत परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करना।
3. सिक्किम में कुछ पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों का निर्माण करना।
4. सार्वजनिक क्षेत्र को यूटिलिटीज में अनुशासन संबंधी उपाय करना।
5. लागतों को कम करने संबंधी गुंजाइश के लिए उपाय करना एवं राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार करना।
6. पारेषण और वितरण हानियों को कम करना।
7. ऊर्जा संरक्षण हेतु समुचित रूप से व्यवस्थित अभियान छेड़ना।
8. परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने और इनके क्रियान्वयन की अवधि को कम करना।
9. सौर ऊर्जा के समुपयोजन के लिए सघन रूप से अनुसंधान संबंधी कार्य करना।
10. न्यूकलीय विद्युत कार्यक्रम की आवश्यकता को बढ़ावा देना।
11. मिनी और माइक्रो बल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना।
12. विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

(घ) और (ङ) : सुझावों में दर्शाए गए नीति संबंधी विभिन्न पहलुओं से संबंधित सिफारिशों का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए सुझावों को 23 व 24 जनवरी, 1989 को दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के हुए सम्मेलन में की गई प्रमुख सिफारिशें, आठवीं योजना में लगभग 38,000 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जानी सुनिश्चित करने, राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन और प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने, पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से आठवीं योजना की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, ऊर्जा संरक्षण के लिए दस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने, यदि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से निधियों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, तो इसको प्रोत्साहन देने, विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अधिक महत्व देने, यदि वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य हो तो अन्तःक्षेत्रीय पारेषण लाइन और राष्ट्रीय ग्रिड प्रतिष्ठापित करने तथा कम अवधि में निर्माण की जाने वाली गैस आधारित परियोजनाओं को अधिक महत्व देने के बारे में उपायों से संबंधित थीं।

रुग्ण और बन्द किये गये उद्योग

2555. श्री के. पी. उन्नी कृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1985 से अब तक वर्ष वार और राज्य वार कितने बड़े उद्योग रुग्ण और बंद हो चुके हैं।

(ख) वर्ष 1985 से रुग्ण उद्योगों के बंद हो जाने के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं,

(ग) क्या इन उद्योगों को पुनः चालू करने का कोई कार्यक्रम चल रहा है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं तथा बन्द हुए औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं। वर्ष 1985, 1986 और 1987 के लिए उपलब्ध नीवनतम सूचना के अनुसार रुग्ण एककों और बन्द हुए एककों के आंकड़े विवरण-1 में संलग्न हैं। 1988 (नवम्बर, 1988 तक) के लिए औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों से बन्द हुए औद्योगिक एककों के अनन्तिम आंकड़े विवरण-2 में संलग्न हैं।

(ख) एकक बन्द होने से प्रभावित कामगारों की संख्या सम्बन्धी वर्ष वार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	प्रभावित कामगार (अनंतिम) (औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों में तथा बन्दी शामिल है)
1985	31,268
1986	27,999
1987	19,034
1988 (अक्तू. नवम्बर)	8,842

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की पूरे देश के लिए समान नीति है. इस नीति के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं :...

(1) सरकार ने "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 नामक एक व्यापक कानून बनाया है। कम्पनियों की समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" के नाम से एक अर्ध-कानूनी निकाय स्थापित किया गया है, जिसने मई, 1987 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(2) मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा औद्योगिक रुग्णता का प्रारम्भिक अवस्था में

पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सम्भावित जीव्य एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के भी निदेश दिए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं जिनमें वे मानदण्ड दर्शाए गए हैं जिनके तहत बैंक बड़े और लघु दोनों क्षेत्रों में सम्भावित जीव्य रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूछे बिना राहतें और रियायतें मंजूर की जा सकती हैं।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता की घटनाओं को कम करने में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक सीमान्त धनराशि योजना शुरू की है। उदारीकृत योजना के अधीन पुनर्स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

विवरण 1

बड़े रुग्ण एककों तथा बन्द हुए औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरे वर्षवार आंकड़े

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर, 1985		दिसम्बर, 1986		जून, 87	दिसम्बर, 87
	एककों की संख्या	बन्द हुए एककों की संख्या	एककों की संख्या	बंद हुए एककों की संख्या	एककों की संख्या	बन्द हुए एककों की संख्या
1	2	3	4	6	6	7
आन्ध्र प्रदेश	37	4	44	3	66	7
असम	2	*	7	1	6	2
बिहार	17	3	17	7	26	2
गुजरात	62	29	68	39	115	41
हरियाणा	16	7	17	19	41	4
हिमाचल प्रदेश	—	*	—	6	7	*
जम्मू और कश्मीर	—	1	—	1	—	*
कर्नाटक	33	3	43	2	62	*
केरल	16	30	20	*	27	3
महाराष्ट्र	146	57	161	72	238	83

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	22	5	26	1	30	*
उड़ीसा	7	3	10	1	10	1
पंजाब	4	2	6	4	30	1
राजस्थान	13	27	11	9	36	5
तमिलनाडु	50	17	53	10	105	3
उत्तर प्रदेश	66	14	68	10	67	8
गोवा, दमन और द्वीव	5	1	4	4	16	2
पं. बगाल	132	*	146	14	146	3
दिल्ली	4	*	7	27	19	24
दादर और नगर हवेली	—	*	—	*	1	*
चण्डीगढ़	1	*	2	*	3	*
पाण्डिचेरी	3	*	3	*	4	
त्रिपुरा	1	1	1	1	1	*
मेघालय	—	*	—	*	1	*
योग :	637	204	714	231	1057	109

नोट : 1. जून, 87 के लिए रूग्ण एककों की संख्या के आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रूग्णता की नई परिभाषा के अनुसार रूग्ण मझौले एकक भी शामिल हैं।

2. * इस बात को दर्शाता है कि इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना या तो शून्य है अथवा उपलब्ध नहीं है।

3. बन्द हुए एककों के सम्बन्ध में ऊपर दिए गए सभी आंकड़े अनन्तिम हैं। 1985 के आंकड़ों में औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों में ताला बन्दी शामिल है।

विवरण-2

जनवरी, नवम्बर, 1988 के दौरान स्थायी रूप से बन्द हुए एककों की राज्यवार संख्या (अन्तिम)

राज्य	बन्द हुए एककों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	5
बिहार	1
गुजरात	12

1	2
हरियाणा	19
केरल	1
पंजाब	3
त्रिपुरा	3
उड़ीसा	4
राजस्थान	2
तमिलनाडु	5
महाराष्ट्र	70
दिल्ली	5
योग	130

नोट : शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना या तो शून्य है या उपलब्ध नहीं है ।

कोल इन्डिया लि. में घाटा

2556. श्री के. राममूर्ति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इन्डिया लि. में लगातार चल रहे घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वार्षिक परिचालन खर्च में चतुर्थ राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के परिणामस्वरूप खर्च में होने वाली वृद्धि शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार कोल इन्डिया लि. का कुल परिचालन खर्च क्या है और इस परिचालन खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) कोल इन्डिया लि. के घाटे को कम करने के संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि ।

(2) उपयुक्त कार्यशाला संबंधी समर्थन, विकसित स्पेयर प्रबंध व्यवस्था और उपकरणों की समय से पुनः स्थापना तथा परिचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार ।

(3) सुधरी श्रम शक्ति आयोजन जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक

व्यर्थता के कारण हुए रिक्त स्थानों पर नई नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(4) शक्ति उत्पादक कारकों की विस्फोट क्षमता और सुधरी सामग्री नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार करके अतिरिक्त पुर्जों तथा विभिन्न अन्य आयातों की खपत में मितव्ययिता।

(5) लागत में कमी लाने वाले उपायों का विकसित प्रबोधन।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों जैसे उपभोक्ताओं के संबंध में कुल वसूली योग्य बकाया राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) कोल इन्डिया लि. द्वारा अनवरी, 1989 के मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1988-89 के लिए कच्चे कोयले के उत्पादन की अनुमानित अन्तिम परिचालन लागत 243.92 रुपए प्रति टन है। इस राशि में चौथे राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते से पड़ने वाला प्रभाव शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 1.1.1986 से दी गई अन्तरिम राहत का पड़ने वाला प्रभाव शामिल है। परिचालन लागत को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

त्रिचूर, केरल में टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना

2557. श्री पी. ए. एन्टनी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिचूर में टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब चालू किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) इस समय, केरल के त्रिचूर में सातवीं योजना के अन्तर्गत टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

महाराष्ट्र में पशु शव संग्रहण केन्द्र

2558. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में और पशु शव संग्रहण केन्द्रों और पशु चर्म परिष्करण इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता है ताकि इस समय जो पशु चर्म बेकार जा रहा है उसका लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने में सदुपयोग किया जा सके,

(ख) महाराष्ट्र में इस समय कार्यरत ऐसे केन्द्रों की संख्या तथा स्थानों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) खाल उतारने के केन्द्रों के छः एकक महाराष्ट्र राज्य में वाप्ने (जिला थाणे), यवतमाल (रतनगिरी), कामनवाड़ी (जिला अमरावती), चिमूर (जिला चन्द्रपुर) और पथरोट (जिला अमरावती) में चल रहे हैं।

(ग) एक खाल उतारने का केन्द्र महाराष्ट्र राज्य के बी आई बोर्ड के जरिये मार्ग थमाहुले (रतनगिरी) में स्थापित किया जा रहा है और निकट भविष्य में नागपुर में भी खाल उतारने का एक सघन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

हिन्दी फीचर फिल्मों के प्रसारण हेतु इनका चयन

2559. **श्री शांताराम नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा अगले तीन महीनों में प्रसारण हेतु कितनी तथा किन-किन हिन्दी फीचर फिल्मों का चयन, किया गया है तथा मंजूरी प्रदान की गई;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित अधिकांश फीचर फिल्में वे हैं जो टिकट खिड़की पर असफल रही थी; और

(ग) फिल्मों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने से लेकर इन्हें प्रसारित किये जाने तक इनके चयन में तथा इन्हें मंजूरी प्रदान करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) अगले तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट के लिए निम्नलिखित 12 हिन्दी फीचर फिल्मों को अनुमोदित किया गया है :—

1. बातों बातों में	7. एग्रीमेंट
2. सौतन	8. मां और ममता
3. ईमान	9. 36 घण्टे
4. एक चादर मैली सी	10. आदमी सड़का का
5. स्पर्श	11. प्यार का सपना
6. अनुरोध	12. जान दोस्त

(ख) जी, नहीं।

(ग) साधारणतया, दूरदर्शन टेलीकास्ट के लिए केवल उन्हीं फीचर फिल्मों पर विचार करता है जिनके टेलीकास्ट के लिए निर्माता/अधिकार-धारक पेशकश करते हैं। सभी प्रस्तावों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाती है तथा तदनुसार उन पर क्रम संख्या डाली जाती है। तत्पश्चात् फिल्म चयन समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। यह समिति उन फिल्मों का चयन करती है जो दूरदर्शन पर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए मानदण्डों को पूरा करती हैं। बाद में

चयनित फिल्मों को फिल्म श्रेणीकरण समिति के सम्मुख रखा जाता है जो रायल्टी के भुगतान के प्रयोजन से फिल्मों को उनकी समग्र गुणवत्ता के आधार पर "क", "ख+" और "ख" श्रेणियों में रखती है। चयन और श्रेणीकरण पूरा हो जाने पर, अनंतिम रूप से तिमाही टेलीकास्ट तालिका तैयार की जाती है ताकि दर्शकों को तिमाही के दौरान विषय वैविध्य, कलाकारों और निर्देशकों के बारे में जानकारी उपलब्ध की जा सके।

बिहार में विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

2560. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पाच वर्षों या इससे अधिक समय से बिहार में सभी डाकघरों विशेषरूप से उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों में ई. डी. डी. ए. और ई. डी. डी. ए. एम. के रूप में कार्यरत विभागेत्तर कर्मचारियों को 500/-रुपए प्रति माह से कम वेतन मिल रहा है और अनेक स्थानों पर उन्हें केवल 350/-रुपए प्रतिमाह मिलते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन डाक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें स्थाई करने तथा उन्हें नियमित और स्थाई कर्मचारियों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक (अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में ई. डी. डी, ए. एम. का कोई पद नही है (अंशकालिक कर्मचारी हैं और इन्हें सामान्यत: प्रतिदिन 2 से 5 घंटे की अवधि के लिए ड्यूटी करनी होती है। उनके भत्तों का निर्धारण उनके कार्यभार के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम के बीच किया जाता है। इस समय उन्हें निम्नलिखित दरों पर भत्तों की अदायगी की जाती है :—

	1.1.1986 से देय भत्तों का ब्यौरा	
	न्यूनतम	अधिकतम
(1) 2 घन्टे से कम कार्यभार के लिए	240 रु.	
(2) 2 से 5 घन्टे के कार्यभार के लिए	270 रु.	420 रु.

उपयुक्त मुल भत्तों के अतिरिक्त, जहां-कहीं लागू होता है, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट/अतिरिक्त, विभागीय डाक वाहक प्रतिमाह 20/-रु. के साइकिल भत्ते की अदायगी के भी पात्र हैं। 1.1.86 से वे समय-समय पर विभागीय कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले महगाई भत्ते को भी पाने के हकदार हैं।

(ख) जी नहीं। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

[अनुवाद]

2561. श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में किए गए केन्द्रीय निवेश का, प्रतिशत-वार वितरण सहित, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन निवेशों से रोजगार के राज्य-वार कितने नए अवसर उत्पन्न हुए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) सकल परिसम्पत्ति के रूप में केन्द्रीय पून्जी निवेश तथा रोजगार की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा हर वर्ष बजट सत्रों के दौरान सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 में तालिका 1.16 में उपलब्ध है। 1987-88 का सर्वेक्षण 27.2.1989 को सभा-पटल पर रखा गया था। पैदा किये गये रोजगार के नये अवसरों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पैदा किये गये रोजगार के नये अवसरों (लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01
3.	असम	0.03
4.	बिहार	शून्य
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	शून्य
7.	हरियाणा	0.02
8.	हिमाचल प्रदेश	0.03
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.02
10.	कर्नाटक	शून्य
11.	केरल	0.01
12.	मध्य प्रदेश	शून्य
13.	महाराष्ट्र	0.60
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय	शून्य

1	2	3
16.	मिजोरम	0.01
17.	नागालैंड	0.01
18.	उड़ीसा	0.05
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	0.02
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	0.06
23.	त्रिपुरा	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	0.17
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य
26.	अण्डमान एवं निकोबार	शून्य
27.	चण्डीगढ़	शून्य
28.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य
29.	लक्यद्वीप	शून्य
30.	दमन एवं दीव	शून्य
31.	दिल्ली	0.25
32.	पाण्डिचेरी	0.02
33.	अन्य	शून्य

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में दूरदर्शन कार्यक्रमों का देखा जाना

2562. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक महाराष्ट्र के कितने जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जाते हैं और उनके जिले वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सह्याद्रि पर्वतमाला के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण जो कोंकण क्षेत्र में संघ सासाराम तथा कोल्हापुर के उपरिघाट जिलों में कोंकण समुद्रतट को अलग करता है दूरदर्शन कार्यक्रम रत्नागिरि शहर के आस-पास के कुछ क्षेत्रों में ही देखे जा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो रत्नागिरि जिले के चिपलन खाड़, संगमेश्वर तथा राजापुर जैसे शहरों में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) क्या चिपलम तथा राजापुर नगरपालिकाओं ने अपने निजी स्रोतों से कम शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीशन केन्द्र अथवा एंटिना की व्यवस्था करने की इच्छा जाहिर की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) महाराष्ट्र के सभी 30 जिले इस समय डी. टी. सेवा से पूर्णांकपेण अथवा आंशिक रूप से कवर होते हैं।

(ख) टी. वी. सिगनलों का प्रेषण दृष्टिगोचर दूरी तक सीमित होता है और इसलिए किसी पहाड़ी आकृति वाले भूभाग में कवरेज की दूरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) रत्नागिरि जिले के चिपलन, खेड, संगमेश्वर और राजपुर शहर, रत्नगिरि में कार्यरत अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के कवरेज से बाहर पड़ता है, इसलिए यहां इसकी सेवाएं प्राप्त होने की आशा नहीं है। देश के टी. वी. सेवा से कवर न हुए भागों में, जिनमें महाराष्ट्र का रत्नागिरि जिला भी शामिल है, टी. वी. विस्तार की भावी योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

(घ) 1985 में सरकार द्वारा वीचित राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, कोआपरेटिवों निजी संस्थानों आदि द्वारा दूरदर्शन, ट्रांसमीटरों के लिए धन की व्यवस्था करने की स्कीम के अन्तर्गत चिपलन और राजापुर के नगर परिषदों से दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वी. के. कृष्ण मेनन पर वृत्तचित्र

2563. श्री टी. बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी. के. कृष्ण मेनन पर एक वृत्तचित्र तैयार करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग ने श्री वी. के. कृष्ण मेनन पर एक 20 मिनट का वृत्तचित्र बनाने का कार्य जाने-माने फिल्म निर्माता श्री जी. अरविन्द को सौंपा है। इस समय यह वृत्तचित्र स्क्रिप्ट अवस्था में है।

मैसूर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2564. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक मैसूर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदकों के नाम थे;

(ख) सरकार ने टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 1989 के दौरान मैसूर शहर में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मैसूर शहर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार 1457 है।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए 4000 लाइनों का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर आवंटित किया गया है जिसके आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में चालू हो जाने की संभावना है। इससे प्रतीक्षा सूची में इन्तजार कर रहे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

(ग) वर्ष 1989 के दौरान और अधिक कनेक्शन दिए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि मौजूदा एक्सचेंज पहले ही अपनी क्षमता का 55 प्रतिशत भार वहन कर रहा है।

दक्षिण के बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन

2565. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बेसिन क्षेत्र में तेल और गैस का अनुमानत: कितना भण्डार है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिण बेसिन क्षेत्र में कार्य आरम्भ कर दिया है; और

यदि हां, तो दक्षिण बेसिन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) 1.1.1988 को लगाये गये अनुमान के अनुसार बेसिन के संबंधित क्षेत्र के स्थानिक भूगर्भीय भण्डार अनुमानत: इस प्रकार हैं :—

(1) तेल

(2) गैस

(ख) दक्षिणी बेसिन काम्पलेक्स में दो गैस प्रोसेस प्लेटफार्म-अर्थात् बी. पी. ए. और बी. पी. बी. है। चरण-1 के बी. पी. ए. काम्लैक्स को चालू कर दिया गया है।

(ग) इस समय दक्षिणी बेसिन क्षेत्र से लगभग 4/5 मि. घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया जा रहा है। दक्षिणी बेसिन क्षेत्र के पूर्णत: विकसित होने पर इस क्षेत्र से 20 मि. घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्लेटयू उत्पादन किया जाना सम्भव हो जाएगा। दक्षिणी बेसिन से फिलहाल क्रूड तेल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में तेल का उत्पादन इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

कच्चे तेल का आयात

2566. श्री आर. एस. मोये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितने कच्चे तेल का आयात किया गया और गत दो वर्षों के दौरान किए गए आयात की तुलना में यह कितना है; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इस आयातित कच्चे तेल का तेलशोधक कारखाने-वार कितना आवंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा इस प्रकार है .—

मात्रा : मिलियन टन

1985-86	1986-87	1987-88 (अस्थायी)
15.144	15.476	18.045

(ख) मालसूचि सहित इस आयातित कच्चे तेल का रिफाइनरी वार आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े हजार टन में)

	एचपीसी (बंबीवाई)	बीपीसी (बीबीवाई)	सीआरएल	एमआरएल	विजाग	हल्दिया	बडोदरा	योग
1985-86	3535	90	630	2726	589	2841	4898	15309
1986-87	3463	126	996	2540	1161	2677	4443	1540
1997-88	3514	1249	1556	2848	1356	2796	4983	18302

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

2567. श्री एच. बी पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश और विदेशों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इन्डिया लिमिटेड ने मई, 1988 में वियतनाम के अपतट में अन्वेषण के लिए पेट्रोलियम उत्पादन साझेदारी संविदा की है। पहले चरण में भूकम्पीय कार्य तथा खोजी ड्रिलिंग पर 21.5 मिलियन अमरीकी डालर खर्च आने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं की प्रगति आमतौर पर संतोषजनक है। क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कारपोरेट क्षेत्रीय और परियोजना स्तर पर अपनी परियोजना निगरानी प्रणाली है। यह मंत्रालय भी विभिन्न समीक्षा बैठकों में तथा ई. आई. एल. के. मन्त्रालय निगरानी कक्ष के द्वारा भी परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। समस्या मूलक क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। और ऐसी निगरानी के परिणाम-स्वरूप पाई गई बाधाओं को दूर किया जाता है।

विवरण

ओ. एन. जी. सी. द्वारा क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

1.	अतिरिक्त आयल रिकवरी बम्बई हाई-साऊथ से	781.54
2.	डेवलपमेंट आफ साऊथ बेसिन गैस फील्ड-फेस-II	246.48
3.	गैस स्वीटनिंग प्लांट-II	204.65
4.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम प्रोजेक्ट	700.90
5.	सी 2 सी 3 रिकवरी प्लांट	135.22
6.	कैप्टिव पावर प्लांट—ईस्ट रीजन	26.03
7.	अतिरिक्त डेवलपमेंट आफ बाम्बे हाई नार्थ	218.12
8.	डेवलपमेंट आफ हीरा फील्ड फेस-II	682.02
9.	गैस लिफ्ट स्कीम	561.30
10.	गंधार डेवलपमेंट, फेस-I	326.68
11.	डेवलपमेंट आफ बी-131 स्ट्रक्चर	52.14
12.	डेवलपमेंट आफ बी-57 स्ट्रक्चर	76.03
13.	डेवलपमेंट आफ बी एच-22 स्ट्रक्चर	76.49
14.	डेवलपमेंट आफ बीएच-25 स्ट्रक्चर	74.96

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा "सी-बोर्न" मशीनरी का आयात

2568. श्री एच. वी. पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज संबंधी अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारी मात्रा में "सी-बोर्न" मशीनरी और प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में ही ऐसे उपस्करणों के निर्माण के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान "आफ-शोर" (तट से दूर) सप्लाई करने वाले जलयानों, रिग्स और अन्य समुद्री उपकरण किन विदेशी कम्पनियों से मंगाए गये और ये कम्पनियां मूलतः किस देश की हैं और ऐसी प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितने मूल्य का आर्डर (आदेश) प्राप्त किया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लि. द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान आयात किये गये उपस्करों और मशीनों का कुल मूल्य 621.72 करोड़ रुपए था।

(ख) तेल क्षेत्र के उपस्करों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू विनिर्माताओं को अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये हैं जैसे कीमत में वरीयता, निर्यात मानकर लाभ देना आदि।

(ग) अपेक्षित सूचना में निहित मदों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुये यह जानकारी बहुत बड़ी हो जायेगी और इस जानकारी को एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले वांछित उद्देश्य के अनुकूल नहीं होगा।

दूरदर्शन राष्ट्रीय नेट वर्क का कार्यक्रम प्रसारण

2569. श्री विजय एल. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से क्षेत्रों में दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम नहीं दिखाये जाते हैं; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान किन-किन स्थानों को दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क प्रसारण क्षेत्रों में शामिल करने के लिये चुना गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) इस समय टी. वी. सेवा, देश के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र और लगभग 3 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। यह सेवा सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के मुकम्मल हो जाने पर 68 प्रतिशत क्षेत्र और 83 प्रतिशत जनसंख्या तक बढ़ जाएगी।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान जहां टी. वी. परियोजनाओं को सेवा के लिए चालू करने की आशा है, ऐसे राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1989-90 के दौरान चालू होने वाली दूरदर्शन परियोजनाएं

राज्य		टी. वी. केन्द्र
असम	1.	कार्यक्रम निर्माण एवं पोषण केन्द्र, गुवाहाटी
	2.	स्थाई स्टूडियो केन्द्र, गुवाहाटी
	3.	स्टूडियो केन्द्र, डिब्रूगढ़
	4.	स्टूडियो केन्द्र, सिलचर
	5	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, धुब्री, कोकराझार तथा नोगांव में
आंध्र प्रदेश	1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अनन्तपुर
	2.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3 आदिलाबाद, रामगुंडम और श्रीकाकुलम में
	3.	विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में 2 ट्रांसपोजर
अरुणाचल प्रदेश	1.	स्टूडियो केन्द्र ईटा नगर
	2.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट) ईटानगर
	3.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-10 (अनिनी, बसर, चांगलंग, दापारिजों, दिरांग, हायूलियांग, खोंसा, मियाओ, राग्रा और रोइंग में)
बिहार	1.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, डाल्टनगंज
	2.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, मुजफ्फरपुर
	3.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर डाल्टनगंज
	4.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कटिहार
	5.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-13, चाईबासा. देवघर, दुमका, गिरिडीह, फारबेसगंज, गोपालगंज. खगरिया, मोतीपुर, मधुबनी, सहरा, सासाराम, सीतामढ़ी और सिवान में)
गुजरात	1.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, जामनगर में
	2.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, काकरापार में
हरियाणा	1.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, नारनोल में
हिमाचल प्रदेश	1.	हमीरपुर और कालपा में अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-2
	2.	ट्रांसपोजर-1, सोलन में।
गोवा	1.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, पणजी

जम्मू और कश्मीर	1.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-6, भदरवा, डोडा, किश्तवाड़, कूपवाड़ा, पहलगांव और रामबाण में
कर्नाटक	1.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, गुल गुलबर्गा
	2.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धारवाड़
	3.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, शिमोगा
	4.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-2, चित्रदुर्ग और कारवाड़ में
केरल	1.	इडुक्की और पठानम थिट्टा में 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
मध्यप्रदेश	1.	स्टूडियो केन्द्र, भोपाल
	2.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, रायपुर
	3.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, ग्वालियर
	4	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, जबलपुर
	5.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, रायपुर (शक्ति बढ़ाना)
	6.	बालाघाट, झाबुआ, खरगांव, मंडला, रायगढ़, राजगढ़, सतना और सियोनी में 8 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
मेघालय	1.	स्टूडियो केन्द्र, शिलांग
	2.	स्टूडियो केन्द्र, तुरा
	3.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट), शिलांग
	4.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, नांगस्टाइन में
महाराष्ट्र	1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पुणे (शक्ति बढ़ाना)
	2.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अम्बाजोगई
	3.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, औरंगाबाद
	4.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, इचलकरंजी में
	5.	ट्रांसपोजर-2, औरंगाबाद और जुन्नार में
मणिपुर	1.	स्टूडियो केन्द्र, इम्फाल
	2.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, चांदेल, खेनापुठी और तमेंगलांग में
मिजोरम	1.	स्टूडियो केन्द्र, आइजोल
	2.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट), आइजोल
	3.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, सेहा में
नागालैंड	1.	स्टूडियो केन्द्र, कोहिमा
	2.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-4, मोन, पेक, वोखा और जुन्हेबोटो में

उड़ीसा	1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बलांगीर पटना ।
	2.	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, भंगानगर बोलनगीर और क्योझरगढ़ में
	3.	ट्रांसपोजर-1, सोनापाडा में ।
पंजाब	1.	गुरदासपुर में 1 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
राजस्थान	1.	चुरू, झलवाड़, सीकर और सवाईमाधोपुर में 4 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	2.	झालरापाटन में 1 ट्रांसपोजर
सिक्किम	1.	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-2, ग्यालशिंग और नामची में
तमिलनाडु	1.	कुड्डालूर तिरुनेलवेल्ली में 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	2.	कोटैलम और उडगमंडलम में 2 ट्रांसपोजर
त्रिपुरा	1.	स्टुडियो केन्द्र, अगरतला
उत्तर प्रदेश	1.	हरिद्वार, उरई, पूरनपुर और सीतापुर में 4 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	2.	भटियारी, धारचूला, रानीखेत और उत्तरकाशी में 4 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	3.	नरेन्द्र नगर, ओरछा और श्रीनगर ।
पश्चिम बंगाल	1.	अलीपुरद्वार, लिम्पोंग और मेदिनीपुर में 3 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, पोर्टब्लेयर
पांडिचेरी	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, पांडिचेरी
लक्षद्वीप समूह	किल्टान में अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

शीर्षक

पी. जी. एफ—कार्यक्रम निर्माण सुविधा

2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर—उ.शु.ट्रा.

एल. पी. टी.—उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

एच. पी. टी.—उच्च अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

वी. एल. पी. टी. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन

2570. श्री विजय एन. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ;

(ख) क्या बड़े समाचार पत्रों को छोटे समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक विज्ञापन मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस असमानता को किस तरह दूर करने का विचार है ताकि छोटे और मझोले समाचार पत्रों को अधिक प्रोत्साहन मिल सके ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) समाचार पत्रों पत्रिकाओं को विज्ञापन सरकार की विज्ञापन नीति को ध्यान में रखकर जारी किए जाते हैं । विज्ञापन नीति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) विज्ञापन नीति, प्रचार अपेक्षाओं तथा विधियों की उपलब्धता के अनुसार विज्ञापन जारी किए जाते हैं । वर्गीकरण के आधार पर विज्ञापन नहीं दिए जाते क्योंकि ये समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने के उपाय के लिए नहीं बने हैं ।

विवरण

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

(भारत सरकार की विज्ञापन नीति)

(अ) प्रस्तावना :

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों की ओर से विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है । अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उद्यम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं ।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छपाने वाले समाचार पत्रों तथा विज्ञान, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों की मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से यथासंभव अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है । सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिबद्धता या संपादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है । फिर भी ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जाएगें, जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर आघात करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों संबंधी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों ।

(ब) नीति निर्देश:

1. सरकारी नीति में प्रचार आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों को एक संतुलित और सम्यक आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाता है । सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचार पत्र/पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है । सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं के बीच दरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र/पत्रिकाओं को उपलक्ष छूट (रेटेज) दिया जाएगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :

(अ) छोटे और मझोले समाचार पत्र/पत्रिकाएं ।

(आ) विशेष सामग्री युक्त, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं ।

(इ) भाषाई समाचार पत्र/पत्रिकाएं ।

(ई) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं ।

2. छोटे, मझोले, व बड़े समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :

(अ) छोटे-जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो ।

(आ) मझोले-जिनकी प्रसार संख्या 15,000 से 50,000 प्रति अंक के बीच हो ।

(इ) बड़े-जिनकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति अंक से अधिक हो ।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन मे नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखा जाएगा—:

(अ) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषत: राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुँचाना ।

(आ) विज्ञापन में निहित सन्देश के आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के सम्बद्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुँचाना । छोटे और माध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को प्रेरक तथा शिक्षा अभियानों के बारे में विज्ञापन देने को विशेष ध्यान में रखा जाएगा ।

(इ) समाचार पत्र/पत्रिकाएं/प्रकाशन की कोई अन्य श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझे ।

(ई) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ।

4, वि. दृ. प्र. नि. ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम बिक्री प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस संबंध में छूट दी जा सकती है—

(अ) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो ।

(ब) संस्कृत के समाचार पत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमांत प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन-जातीय भाषा या जन-जातीय लोगों के लिए छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं तथा जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं जिनकी बिक्री प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो ।

5. समाचार पत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा हो और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन किया गया हो । त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा ।

6. समाचार पत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :

आवृत्ति	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम से. मी.
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम से. मी.
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम से. मी.

ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन जातीय भाषा या मुख्यतः जन जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं।

7. सभी समाचार पत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टड एकाउटेंट या लेखाओं से संबंधित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्थान से प्रमाणित होनी चाहिए लेकिन जिन समाचार पत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियों तक है वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टड एकाउटेंट) या सम्बद्ध जिला दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी समाचार पत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी, तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए आयोग्य घोषित करने के आलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(ख) विज्ञापन दर :

सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा वि. दृ. प्र. निदेशालय द्वारा उन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई है वि. दृ. प्र. नि. अलग-अलग पत्र पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबंध करेगा।

उड़ीसा में कोयला परियोजनाओं के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य की सहायता

2571. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में जर्मन जनवादी गणराज्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुनी गई विभिन्न कोयला परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ग) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य की सहायता से विकास के लिए उड़ीसा में भी किसी कोयला परियोजना को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जर्मन जनवादी गणराज्य (जी. डी. आर.) ने भारत में कोयला के क्षेत्र को विकसित किए जाने में द्विपक्षीय सहयोग करने में दिलचस्पी दिखाई है। अभी तक इन्डो जी. डी. आर. सह-

योग के लिए विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में महाराष्ट्र में नीलजय ओपेनकास्ट परियोजना में खनन की निरंतर पद्धति के उपयोग पर जी. डी. आर. की परामर्शदात्री फर्मों द्वारा व्यवहार्यता अध्ययनों की तैयारी किया जाना, और मध्य प्रदेश में बिसरामपुर की ओपेनकास्ट परियोजना के खनन किए हुए क्षेत्र में सुधार किया जाना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन

[हिन्दी]

2572. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंथेटिक रबर का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है और यह उत्पादन देश की कुल माँग का कितने प्रतिशत है,

(ख) इसके लिए कच्चा माल किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है और कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध है,

(ग) क्या कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) से (घ) इस समय देश में सिंथेटिक रबड़ का वार्षिक उत्पादन लगभग 45,000 टन है (बरेली में एस बी आर एकक से जिसकी लाइसेंसशुदा क्षमता 32,000 टन प्रतिवर्ष है और बडोदा में पी बी आर एकक से जिसकी लाइसेंसशुदा क्षमता 20,000 टन प्रतिवर्ष है), जो देश की कुल मांग का लगभग 55% है। सिंथेटिक रबड़ के विनिर्माण हेतु अतिरिक्त क्षमताएं अनुमोदित दी गई हैं और वे स्थापित की जा रही हैं।

छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन

2573. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाएं तैयार की हैं और इन्हें समय समय पर अमल कर रही है।

(ख) मुख्य योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. उद्यमिता विकास योजना

तकनीकी योग्यता जैसे, डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योग प्रारम्भ करने का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसे उद्यमियों को तीन महिने का प्रशिक्षण देने के लिए 1970 में एक योजना शुरू की थी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लघु उद्योग स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया था।

2. शिक्षित बेरोजगार के लिए योजना

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीज उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित बेरोजगारों, ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, रक्षा कार्मिकों, समाज के कमजोर वर्गों, जनजाति के लोगों, विद्यार्थियों इत्यादि जैसे लक्ष्य समूहों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार ने 1978 में एक योजना शुरू की थी। इस प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह और एक महीने के बीच होती है।

3. जिला उद्योग केन्द्र

ग्राम्य और लघु उद्यमियों के लिए आवश्यक सभी सेवाएं और सहायता जिला उद्योग केन्द्र के अधीन एक ही स्थान पर प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 1978-79 में प्रारम्भ हुई योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन दिया जाता है और इस कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। फिर भी, संघ शासित क्षेत्रों के मामले में 100% सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है देश में कुल 436 जिलों में से 431 जिलों में लघु उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 422 जिले उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

4. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना

सहायता पैकेज के माध्यम से उद्योग, सेवा और व्यापार में स्वरोजगार उद्यम प्रारम्भ करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बढ़ावा देने के लिए 1983-84 में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी। उद्यमियों को बैंकों से मिलने वाले ऋणों के 25% तक कुल पूंजी राजसहायता के रूप में केन्द्र सरकार से यह सहायता मिलती है। यह योजना (1981 की जनगणना के अनुसार) 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अलावा देश के सभी क्षेत्रों में लागू है।

यह योजना उन सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर लागू होती है जो मैट्रिकुलेट (दसवीं पास) हैं और 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं। महिलाओं और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को यथोचित ध्यान और महत्व दिया जाता है। 1986-87 से कुल स्वीकृतियों का कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आई. टी. आई. उत्तीर्ण युवा भी अब उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने के पात्र हैं। 1986-87 से इस योजना के अधीन पात्रता के लिए मानदंड के रूप में प्रति परिवार 10,000/-रु. की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है।

कम से कम 50% उद्यम उद्योग मार्ग से होने चाहिएं और 30% से अधिक उद्यम लघु व्यापार से संबंधित नहीं होने चाहिएं।

5. राष्ट्रीय पुरस्कार

उद्यम में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इन वार्षिक पुरस्कारों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार के लिए क्रमश: 25,000/-रु., 20,000/-रु. और 15,000/-रु. के नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक ट्राफी और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा भाग लेने के वाले प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से उद्यमियों को 10,000/-रु. के नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक ट्राफी और एक प्रमाण पत्र के रूप में एक विशेष मान्यता पुरस्कार भी दिया जाता है।

श्रेष्ठता पुरस्कार

लघु उद्यमियों द्वारा श्रेष्ठ उत्पादों का उत्पादन करनेकर ने को बढ़ावा देने और उनके बीच गुणवत्ता के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 चुने हुए उद्योग समूहों में श्रेष्ठ उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए 1986 में एक योजना शुरू की थी। इस योजना में पता लगाए गए प्रत्येक उद्योग समूह में 15,000/-रु. के दो पहले और 10,000/-रु. का दूसरा नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था है।

फिल्म उद्योग की समस्यायें

[अनुवाद]

2574. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को फिल्म उद्योग की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 से फिल्म उद्योग को क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 14 फरवरी, 1989 के आदेश संख्या 105/19/88-एफ (आई) के तहत फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7564/89] जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समिति का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय दिए गए हैं। समिति को अपनी पहली बैठक के छ: माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी अपेक्षित है। समिति की पहली बैठक अप्रैल, 1989 के प्रारम्भ में आयोजित करने की योजना है।

(ग) सरकार ने 1989-90 के बजट में फीचर फिल्मों के प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क कम करके उद्योग को राहत दी है। ऐसी फीचर फिल्म के प्रथम 30 प्रिन्ट उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट के लिए पात्र होंगे जबकि बजट से पूर्व 12 प्रिंटों को छूट प्राप्त थी। बाद के प्रिन्टो पर उत्पादन शुल्क की दरें भी कम कर दी गई हैं।

लवण उद्योग में संकट

2575. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से लवण उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1985 से 1987 के दौरान नमक उद्योग में बहुत अधिक नमक का उत्पादन हुआ था। गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु जैसे मुख्य नमक उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति थी जिसके परिणामस्वरूप नमक निर्माण अवधि में वृद्धि की गई थी। मुख्यतया लोचरहित घरेलू मांग तथा स्थिर कुल औद्योगिक खरीद के कारण स्टाक जमा हो गया था।

(ग) सरकार ने नमक के अत्यधिक उत्पादन से उत्पन्न हुई संकट की स्थिति से निपटने के लिए समय पर कार्यवाही की थी। नमक के जमा स्टाक को निकालने के लिए घरेलू तथा निर्यात मांग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(I) सोडा ऐश/कास्टिक सोडा का उत्पादन करने वाले नए औद्योगिक एककों को लाइसेंस दे दिये गये हैं।

(II) खाद्य नमक को मार्गीकरण से मुक्त कर दिया गया है तथा इसे बिना किसी अधिकतम सीमा निर्धारित किए, खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अधीन रख दिया गया है।

(III) आयोडीन युक्त नमक के निर्यात को 5 लाख मी. टन वार्षिक अधिकतम सीमा सहित मार्गीकरण से मुक्त कर दिया गया है।

केरल में वायनाड जिले में एस. टी. डी. सुविधा

2576. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के वायनाड जिले में उपभोक्ताओं को कितने टेलीफोन एक्सचेंजों से एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं,

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इस जिले में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंजों को एस. टी. डी. नेटवर्क से जोड़े जाने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फिलहाल वायनाड जिले में केवल जिला मुख्यालय कलपेट्टा में ही एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में टी. वी. टावरों का निर्माण

2577. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन स्थानों पर बहुत ऊंचे टी. वी. टावरों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक टावर की ऊंचाई और धारित क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या देश में ऐसे कुछ और टावरों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इनके लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं;

(घ) क्या सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते गुजरात में भी ऐसे टावर के निर्माण का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके निर्माण के कब तक होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जहां 150 मीटर से अधिक ऊंचे टावरों पर आरूढ़ प्रेषण एन्टीनों के साथ दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं वे स्थान टावर की ऊंचाई और प्रत्येक ऐसे ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने वाला क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

स्थान	टावर की ऊंचाई (मीटर में)	कवर होने वाला क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
1. लखनऊ	175	25,300
2. कलकत्ता	175	26,600
3. मद्रास	175	18,600
4. दिल्ली	235	61,000
5. जालंधर	200	20,400
6. बम्बई	300	18,900

(ख) और (ग) जी, हां। सातवीं योजना के अंग के रूप में अनंतपुर, अमृतसर, अनूपगढ़, बाड़मेर, भुज, जबलपुर, जैसलमेर, जम्मू और रामेश्वरम में 150 मीटर से अधिक ऊंचाई के दूरदर्शन टावरों का निर्माण किए जाने का विचार है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अनुमोदित सातवीं योजना के अंग के रूप में गुजरात के भुज में 300 मीटर ऊंचे टावर पर आरूढ़ प्रेषण एन्टीना सहित उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को बदलकर) स्थापित करने की एक स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। भुज में प्रस्तावित उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1992-93 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

कोकिंग कोल की कमी

2578. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोकिंग कोल की कमी है और इसके कारण ऊर्जा के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान कोयले की मांग पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि अथवा इसका आयात करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोककर कोयले की आवश्यकता मुख्यत: इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात के उत्पादन के लिए होती है। अत: कोककर कोयले उपलब्ध होने अथवा न उपलब्ध होने से विद्युत उत्पादन, आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस्पात संयंत्रों के लिए देशी कोककर कोयले की आवश्यकताओं के अधिकतर कोयला कम्पनियों द्वारा पूरा किया गया है। किंतु इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले के आयात किए जाने की अनुमति मुख्यत: गुणवत्ता पर विचार करते हुए दी जाती है तथा कभी-कभी इसका आयात देशी उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) देशी कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि, चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है, जोकि उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं की स्वीकृति देकर और इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित कोककर कोयले को परिष्कृत करके की जानी है। आठवीं योजना के दौरान प्राइम कोककर कोयले का परिष्करण करने के लिए भा. को. को. लि. में 5.5 मि. टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली दो वाशरियों को चालू किए जाने की संभावना है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में 2 मि. टन प्रति वर्ष की मध्यम कोककर कोयले के वास्तविक उत्पादन की क्षमता वाली एक वाशरी निर्माणाधीन है।

विभागेतर कर्मचारियों की मांगें

2579. **डा. ए. के. पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों कर्मचारी संघों ने लिपिक श्रेणी के पदों में विभागेतर कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण करने की मांग के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई,

(ग) क्या यूनियनों ने सरकार द्वारा घोषित विभागेतर कर्मचारियों के संशोधित वेतन को स्वीकार कर लिया है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन अतिरिक्त विभागीय प्रणाली पर गठित की गई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यूनियनों ने इन संशोधनों को अस्वीकार नहीं किया है।

(ङ) विभागेत्तर कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान की अदायगी तभी की जाती है जब वे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 14.12.87 से अनुग्रह अनुदान के लिए वे कर्मचारी भी पात्र हैं जो चिकित्सा आधार पर सेवा-मुक्त हो जाते हैं।

विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगें

2580. **डा. ए. के. पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विभागेत्तर कर्मचारी यूनियन दिनांक 27 जनवरी, 1988 से 29 फरवरी, 1988 तक डाक तार भवन में धरने पर बैठी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अब तक उनमें से कितनी मांगे स्वीकार की हैं; और

(घ) शेष मांगों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं तथा किन-किन स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित किया जा चुका है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों और उन पर विभाग की प्रक्रिया संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को नियमित किया जाना

अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को मासिक भत्ते के आधार पर काम के निर्धारित घण्टों के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवाएं नियमित सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के समान नहीं होती। तथापि, वे भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों की उपलब्धता की सीमा तक परीक्षा के माध्यम से ग्रुप "घ"/पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए पात्र होते हैं।

2. अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को समान काम के लिए समान वेतन देना

अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को निश्चित न्यूनतम और अधिकतम के बीच निर्धारित मूल भत्ते दिए जाते हैं। उनके मूल भत्तों में हाल ही में, गहन पुनरीक्षा के बाद, संशोधन किया गया है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के लिए न्यूनतम 4 प्वाइन्ट कार्यभार माना गया है और प्रत्येक अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को उसके कार्यभार पर ध्यान दिए बिना, न्यूनतम 24/-रु. प्रतिमाह भुगतान करना निश्चित किया गया है। कुल मिलाकर, इस प्रक्रिया के अनुसार, अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को विभिन्न श्रेणियों को लाभ हुआ है। ऐसी प्रणाली में समान काम के लिए

समान वेतन की मांग को लागू नहीं किया जा सकता जहां भत्ते पूर्णतया एक अलग कार्यप्रणाली के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

3. वास्तविक परिलब्धियों पर बोनस देना

यूनियन के प्रतिनिधियों ने वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर बोनस देने की मांग की थी। इस प्रश्न को गहराई से जांच की गई और अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को 1987-88 के लिए पिछले वर्ष के 24/-रु. की तुलना में 285 रु. की मासिक परिलब्धियों के आधार पर बोनस का भुगतान करना स्वीकार कर लिया गया।

4. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को पुराने मानदंडों के अनुसार परिलब्धियों का भुगतान

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार प्वांइट सिस्टम को देखते हुए परिकलित किया जाता है। इससे पहले, मूल भत्ता अर्जित करने के लिए कुल 2 प्वांइट कार्यभार आवश्यक था और प्रत्येक अतिरिक्त प्वांइट के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। अब न्यूनतम भत्ते को 4 प्वांइट के कार्यभार के साथ जोड़ दिया गया है। इस फार्मूले के अनुसार जिन अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार 4 प्वांइट से कम है, उन्हें भत्ते के रूप में 275 रु. दिए जाते हैं और जिन अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार 4 प्वांइट से अधिक है उन्हें प्रति-माह 275/-रु. से 44/-रु. के बीच भत्ता दिया जाएगा। यदि भत्तों को न्यूनतम 2 प्वांइट के आधार पर निर्धारित कर दिया जाएगा, तो काफी बड़ी संख्या में अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के भत्ते 275/-रु. से भी कम निर्धारित करने होंगे।

5. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्टों और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक तथा अन्य फील्ड स्टाफ द्वारा की गई यात्रा को पैदल-यात्रा माना जाए।

1.1.1987 से पूर्व नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्टों और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहकों के मूल भत्तों को प्रोटेक्ट किया गया है। उनके मूल भत्तों पैदल गश्त पर परिकलित कार्यभार के आधार पर निर्धारित किए जाते रहेंगे और वे साईकिल भत्ते के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में आदेश 5.1.1988 को जारी किए गए हैं।

6. अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वैंडर्स को परिलब्धियां संशोधन-पूर्व मानकों के आधार पर दी जाएं।

मूल भत्ता कार्यभार के आधार पर निर्धारित यह है कार्यभार अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वैंडर्स के मामले में डाक टिकटों की बिक्री को देखते हुए परिकलित किया जाता है। चूंकि भत्ता, मानकों के अनुसार परिकलित कार्यभार से संबद्ध है, इसलिए कार्यभार को लागू मानकों के अनुसार परिकलित करना होता है।

7. सचूर समिति की सिफारिश के अनुसार 2 प्रतिशत लिपिकीय पद अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों के आरक्षित करना।

यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया क्योंकि संघों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

8. ड्यूटी से हटाने को ड्यूटी से निलम्बित समझा जाए।

ड्यूटी से हटाने को ड्यूटी से निलंबित मानने और अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को पर्याप्त भत्ते का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया गया लेकिन, चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है और जीवन-निर्वाह के लिए उनकी आय के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया।

9. किसी अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट को 4 घन्टे से कम समय के लिए नियुक्त न किया जाए।

अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को सामान्तया 2 से 5 घन्टों के बीच की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें कार्यभार के आधार पर भत्ते दिए जाते हैं। उन्हें कम से कम 4 घंटों की अवधि के लिए नियुक्त करना और उस आधार पर पारिश्रमिक देना संभव नहीं है।

10. एक कैटेगरी के रूप में सभी अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट को लेकर अलग यूनियन का गठन।

अतिरिक्त विभागीय प्रणाली समिति ने सिफारिश की कि नियमित कर्मचारियों की यूनियनों अशोसिएशनों के पदाधिकारियों को मिलने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को भी मिलनी चाहिए क्योंकि एक कैटेगरी के रूप में सभी अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को लेकर बनाई गई एक ही अशोसिएशन हो। तथापि, समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

11. पोस्टमैन/ग्रामीण पोस्टमैन/मेलगार्ड के संवर्ग में भर्ती पुराने सिलेबस के आधार पर की जाए।

अन्य बातों के साथ-साथ, भर्ती चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

विभागेतर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

2581. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए विभागेतर कर्मचारियों को उनकी आयु और योग्यता के संबंध में विभागीय कर्मचारियों के बराबर माना जाता है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या विभागेतर कर्मचारियों की लिपिक पदों पर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते। उनकी आय के अन्य

स्रोत भी हो सकते हैं और वे डाक विभाग लिए नियमित कर्मचारियों की तुलना में प्रतिदिन कम समय काम करते हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी नियमित कर्मचारियों की तुलना में कठोर होती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी बाहरी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे की लिपिकीय पदों की परीक्षा में बैठ सकते हैं। वे प्राथमिकता के आधार पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन ग्रुप "घ" पदों पर भी नियुक्ति के पात्र हैं अतः मौजूदा व्यवस्था में उनके लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं।

औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन, मांग और आयात

2582. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक अल्कोहल की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है,

(ख) क्या देश में अल्कोहल का उत्पादन मांग से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987 और 1988 में कितने अल्कोहल का आयात किया गया और वर्ष 1989 के दौरान कितना अल्कोहल आयात किया जायेगा और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी, और

(घ) औद्योगिक अल्कोहल की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले अल्कोहल वर्ष 1987-88 (दिसम्बर नवम्बर) के दौरान अल्कोहल का कुल उत्पादन 6361.85 लाख लिटर और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये अल्कोहल की वास्तविक खपत 2955.70 लाख लिटर रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि अल्कोहल का स्वदेशी उत्पादन देश में इसकी मांग से काफी अधिक रहा है अतः न तो 1987, 1988 के दौरान अल्कोहल का कोई आयात किया गया था और न 1989 के दौरान सरकार का आयात करने का कोई प्रस्ताव है।

(घ) देश में शीरे की उपलब्धता एवं आसवन क्षमता वर्तमान उत्पादन स्तर से काफी अधिक है जो मांग में कमी के कारण सीमित है। तथापि औद्योगिक अल्कोहल हेतु आसवनियों के लिये कुछ और लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लो डेंसिटी पोलिथिलिन और पोलिप्रोपिलिन की सप्लाई

2583. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक की कच्ची सामग्री लो डेनसिटी पोलिथिलिन और पोलिप्रोपिलीन का उत्पादन केवल इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल.) द्वारा ही किया जाता है और इसकी कम सप्लाई की जा रही है,

(ख) क्या सरकार को लो डेनसिटी पोलिथिलीन और पोलिप्रोपिलिन के प्रसंस्करण एककों से आई. पी. सी. एल. द्वारा उनके सीमित आवंटन से भी कम तदर्थ सप्लाई किए जाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है

(ग) यदि हां तो उपभोक्ताओं को लो डेनसिटी पोलिथिलिन और पोलिप्रोपिलिन का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है,

(घ) क्या सरकार का आई. पी. सी. एल. के वितरकों और उसके बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रतिमाह इसके ग्राहकों की सूचियां प्रकाशित करने का प्रस्ताव है जिसमें पिछले महीने के उनके आवंटन और वास्तविक रूप में की गई सप्लाई का ब्यौरा दर्शाया गया है।,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वैंगल राव) :(क) से (ग) इस समय इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई. पी. सी. एल.), देश में लो डेंसिटी पालिइथिलीन (एल. डी. पी. ई.) और पालीप्रोपिलीन (पीवी) का एक मात्र विनिर्माता है। चूंकि इन वस्तुओं की स्वदेशी उपलब्धता स्वदेशी मांग से काफी कम है अतः ओजीएल के अधीन एल. डी. पी. ई. और पीवी के आयात की अनुमति दी जाती है। प्लास्टिक प्रोसिसिंग संघों से आवंटन में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आई. पी. सी. एल. इन प्रोसिसिंग एककों को उनके द्वारा पूर्व काल में उठाई गई मात्रा के आधार पर सामग्रियों की आपूर्ति करता है। इसके अलावा नए एककों को काम शुरु करने में सहायता भी दी जाती है।

(घ) से (च) : चूंकि प्लास्टिक प्रोसेसिंग एककों की संख्या हजारों में है, अतः यह इन आंकड़ों को एकत्र करने में लगने वाले प्रयास के अनुरूप नहीं होगा।

इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लो डेंसिटी पालीथिलिन का आयात

2584. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1987 में कमी को पूरा करने के लिए इसी मूल की लो डेंसिटी पालीथिलिन का रुपयों में भुगतान करके आयात किया था,

(ख) क्या इन्डियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1980 में इसी मूल के लो डेंसिटी पालिथिलिन का आयात न करके अन्य देशों से बहुत अधिक मूल्य पर लो डेंसिटी पालिथिलिन का आयात किया और दुलर्भ विदेशी मुद्रा व्यर्थ ही व्यय की,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे,

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और लो डेंसिटी पालिथिलिन के लिए इन्डियन पेट्रो केमिकल्स को एक मुक्त मूल्य नीति को छोड़ने का है जिससे लो डेंसिटी पालिथिलिन के आयात व्यापार के मामले में सामान्य प्रतिस्पर्धा को बहाल किया जा सके,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री बी. वेंगल राव) : (क) से (ग) 1987 में इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई. पी . सी. एल.) ने रूस से लो-डेन्सिटी पालिइथिलीन (एल. डी. पी- ई.) प्राप्त करने के प्रयास किये थे। किन्तु रूसी प्राधिकारियों के साथ बात चीत करने के बाद उन्होंने उसकी सप्लाई करने में असमर्थता व्यक्त की। रूसी सामग्री प्राप्त करने के लिए मई, 1988 में आगे प्रयास किए गए थे लेकिन वे भी कार्यान्वित नहीं हुए।

(घ) से (च) सरकार का आई. पी. सी. एल. की एल. डी. पी. ई. के मूल्य निर्धारण की नीति में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है क्योंकि पूलिंग की धारणा से बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा अनेक प्रोसेसरों को लाभ पहुंचा है।

बायो गैस का उपयोग

2585. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायोगैस का घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कितना उपयोग किया जा रहा है और इससे चालू वर्ष के दौरान अन्य ईंधनों की कितनी बचत हुई है;

(ख) इसके व्यापक उपयोग की क्या संभावनायें हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस ऊर्जा स्रोत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) 10.8 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पहले ही घरेलू ईंधन प्रयोजनों के लिए बायोगैस का प्रयोग कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 38.18 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर बचत होने का अनुमान है जिसकी कीमत 152.75 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त इनसे प्रति वर्ष 152.02 रुपये की खाद तैयार होती है। इसके अलावा, 430 सामुदायिक/संस्थागत बड़े आकार के बायोगैस संयन्त्र स्थापित किए गए हैं। यहां पर औद्योगिक बहि:स्रावों, मल-जल, कृषि औद्योगिक अपशिष्टों आदि के शोधन के लिए बायोगैस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की संभावना है जिनके लिए प्रदर्शन प्रायोगिक संयत्रों की स्थापना भी की गई है।

(ग) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना जो परिवार आधारित बायोगैस संयंत्रों का प्रबन्ध करती है को सातवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है। इस परियोजना में तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता, संगठनात्मक सेवा प्रभारों, मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभारों, केन्द्रीय

आर्थिक सहायता, टर्न-की जाब फीस, खाद के उपयोग पर क्षेत्रीय प्रदर्शन, क्षेत्रीय विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के लिए प्रावधान है। सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के एक विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत, सरकार सामुदायिक संयन्त्रों की पूंजीगत लागत के 90 प्रतिशत तक और संस्थागत संयन्त्रों की लागत के 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

महाराष्ट्र में दूसरा तेल और गैस टर्मिनल

2586. **डा. दत्ता सामंत :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में दूसरी तेल-गैस टर्मिनल स्थापित किया जायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) राज्य में दूसरा तेल और गैस टर्मिनल स्थापित करने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध को सरकार ने नोट कर लिया है।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में बिजली की लाइनें

[हिन्दी]

2587. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली की कुछ पुनर्वास कालोनियों में लगाई गई बिजली की लाइनें बहुत ढीली और नीची होने की सूचना मिली है और इनसे गम्भीर दुर्घटनायें होने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार सरकारी भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने के पश्चात् इस स्थान के निवासियों द्वारा फालतू तारें काट दिये जाने के परिणाम स्वरूप पुनर्वास कालोनियों में कुछ बिजली की तारें ढीली हो गई हैं। बिजली के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए दिल्ली विद्युत संस्थान समुचित कार्यवाही कर रहा है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रसोई गैस की एजेंसियां

[अनुवाद]

2588. **श्री उत्तम राठौड** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में किनवात, भोकर, हिमायतनगर, धर्माबाद और हदगांव में रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां कब तक आबंटित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त स्थानों पर एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए तेल उद्योग द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा और मांग सम्भाव्यता तथा अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर तेल उद्योग इन्हें अपनी भावी-वार्षिक विपणन योजनाओं में शामिल करेगा।

मालापुरम में उच्च शक्ति के टी. वी. रिले ट्रांसमीटर की स्थापना

2589. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालापुरम केरल स्थित दूरदर्शन केन्द्र से घटिया प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम पर्दे पर साफ दिखाई नहीं देते है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें सुधार के लिऐ क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बदल दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) मालापुरम के अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की कवरेज, भूभागीय स्थिति और मध्यवर्ती घने पेड़-पौधों के कारण कुछ सीमित है। पिछले वर्ष, बार-बार विद्युत आपूर्ति फेल हो जाने के कारण सेवा में रुकावट आने की सूचनाएं मिली थीं। सेवा में रुकावटों को कम करने के लिए केन्द्र में एक डीजल जनरेटर को बिजली के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकार से भी बार-बार अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में दूरदर्शन प्रतिष्ठानों को विश्वसनीय और रुकावट रहित विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने की व्यवस्था करें।

(घ) फिलहाल मालापुरम के अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सातवीं योजना स्कीमों के अंग के रूप में कालीकट के मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (10 किलोवाट से बदले जाने पर मालापुरम जिले में दूरदर्शन कवरेज में पर्याप्त सुधार होने की उम्मीद है।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के लिए ओ. बी. वैन

2590. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र पर ओ. बी. वैन सुलभ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन्हें कब उपलब्ध कराया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र पर इस भारी कमी को दूर करने के लिए ओ. बी. वैन सुलभ कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) बाह्य कार्यक्रमों के निर्माण और टेलीकास्ट के लिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को एक इलेक्ट्रानिक क्षेत्रीय निर्माण (ई. एफ. पी.,) वैन उपलब्ध की गई है। इस केन्द्र को सुसज्जित ओ. बी. (बाह्य प्रसारण) वैन प्रदान करना टी.वी. विस्तार की भावी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्य विद्युत परिषदों का कार्य-निष्पादन

2591. **डा. ए. के. पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयन्त्र भार गुणक, उत्पादन/वितरण की मात्रा और विद्युत उत्पादन (प्रति यूनिट रुपये में) में कोयला/तेल जैसे प्रमुख आदानों की खपत का गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष और चालू वर्ष का राज्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विभिन्न राज्य विद्युत परिषदों के कार्य निष्पादन के बीच पर्याप्त अन्तर है; और यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मांगी गई सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण-एक और विवरण-दो [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7565/89]

(ख) विद्युत उत्पादन के संबंध में विभिन्न बिजली बोर्डों का कार्य-निष्पादन सामान्यतया विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे कोयले की गुणवत्ता, प्रणाली भार प्रबन्ध प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना, अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था, औद्योगिक संबंध आदि।

उड़ीसा और पूर्वी राज्यों में तेल तथा गैस के लिए सर्वेक्षण

2592. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा और अन्य पूर्वी राज्यों में तटवर्ती और अति-दूर किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में अब तक प्राप्त हुए तेल के नए भंडारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तेल स्रोतों का विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सातवीं

योजना की अवधि के दौरान ओ. एन. जी. सी. और ओ. आई. एल द्वारा अब तक उड़ीसा, बिहार और बंगाल में किए गए सर्वेक्षण इस प्रकार हैं :—

ओ. एन. जी. सी.

बंगाल	—	भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	15000 वर्ग किलोमीटर
बिहार	—	—वही—	11,000 वर्ग किलोमीटर

ओ. आई. एल.

उड़ीसा अपतट के कुछ ब्लाक उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी समुद्र तट (नार्थ ईस्ट, नार्थ ईस्ट कास्ट)	भूकम्पीय सर्वेक्षण-2 विमितीय सर्वेक्षण-2820 लाइन कि.मी. —3-विमितीय सर्वेक्षण-3943 लाइन कि.मी. —रिफ्रेक्शन सर्वेक्षण-6500 लाइन किमी.

(ख) इन क्षेत्रों में अभी तक कोई तेल भंडार नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ब्रिटिश सहायता से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2593. डा. कृपासिंधु भोई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ब्रिटिश सहायता द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) उड़ीसा सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों के लिये क्या प्रास्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों के लिये ब्रिटेन से प्राप्त की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) फिलहाल, उड़ीसा में, ब्रिटिश सहायता से विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रसताव नहीं है। इस बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल टर्मिनलों की स्थापना

2594. डा. कृपासिंधु भोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पारादीप पत्तन के निकट एक तेल टर्मिनल स्थापित करने सहित पत्तनों के निकट कुछ तेल टर्मिनल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) तेल उद्योग के एक कार्यदल ने आठवीं योजना की अवधि के दौरान नए तेल टर्मिनल बनाने के लिए बन्दरगाहों के आसपास कुछ स्थानों को चुना है जिसमें पारादीप बन्दरगाह के पास का एक स्थान भी है। कुछ प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए गए हैं किन्तु विवरण आदि तैयार करने संबंधी आगे की कार्यवाही इन प्रस्तावों को आठवीं योजना में शामिल करने के लिए प्राप्त व्यय अनुमति पर निर्भर करेगी।

असम में अमुगुड़ी में नई विद्युत परियोजना की स्थापना

[हिन्दी]

2595. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को असम में अमुगुड़ी में एक नई विद्युत परियोजना की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) असम राज्य बिजली बोर्ड से असम राज्य के अमुगुड़ी नामक स्थान पर 360 मेगावाट संयुक्त साइकिल की एक गैस-आधारित विद्युत परियोजना लगाने से संबंधित एक व्यवहार्यता रिपोर्ट जून, 1988 में प्राप्त हुई थी। परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अक्तूबर, 1988 में मूल्यांकन कर लिया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के औपचारिक स्वीकृति पर विचार सभी निवेशों (जिसमें गैस टर्बाइनों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय के अन्तर्गत दीर्घकालीन आधार पर गैस सप्लाई को सुनिश्चित करना शामिल है) के उपलब्ध हो जाने के साथ पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ आदि सुनिश्चित कर लिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में क्षमता का उपयोग

2596. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विद्युत उत्पादन उपकरण निर्माण की क्षमता का गत दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में पूरी तरह प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) से (ग) पिछली दो पंचवर्षीय योजना अवधि में विद्युत जनित्रण के निर्माण में बी. एच. ई. एल. की क्षमता का उपयोग संतोषजनक रहा है। बी. एच. ई. एल. का छठीं योजना अवधि में अतिरिक्त जनित्रण क्षमता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए गए कुल विद्युत उपकरण का 90% योगदान रहा है। सातवीं योजना अवधि में लगभग 81% के योगदान की आशा है।

कच्चा तेल रसोई गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता

2597. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल, रसोई गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की पर्याप्त क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन वस्तुओं की आयात की गई वास्तविक मात्रा की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान इनकी कितनी खपत हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल, 4.35 मिलियन टन कच्चे तेल की 89000 टन एल. पी. जी. की और 6.2 मिलियन टन उत्पादों की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

कच्चे तेल, एल. पी. जी. और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान की कुल खपत नीचे दी गई है:—

मात्रा : हजार टन

	1985-86 (वास्तविक)		1986-87 (वास्तविक)		1987-88 (वास्तविक)	
	कुल खपत	आयात	कुल खपत	आयात	कुल खपत	आयात
क्रूड आयल	42910	15144	45699	15476	47744	18045
एल पी जी	1263	32	1512	22	1737	154
एल पी जी के अलावा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	39531	3833	42165	3025	44683	3778

[अनुवाद]

2598. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री वी. तुलसी राम :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के अभाव और लागत मूल्य में निरंतर वृद्धि के कारण देश में कागज का उत्पादन घट रहा है,

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कागज और अन्य पैकिंग सामग्री का पृथक-पृथक कितना उत्पादन हुआ,

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कागज की उत्पादन होने की संभावना है और इस अवधि में कागज की मांग कितनी रही है, और

(घ) सरकार का कागज की मांग को पूरा करने के लिये इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं, देश में कागज तथा गत्ते का उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति नजर नहीं आती।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज तथा गत्ते का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (मी. टन लाख में)
1986	15.80
1987	16.80
1988	17.20

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, वर्ष 1989-90 तक कागज और गत्ते की मांग 18 लाख मी. टन तक पहुंच जाने की आशा है। इस मांग को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) देश में इसका उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए इस उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं दी गयी हैं:—

(1) गैर-एम. आर. टी. पी./गैरफेरा कम्पनियों को कुछ मानक शर्तों पर औद्योगिक

लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है, किन्तु इसमें ऐसे परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जिनमें अचल परिसम्पत्तियों पर 50 करोड़ रु. से अधिक निवेश अन्तर्ग्रस्त हो तथा वे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हो या जिनमें 15 करोड़ रु. से अधिक निवेश अन्तर्ग्रस्त हो तथा वे पिछड़े क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हों।

(2) 31.3.1990 तक शुरू किए गए एककों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 50% तक उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गयी है।

(3) कागज उद्योग को गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए अनेक रियायतें दी गयी हैं।

(4) कृषि अवशेषों, रद्दी और खोई से लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज बनाने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस लेने की अपेक्षा समाप्त कर दी गयी है।

(5) न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना कृषि अवशेषों पर आधारित कागज और गत्ता उद्योग जिसमें विशिष्टता का कागज शामिल है, पर लागू कर दी गयी है और न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33,000 मी टन प्रति वर्ष निर्धारित कर दी गयी है।

(6) सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर गत्ते /स्ट्रा-बोर्ड सहित सभी प्रकार का कागज और कागज ग्रेड लुगदी बनाने के लिए इस उद्योगों को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गयी है।

(7) कागज उद्योग को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लकड़ी की लुगदी, रद्दी कागज लकड़ी के टुकड़ों तथा लट्ठों का आयात करने की सुविधा दे दी गयी है।

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत उत्पादन और इसका वितरण

2599. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं (ताप, पन और परमाणु) की स्थापित क्षमता कितनी है तथा वर्ष 1986, 1987 और 1988 में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य संगठनों द्वारा अलग-अलग कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया और इसका वितरण किया गया;

(ख) उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट लागत कितनी थी तथा कृषि, रेलवे, उद्योगों तथा घरेलू क्षेत्र (लाइटिंग और पावर) के लिए विद्युत प्रति यूनिट किस मूल्य पर उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इसी अवधि के दौरान कितना लाभ अथवा घाटा हुआ तथा विद्युत पारेषण के दौरान कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विभिन्न बोर्डों और अन्य संगठनों की वर्ष 1986, 1987 और 1988 में ताप, विद्युत, जल विद्युत और

न्यूकलीप विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता सभा पटल पर रखे गए अनुबन्ध-1, अनुबन्ध-2 और अनुबन्ध-3 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7566/89।] इन तीन वर्षों के दौरान बिजली की राज्यवार बिक्री का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए अनुबन्ध III-क में दिया गया हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7566/89]।

(ख) और (ग) इन तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बोर्डों की विद्युत उत्पादन और सप्लाई के प्रति यूनिट लागत सभापटल पर रखे गए अनुबन्ध-4 में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7566/89।] घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त औसत वसूली का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये अनुबन्ध 5, 6 और 7 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7566/89।]

वर्ष 1985, 1986 और 1987 में रेलवे ट्रेक्शन के टेरिफ का ब्यौरा सभापटल पर रखे गए अनुबन्ध 8 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 7566/89।] संगत अवधि के दौरान बोर्डों के लाभ और हानि सभापटल पर रखे गए अनुबन्ध 9 में दिए गए है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 07566/89।]

पारेषण और वितरण हानियां सभा पटल रखे गए अनुबन्ध 10 में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 7566/89)।]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को वित्तीय व्यवस्था का पुनर्गठन

2600 श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को वित्तीय व्यवस्था का पुनर्गठन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक कार्यों से सम्बन्धित मंत्रीमण्डलीय समिति के विचारार्थ एक कार्य योजना तैयार की गई है।

निजी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

2601. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी कम्पनियों को हाल ही में तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कम्पनियों ने तेल की खोज का कार्य आरम्भ किया है; और

(ग) उन विभिन्न तटवर्ती और तटदूर स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त निजी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी. हां :

(ख) और (ग) भारत के अपतटीय ब्लाकों में हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए 5 विदेशी तेल कम्पनियों को उत्पादन साझेदारी संविदाएं दी गई है। इनका विवरण इस प्रकार है :

ठेके पर हस्ताक्षर करने वाली विदेशी तेल कम्पनी (कम्पनियों के नाम)	अपतटीय ब्लाक का नाम जिसके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग किलो मीटर)
1. शेवरान इन्टरनेशनल लि. एण्ड टैक्सको एक्सप्लोरेशन इण्डिया इन्क	केजी-ओएस-I	2960
2. —वही—	केजी-ओएस-VII	15,200
3. —वही—	पी-ओएस-II	9100
4. —वही—	एमएन-ओएस-I	8300
5. इन्टरनेशनल पेट्रोलियम (बरमूदा) लि.	केजी-ओएस-IV	1620
6. बीएचपी पैट्रोलियम (इण्डिया) इन्क	केके-ओएस-VI	27,700
7. शैल इण्डिया प्रोडक्शन डेवलपमैंट बी. वी.	केके-ओएस-II	20,400
8. —वही—	केके-ओएस-IV	28,800
9. अम्बीको इण्डिया पेट्रोलियम कं.	केजी-ओएस-V	1500

कर्नाटक में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लघुपन-बिजली परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2602. श्री अीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में लघु पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस राज्य में यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को कब सौंपा गया था;

(ग) उस राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अब तक कितनी लघु पन बिजली परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में कागज मिलों की स्थापना

2603. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी कागज मिलें स्थापित हैं;

(ख) ये मिलें किन किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या देश में कागज और अखबारी कागज की मांग बढ़ रही है;

(घ) क्या कर्नाटक में कागज मिलों की स्थापना करने की अत्यधिक गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक में नई कागज मिलें स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) कर्नाटक में स्थापित कागज मिलों के नाम स्थापना स्थल बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां :

(घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य में पहले से अधिष्ठापित 1.84 लाख मी. टन मौजूदा क्षमता के अलावा, औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र/त. वि. म. नि. पंजीकरण के जरिए कागज तथा गत्तों के लिए 28,000 मी. टन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गयी हैं। देश में अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी गयीं हैं :

(1) गैर एम. आर. टी. पी./गैर फेरा कम्पनियों के लिये औद्योएिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, परन्तु इसमें वे परियोजनाएं सम्मिलित नहीं होंगी जो केन्द्रीय रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और जिन पर स्थायी परिसंपत्ति के रूप में निवेश 50 करोड़ रु. से अधिक है अथवा यदि वे गैर-पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हैं तो 15 करोड़ रु. से अधिक है बशर्ते कि वे कुछ मानक शर्तों को पूरा करें ।

(2) वे एकक जो 31.3.1990 तक शुरू किये गए हैं 5 वर्ष की अवधि के लिये उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त हैं ।

(3) जिन मामलों में औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक होता है, क्षमता निर्धारित करने

संबंधी प्रस्तावों पर विचार कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य संगत तर्कों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(4) कागज उद्योग को गैर-परम्परागत कच्चे मालों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसे कच्चे मालों के इस्तेमाल के लिए अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं।

(5) कृषि अवशेषों, रद्दी तथा खोई से बने लिखाई, छपाई और लपेटने के कागज का विनिर्माण करने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

(6) विशिष्ट कागजों सहित जो कृषि अवशेषों पर आधारित है, कागज तथा गत्ता उद्योग के लिए न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना को लागू कर दिया गया है और न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33,000 मी. टन प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है।

(7) उद्योगों की समग्र लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर पेपर बोर्ड/स्ट्रा बोर्ड सहित सभी किस्म के कागज तथा पेपर ग्रेड लुगदी का विनिर्माण कम या ज्यादा (फ्लेक्सि-बिलिटी) करने की अनुमति दी गयी है।

(8) कागज उद्योग को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत काष्ठ लुगदी, रद्दी कागज, लकड़ी के चिप्स और काष्ठ लट्ठों के आयात की सुविधा दी गयी है।

विवरण

कर्नाटक में कागज तथा गत्ता मिलों के नाम और स्थापना-स्थल

क्रम सं.	फर्म का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
1	2	3	4
1.	मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स लि., भद्रावती	भद्रावती	37,000
2.	मैसर्स वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., बंबई	दान्दाली	60,000
3.	मैसर्स साउथ इण्डिया पेपर मिल्स लि., चिकायाना चैत्रा, नानजुनगुड	नानजुनगुड	6,000
4.	मैसर्स मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि., 7 म्यूजियम रोड, बंगलौर	बेलागुला	16,500
5.	मैसर्स सेनापति व्हाइटले (प्रा.) लि., बंगलौर	रामनगरम	4,920

1	2	3	4
6.	मैनर्स बाडोका पेपर मैन्युफैक्चरिंग कं. (प्रा.) लि., बम्बई	तादेवपुरा नानजानगुड	9.000
7.	मैसर्स काबिनी पेपर लि., नानजागुड	नानजागुड	3,000
8.	मैसर्स अन्नपूर्णा पेपर मिल्स, बंगलौर	गुडियाल	700
9.	मैसर्स राजशील पेपर्स (प्रा.) लि. नानजानगुड	नानजानगुड	1,500
10.	मैसर्स रमन बोर्डस लि., नानजानगुड तालुक, तादेवपुरा	तानदेवपुरा नानजानगुड	3,000
11.	मैसर्स रैपिड्स लि., साठेगल ग्राम कोलेगल तालुक	कोलेगल तालुक	10,000
12.	पेपर पैकेजिंग प्रा. लि., बंगलौर	मांडली	4,950
13.	मैसर्स कावेरी पेपर्स लि., बंगलौर	सत्यागाला ग्राम, कोलेगल तालुक, मैसूर	10,000
14.	मैसर्स मानालक्स पेपर एंड बोर्ड लि.. बंगलौर	बासाडवानगुडा	10,000
15.	मैसर्स राम गोपाल पेपर मिल्स बंगलौर	चान्डारापुरा औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक	7,500

"डाटर आफ द नील" का दिखाया जाना

2604. श्री हन्नान मोल्लाह
श्री अजय बिश्वास :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताइवान और दक्षिण अफ्रीका की फिल्मों को देश में दिखाए जाने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि नहीं, तो नई दिल्ली में हाल में हुए बारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में ताइवान की फिल्म "डाटर आफ द नील" दिखाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त किसी देश से फिल्मों का आयात करने के लिए (सामान्य आयात नियंत्रण और प्रमाणीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त) कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में विदेशी फिल्मों की संवीक्षा के लिए सभी कानूनी और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद 12वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ताइवान की फिल्म "डाटर आफ दी नील" दिखाई जाएगी।

नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन कामगार यूनियन का ज्ञापन

2605. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन कामगार यूनियन का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कर्मचारी संघ से दिनांक 30 जनवरी, 1989 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तरिम राहत देने कामगारों को बर्खास्त करना, सेवा शर्तों में परिवर्तन करने, कर्मचारी संघ के सदस्यों का स्थानान्तरण, मांग पत्र के बारे में समझौता संबंधी मामले उठाए गए हैं। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबंधकों द्वारा मांग पत्रों पर विचार विमर्श करने की कार्यवाही की शुरुआत कर दी गई है।

दूरदर्शन द्वारा "टी. वी. सिरीयल स्क्रीप्ट" को मंजूरी

2606. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास काफी संख्या में टी. वी. सीरियल स्क्रीप्ट्स (दूरदर्शन शृंखला की पटकथा) मंजूरी हेतु लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सिरीयलों को मंजूरी देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) दूरदर्शन के पास राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए प्रयोजित योजना के अन्तर्गत धारावाहिकों का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2607 श्री भद्रेश्वर तांती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को लगाने का कार्य पूरा होने के बाद भी इन्होंने कार्य करना शुरू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खुली मुहाने की परियोजनाओं के कोयले में राख की प्रतिशतता

2608. श्री बाॅलेश्वर राती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राहकों को सप्लाई किए जाने वाले भारत कोकिंग कोल लि. की खुले मुहाने की परियोजनाओं के कोयले में राख की औसत प्रतिशत कितनी होती है; और

(ख) कोयले से पत्थर तथा स्लेटी पत्थर को अलग करने के काम में लगे पत्थर बीनने वालों की, परियोजनावार संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. की ओपेनकास्ट परियोजनाओं से उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में राख की प्रतिशतता 30% से 40% तक होती है।

(ख) सभी ओपेनकास्ट परियोजनाओं में कोयले से पत्थर तथा स्लेटी पत्थर अलग करने के लिए पत्थर बीनने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने के निर्देश हैं। भारत कोकिंग कोल लि. की कुछ महत्वपूर्ण ओपेनकास्ट परियोजनाओं में कार्यरत पत्थर बीनने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

ब्लाक-II ओ. का. प.	107
कूरीडीह/गोविन्दपुर	49
वेस्ट मूडीडीह	22
राम कनाली	48
राजापुर ओ. का. प.	48
कुस्टोरे	35
नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा	34
लक्ष्मी ओ. का. प.	20
भंवरा ओ. का. प.	80
न्यू लेकडीह ओ. का. प.	20
देमागोरिया	28

सार्वजनिक सभाओं का ब्यौरा दूरदर्शन पर प्रसारित करने संबंधी मार्ग निर्देश

2609. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं तथा समारोहों का ब्यौरा दूरदर्शन पर प्रसारित करने संबंधी कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों और समारोहों को, उनके समाचारिक महत्व के आधार पर तथा किसी पार्टी का पक्ष लिए बिना दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में दिखाया जाता है । विवादास्पद राजनैतिक मामलों में, दृष्टिकोण के सभी पहलुओं को प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाते हैं ।

ताप विद्युत परियोजना के लिए स्थान चयन करने वाली समिति

2610. **श्री अनिल बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी स्थापना-स्थल चयन समिति विद्यमान है जो ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थलों का चयन करके सिफारिश करती है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन कैसे किया गया और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) स्थान चयन समिति द्वारा ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्थान के चयन पर विचार करते समय किन मानदंडों को अपनाया जाता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) वृहत ताप विद्युत केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाने हेतु एक स्थल चयन समिति का गठन किया है । जिसमें अन्यों के साथ-साथ कोयला विभाग, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय भू-सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और सदस्य (ताप विद्युत), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस के अध्यक्ष हैं । संबंधित तकनीकी-आर्थिक धारणाओं सहित निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नये स्थलों का निर्धारण किया जाता है :—

(क) विद्युत के लिए गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता तथा इसकी ढुलाई की व्यवहार्यता;

(ख) जल की उपलब्धता;

(ग) विद्युत संयंत्र और राख के निपटान आदि के लिए भूमि की उपलब्धता;

(च) स्थल की भूवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्तता, भूकम्प संबंधी परिस्थितियां तथा बाढ़ की सम्भावनाएं;

(छ) पर्यावरण संबंधी विचार धाराएं और;

(ज) भार केन्द्रों को विद्युत की पारेषण।

बिहार कोलफील्ड्स में कोयला माफिया के कर्मचारी

[हिन्दी]

2611 श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कोलफील्ड्स के, तृतीय श्रेणी के तथा चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को कोयला माफिया के सदस्य होने के कारण वर्ष 1988 में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने कोल इण्डिया लि. के कुछ अधिकारियों की मिली भगत के साथ बहुत धनराशि जमा कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों से पूरी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो कोल इण्डिया लि. घाटे से बचाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन शरीफ) : (क) और (ख) बिहार के कोलफील्ड्स में कार्यरत कुछ कर्मचारियों और माफिया तत्वों के बीच सम्बन्ध होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोयला कम्पनियां स्थानीय प्रशासन के निकटतम सहयोग से सदैव आपराधिक क्रियाकलापों, पैसा उधार देने वालों के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों, आदि के खिलाफ तत्काल तथा सख्त कार्रवाई करती रही है। वर्ष 1986 तथा वर्ष 1988 की अवधि में कोयला कम्पनियों से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर पैसा उधार देने के अपराध के लिए जिम्मेदार पाए गए 90 कर्मचारियों और आपराधिक क्रियाकलापों में अन्तर्ग्रस्त 68 कर्मचारियों के खिलाफ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कार्रवाई की। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में पैसा उधार देने के अपराध में अक्तूबर, 1988 में पुलिस द्वारा दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) और (घ) कोयला क्षेत्रों में माफिया के क्रियाकलापों की केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन एक समिति द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है और कोयला विभाग की एक अन्य समिति के माध्यम से, विभाग के एक संयुक्त सचिव के अधीन समिति द्वारा, जिसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा सम्बद्ध कोयला कम्पनियों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, धनबाद शामिल हैं/पुनरीक्षा करती है। स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे जाने के परिणामस्वरूप माफिया क्रियाकलापों में हाल ही में परोक्ष रूप से गिरावट आनी शुरू हुई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान 4 कर्मचारियों को बर्खास्त, 3 को निलंबित और 98 कर्मचारियों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आरोपपत्र दिए गए। माफिया के प्रभाव को नियंत्रित किए जाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं—(क) कोयला क्षेत्रों में अधिक पुलिस स्टेशनों की स्थापना (ख) पुलिस स्टेशनों की गतिशीलता बढ़ाए जाने के लिए तेज रफ्तार की वाहनों और संचार-

व्यवस्था से अंत किया जाना, (ग) संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों की समय-समय पर कुछ अंतराल के बाद बदली करना ताकि अधिकारियों और माफिया तत्वों के बीच किसी भी प्रकार के बढ़ते हुए अपसंबंधों को रोका जा सके।

कोल इंडिया लि. को हुई हानि

[अनुवाद]

2612. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि. के अन्तर्गत खानों में प्रति व्यक्ति पारी का औसत उत्पादन (ओ.एम.एस.) कितना है;

(ख) क्या कोल इण्डिया लि. को भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोल इण्डिया लि. के घाटे को कम करने के लिए प्रति व्यक्ति पारी उत्पादन (ओ. एम. एस.) में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) कोल इण्डिया लि. की क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान कोल इण्डिया लि. के अन्तर्गत खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले का उत्पादन 1.08 टन था। वर्ष 1988-89 के लिए कोल इण्डिया लि. में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले का उत्पादन लक्ष्य 1.11 टन है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इण्डिया लि. समग्र रूप से वर्ष 1981-82 में हुए 34.20 करोड़ रुपए के लाभ के अलावा घाटे में चल रही है।

कोल इण्डिया लि. में गत तीन वर्षों के दौरान हुआ घाटा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	हुआ घाटा (करोड़ रुपए में)
1985-86	404.18
1986-87	331.75
1987-88	224.64

कोल इण्डिया लि. में हुए घाटे का मुख्य कारण यह है कि पिछली अवधि में कोयले की

प्रशासित कीमतों में की गई वृद्धि, विभिन्न आगतों की लागत में हुई वृद्धि जैसे मजदूरी, बिजली, ईन्धन, विस्फोटक, पून्जी, आदि को पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं करती है और कीमतों में वृद्धि में तथा आगतों की लागत में वृद्धि के बीच सदैव काफी अन्तराल रहा है। कम उत्पादकता भी घाटे के लिए जिम्मेवारी रही है।

(च) घाटा से संबंधित कारणों में से एक कारण प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन है। प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोल इंडिया लि. में वर्ष 1985-86, वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले का उत्पादन क्रमशः 0.92 टन, 0.98 टन तथा 1.08 टन था। जिससे यह पता चलता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

(छ) और (च) कोल इंडिया लि. के घाटे को कम करने के संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम तथा उसकी कार्य-क्षमता को बढ़ाए जाने के बारे में ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।

(2) उपयुक्त कार्यशाला संबंधी समर्थन, विकसित स्पेयर प्रबन्ध व्यवस्था और उपकरणों की समय से पुनः स्थापना कराते हुए उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार।

(3) सुधरी श्रम शक्ति आयोजन, जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक व्यर्थता के कारण हुए रिक्त स्थानों पर नई नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(4) शक्ति उत्पादक कारकों की विस्फोट क्षमता और सुधरी सामग्री नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार करके अतिरिक्त पुर्जों तथा विभिन्न अन्य आगतों की खपत में मितव्ययिता।

(5) लागत में कमी लाने वाले उपायों का विकसित प्रबोधन।

(6) राज्य विद्युत बोर्डों जैसे उपभोक्ताओं के संबंध में कुल वसूली योग्य बकाया राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) परिचालन की कार्यक्षमता में सुधार लाए जाने के लिए कई प्रणालियों में सुधार तथा प्रबंधीय उपायों को अंगीकार किया गया है।

(8) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विद्यमान खानों को पुर्नगठित करने सम्बन्धी प्रयास।

"आप और हम" डी. वी. कार्यक्रम

2613. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक बुधवार का दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किये जाने वाले "आप और हम" कार्यक्रम में तथाकथित अशिष्ट गीतों के प्रसारण की जनता द्वारा आलोचना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि दूरदर्शन पर किसी अशिष्ट गीत, किसी अशिष्ट दृश्य अथवा किसी अशिष्ट संवाद का प्रसारण न किया जाये ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) "आप और हम" कार्यक्रम एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो प्रत्येक बुधवार को टेलीकास्ट किया जाता है जिसमें दर्शकों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देये जाते हैं। कभी-कभी पहले टेलीकास्ट किये गये कार्यक्रमों तथा दर्शकों के पत्रों में उल्लिखित संदर्भों के द्वारा उद्धरण टेलीकास्ट किये जाते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता कि केवल ऐसे उद्धरणों को पुन: टेलीकास्ट किया जाता है जो परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस कार्यक्रम में कोई अश्लील गीतों या वार्ताओं को टेलीकास्ट नहीं किया जाता है।

केरल में खाना पकाने की गैस की मांग

2614. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाना पकाने की गैस की मांग में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान कुल मांग कितनी है तथा उसे किस हद तक पूरा किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का गैस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 1989 में कुछ और एजेंसियां आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में एल. पी. जी. की मासिक औसतन मांग और पूर्ति क्रमश: लगभग 4128 टन और 4032 टन है।

(ग) और (घ) जी, हां। तेल उद्योग की 1988-89 तक की अपनी विपणन योजना में केरल में लगभग 48 नए एल. पी. जी. विपणन केन्द्र खोलने की योजना है, जो स्थापित किए जाने के विभिन्न चरणों में है।

पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश

2615. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में कुल कितना पूंजी-निवेश किया है ;

(ख) इस मद पर केरल में कितनी धनराशि खर्च की गयी ; और

(ग) इसका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 380.74 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निवेश राज सहायता दी गई है। इसमें से 7.79 करोड़ रु. की राशि केरल को दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, केरल के पिछड़े क्षेत्रों को निम्नलिखित आशय-पत्र, औद्योगिक लाईसेंस/लाईसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण (डी. एल. आर.) तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण जारी किये गये हैं

	एल. ओ. आई	आई. एल	डी. एल. आर.	डी. जी. टी. डी पंजीकरण
1986	10	9	14	4
1987	9	3	13	10
1988	12	1	8	5

केरल में पूंजी निवेश

2616. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल के औद्योगिक विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में हुए औद्योगिक विकास का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों में ग्रास ब्लाक के रूप में केन्द्रीय निवेश की मात्रा इस प्रकार थी :—

	(रुपये करोड़ में)
1984-85	831.22
1985-86	922.75
1986-87	1074.44
1987-88	1306.95

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार सूचकांक संकलित नहीं करता है। तथापि, अर्थशास्त्र एवं सांख्कीय निदेशालय, केरल सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार केरल में औद्योगिक वृद्धि की प्रतिशतता दर 1983-84 में (—) 12.3, 1984-85 में (+) 32.0 तथा 1985-86 में (+) 9.3 थी ।

आंध्र प्रदेश में वनस्थलिपुरम और इब्राहिमपतनम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

2617. श्री एम रघुमा रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में वनस्थलिपुरम और इब्राहिमपतनम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। वनस्थलिपुरम में 2000 लाइन का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (आर एल. यू.) तथा इब्राहिमपतनम में 512 पोर्ट आई. एल. टी. के मार्च 1990 के अन्त तक संस्थापित कर दिए जाने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

रसोई गैस के सिलिंडरों की कमी

2618. श्री एम रघुमा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस के सिलिंडरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

2619. श्री एम. रघुमा रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी-कितनी है ;

(ख) इस खपत को विकासशील देशों तथा विकसित देशों की तुलना में क्या स्थिति है ; और

(ग) सरकार ने प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये है ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) : देश में 1986-87 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 190.99 यूनिट थी। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का अलग-अलग कोई आकलन नहीं है। तथापि, भारत में प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों एवं कुछ विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति खपत से भी कम है। बिजली योजनाएं विकासात्मक कार्यों और बढ़ी हुई खपत के कारण बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूर्ति करने के लिए बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

सिनेमा को उद्योग के रूप में घोषित करना

2620. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिनेमा को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सिनेमा के लिए एक अलग नीति बनाने का है जो सभी संचार माध्यमों के लिए बनी नीति से भिन्न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) : औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत इस समय सिनेमा को एक उद्योग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सिनेमा फिल्मों (सिने कच्चे माल) से सम्बन्धित उद्योग पहले ही उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम में टी वी ट्रांसमीटर का ठीक ढंग से कार्य न करना

2621. **श्रीमती जी. के. भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम में टी. वी. ट्रांसमीटर के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वर्तमान टी. वी. ट्रांसमीटर ढंग से कार्य कर रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) पिछले वर्ष सिक्किम सरकार से गंगतोक में कार्यरत टी. वी ट्रांसमीटर के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) अक्तूबर तथा नवम्बर, 1988 के महीनों के दौरान गंगतोक के टी.वी. ट्रांसमीटर का निष्पादन टी.वी. आर. ओ. व्यवस्था के ठीक से कार्य न करने के कारण प्रभावित हुआ था। खराब यूनिटों को ठीक कर दिया गया था तथा मरम्मत किए जाने के बाद से गंगतोक का ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इस बारे में खराबी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुराने टी. वी. आर. ओ. को नए टी. वी. आर. ओ. से बदल दिया गया है।

कागज उद्योग हेतु कार्यवाही योजना

2622. **प्रो. रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच. एम. मन्जे गौडा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छोटी कागज मिल संघ ने सरकार से कागज उद्योग के लिए एक कार्यवाही योजना तथा एक विशेष कागज उद्योग निधि बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या छोटी कागज मिलों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वे बन्द होने की स्थिति में पहुंच गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का कागज उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (घ) आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में छोटी कागज मिलों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों का विशेष रूप से उल्लेख किया है और आधुनिकीकरण हेतु सहायता सहित उद्योग के लिए राहतों और रियायतों मांगी हैं। विद्यमान औद्योगिक एककों द्वारा आधुनिकीकरण करने तथा प्रौद्योगिकी का अभ्युत्थान के कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं के आयात हेतु पहले ही सुविधाएं प्रदान कर दी हैं जिनकी अधिकतम सीमा प्रति एकक 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रखी गयी है :—

(1) पूंजीगत उपकरण

(2) तकनीकी जानकारी

(3) तकनीकी सहायता

(4) तकनीकी खाके और डिजाइन

(5) तकनीकी परामर्श सेवाएं

इसके अतिरिक्त कागज उद्योग को कई राहतें और रियायतें भी दी गई हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) कुछ मानक शर्तें पूरी होने पर, केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित 50 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश वाली परियोजनाओं या गैर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 15 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश वाली परियोजनाओं को छोड़कर अन्य गैर-एम. आर. टी. पी./गैर फेरा कम्पनियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।

(2) बजट के अनुसार जिस कागज में खोई/कच्ची पटसन/मेस्टा से बनी लुगदी का अंश 75 प्रतिशत से कम न हो उस कागज को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(3) कम से कम 50 प्रतिशत गैर परम्परिक कच्चा माल प्रयोग करके कागज और गत्ता बनाने वाली बड़ी/मझोली/छोटी कागज मिलों से रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लिया जाता है।

(4) उत्तरवर्ती खण्डों हेतु इनकीमेंटल आधार पर उत्पाद शुल्क देने की सुविधा 1.4.86 से छोटी मिलों को प्रदान कर दी गयी है।

(5) लकड़ी लुगदी, रद्दी कागज, चिप्स और लटठों का आयात ओ. जी. एल. के अधीन रख दिया गया है और उस पर से सीमा शुल्क हटा लिया गया है।

(6) कुल लाइसेंसीकृत क्षमता के भीतर उद्योग को गत्ता/स्ट्रा बोर्ड सहित कागज और कागज ग्रेड लुगदी की सभी किस्मों के उत्पादन हेतु उद्योग को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति दी गयी है।

(7 कृषि अवशिष्टियों, बेकार सामग्री और खोई से लिखाई, छपाई तथा लपेटने का कागज बनाने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

(8) कच्चे माल के रूप में कृषि अवशिष्टियों के आधार पर न्यूनतम आर्थिक क्षमता की योजना कागज और गत्ता उद्योग (स्पेशलिटी पेपर्स सहित) में भी लागू कर दी गयी है और न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33000 मी. टन प्रति वर्ष निर्धारित कर दी गयी है।

कन्टेनरों का उत्पादन करने हेतु बामर लॉरी का अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम

2623. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बामर लारी एन्ड कम्पनी लिमिटेड का एक अमरीकी कम्पनी के सहयोग से डिब्बों (कटेनरों) का निर्माण करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयुक्त उद्यम के लिए किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) । (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राज्य विद्युत बोर्डों पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की देय राशि

2624. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अभी भारी बकाया राशि की अदायगी की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां। 9.3.1989 को राज्य बिजली बोर्ड बी. एच. ई. एल. के लगभग 305 करोड़ रुपये के देनदार हैं।

(ग) बी. एच. ई. एल. बकाया राशि की वसूली के लिए सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रबड़ के उत्पादों का प्रयोग

2625 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या प्लास्टिक उत्पादों के ऐसे डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हो सके, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) जहां नहरों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस, आदि में एन. डी. पी. ई. फिल्म के उपयोग जैसे कृषि के प्रयोजनों के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है वहां इण्डिन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन (आई. पी. सी. एल.) और नेशनल कमेटी आन दि यूज आफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर (एन. सी. पी. ए.) ने प्लास्टिकल्चर विकास कार्यक्रम के विशिष्ट अध्ययन किया है।

(ख) और (ग) प्लास्टिक की अनेक वस्तुओं जैसे मगो, पानी की बोतलों, पाइपों, रस्सियों, मच्छरदानियों, मछली मारने के जालों, वर्षा के पानी से बचाव के लिए मोटी फिल्मो, आदि का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उपयोग हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे प्लास्टिक विकास केन्द्र ड्रिप्स सिंचाई ग्रीन हाउसों और जल प्रबन्ध के क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों के विकास में मदद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त विशिष्ट प्लास्टिक उत्पादों का डिजाइन बनाने के लिए भी प्लास्टिक उद्योग और आई. पी. सी. एल. द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन

2626. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध निर्माता फर्म यकृत शोथ वाइरस संक्रमण की प्रतिरोधी औषध इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन कर रही है,

(ख) क्या इसके खुदरा मूल्य बहुत अधिक हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस औषध का देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसका उत्पादन बढ़ाने की कोई योजनाएं है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) (ग) (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेपटाइटिस वायरस संक्रमण के लिए उपयोग में आने वाले इमूनोग्लोबुलिन का उत्पादन किसी भारतीय कम्पनी द्वारा शुरू नहीं किया गया है। रुधिर उत्पादों के कुछ नमूनों में एच. आई. वी. एंटिबाडीज के होने की उचित घटना के बाद इमुनोग्लोबुलिन सहित उनके निर्माण पर आगे जांच होने तक रोक लगा दी गयी है।

(ख) उल्लिखित औषधों का विपणन डी. पी सी. ओ. 1987, के उपलब्धों के अनुसार किया जा रहा है।

बिजली क्षेत्र के लिये विदेशी बैंकों से कर्ज लेना

2627. श्रीमती वसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिजली क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी बैंकों से बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्ज की इस राशि पर किस दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा; और

(घ) इससे बिजली क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री श्री कल्पनाथ राय : (क) विद्युत क्षेत्र की फन्ड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र, दिल्ली का कार्यकरण

2628. श्री महेन्द्र सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र, दिल्ली की विशेषज्ञ समिति द्वारा सलाह या सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल.) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन कथा-वृतान्तों में धूम्रपान को बढ़ावा देना

2629. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1989 के इन्डियन एक्सप्रेस में" "ए. आई. आई. एम. एस. डाक्टर्स प्लेटी. बी. एपिसोड आन स्मोकिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि दूरदर्शन धारावाहिक "कोजी" में धूम्रपान से शक्ति बढ़ने के आशय को दिखाकर तम्बाकू पीने की महिमा-मंडन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है कि इस तरह के धारावाहिकों को कैसे स्वीकृति मिल जाती है और इस तरह की जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यह सही नहीं है कि प्रसंगाधीन धारावाहिक में धूम्रपान का महिमा मण्डन किया गया है। इसके विपरीत दृश्य में चरित्रों के बीच वार्तालाप में सिगरेट पीने को शारीरिक तथा मानसिक दोनों के लिए हानिकारक बतलाया गया है। इसलिये किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा ठेके दिया जाना

2630. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. द्वारा रसायनी इम्प्लायज इन्जीनियरिंग कम्पनी को बड़े ठेके देने से पहले क्या उनके लिए निविदायें आमंत्रित की गई थी,

(ख) क्या रसायनी इम्प्लाइज इन्जीनियरिंग कम्पनी की दिए गए सभी ठेकों के मामले में इस कम्पनी की निविदायें सबसे कमें राशि की थी,

(ग) यदि नहीं तो ठेके उन्हें दिए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारी ने इस कम्पनी को दिए गए ठेकों के बारे में कुछ टिप्पणियां की है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है,

(च) क्या रसायनी इम्प्लाइज इन्जीनियरिंग कम्पनी को दिए गए ठेकों के परिणामस्वरूप गुणवत्ता नियंत्रण में कमी आई है और सार्वजनिक धन का उपयोग अन्यत्र किया जा रहा है, और

(छ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच. ओ. सी. एल) के अनुसार उन्होंने आर. ई. ई. सी. को कोई भी ऐसा ठेका नहीं दिया जिसका प्रस्ताव वित्तीय रूप से स्पर्धात्मक एवं तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम प्रस्तावों में से न रहा हो।

(घ) और (ङ) जी, हां, सरकारी लेखा परीक्षक ने आर. ई. ई. सी. को दिये गये ठेकों के मामले में कुछ टिप्पणियां की थीं जैसे ठेका देने में विलम्ब के कारण एच. ओ. सी. द्वारा उठाई गई हानि, स्क्रैप की स्वीकृत/उठाई न गई मात्रा में कमी, सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में वार्षिक काम बन्दी कार्यों के लिये ठेके में कमियां आदि एच. ओ. सी. एल. ने लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को इन मामलों में स्पष्टीकरण पहले ही दे दिये हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मारुति कारों का निर्यात

2631. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा उत्पादित किए जा रहे यात्री वाहनों का ब्यौरा क्या है और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 19 8-89 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्यात किये गये वाहनों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 के दौरान कितने वाहनों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) आगामी वर्षों में मारुति उत्पादों के निर्यात के लिए और अधिक बाजारों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे यात्री वाहनों का विस्तृत ब्यौरा और उनका वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मारुति वाहनों के निर्यात और कमाई गई विदेशी मुद्रा के बारे में विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नये बाजारों का विकास करने के लिए किए गए प्रयासों के अतिरिक्त मारुति वाहनों के निर्यात पर, अन्य देशों के साथ, जहां कहीं भी इस प्रकार की सम्भावना होती है, आर्थिक और व्यापार सहयोग के संयुक्त आयोग की बैठकों में विचार किया जाता है।

विवरण-I

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे यात्री वाहनों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मारुति-800	ओमनी	जिप्सी	योग
1983-84	840	—	—	840
1984-85	20,356	2,016	—	22,372
1985-86	33,262	16,527	1,791	51,580
1986-87	50,493	23,270	6,387	80,150
1987-88	64,581	25,685	2,364	92,630

विवरण-2

1986-87 से 1988-89 में निर्यात किये गये मारुति वाहनों, 1989-90 का लक्ष्य और कमाई गयी विदेशी मुद्रा का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

	निर्यात (वास्तविक, माना गया निर्यात और रुपये के भुगतान पर निर्यात)				कमाई गई (लाख रुपये में)
वर्ष	कार	ओमनी	जिप्सी	योग	
1986-87	64	22	16	102	55.52
1987-88	605	36	72	713	362.06
1988-89 (पूर्वानुमानित)	950	117	446	1,513	977.00
1989-90 (निर्धारित)	—	—	—	3,250	1,860.00

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

2632. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने का एक विशेष प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1986 से 1989 (फरवरी, 1889 तक) के दौरान राजस्थान के विभिन्न राज्य सरकार के उपक्रमों से आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 20 मामलों के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दे दिये गये हैं। 21 मामले रद्द/अन्यथा निवेदा किये गये हैं। इस समय केवल एक आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। जारी किये गये आशय पत्रों के ब्यौरेवार भारतीय निवेश केन्द्र के मंथली न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी एक प्रति संसद-पुस्तकालय को भेजी जाती है।

स्मारक डाक-टिकटें जारी करना

2633. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय जयनारायण व्यास, माणिक लाल वर्मा और गोकुल भाई भट्ट, के सम्मान में स्मारक डाक-टिकटें जारी करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में अलग-अलग कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जयनारायण व्यास के सम्मान 3.7.1974 को 25 पैसे मूल्य वर्ग का डाक-टिकट पहले ही जारी किया जा चुका है। अन्य दो महापुरुषों पर डाक-टिकट जारी करने का विभाग का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहां तक जयनारायण व्यास का संबंध है, उपर्युक्त भाग (क) में उत्तर दे दिया गया है। श्री माणिक लाल वर्मा के बारे में अभी हाल में ही एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसे फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। गोकुल भाई भट्ट के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये सहायता

[हिन्दी]

2634. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार ने क्या मानदंड अपनाये हैं;

(ख) क्या राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए उपर्युक्त मानदंडों में कोई ढील दी गयी है, और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं से विभिन्न श्रेणी की परियोजनाओं के लिए निर्धारित कम से कम प्रतिफल का आर्थिक दर (एकोनामिक रेट आफ रिटर्न) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, ग्रामीण विद्युत संघ परियोजनाओं, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण परियोजना के लिए ऋण एवं ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष ऋण के मामले में किसी विशिष्ट प्रतिफल आर्थिक दर को निर्धारित किया गया है।

(ग) राजस्थान के जैसलमेर जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा ग्राम विद्युतीकरण किया जाता है, इस कार्यक्रम के तहत ग्राम विद्युतीकरण रियायती शर्तों पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों का प्रसारण और विज्ञापनों से आय

[अनुवाद]

2935. **श्री अजय विश्वास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दूरदर्शन द्वारा कुल कितने धारावाहिकों का प्रसारण किया गया; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों और धारावाहिकों के प्रायोजनों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच.के. एल. भगत) : (क) 1988 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क में 51 धारावाहिक टेलीकास्ट किए गए थे जिनमें कुछ ऐसे धारावाहिक शामिल हैं जिनकी शुरुआत 1987 में की गई थी और कुछ ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं।

(ख) कलैंडर वर्ष 1988 में दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों से संग्रहीत सकल राजस्व 152.41 करोड़ रुपए है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2636. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर और कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारी उद्योगों की स्थापना आदि के लिये विभिन्न राज्यों में कितनी पूंजी लगाई गई;

(ग) विभिन्न राज्यों में मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना के, राज्यवार, कितने प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(घ) कितने उद्योगों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आशय पत्र दिये गये थे; और

(ङ) राज्य-वार ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उद्योग स्थापित नहीं किये गये और आशय पत्रों की अवधि समाप्त हो गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) किसी जिले/क्षेत्र के विशेष औद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर होता है। पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें दे कर केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता पहुँचाती है। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को तीन वर्गों में बांटा गया है अर्थात्—"क" "ख" और (ग) तथा वर्गवार केन्द्रीय निवेश राज सहायता दी जाती है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता के अतिरिक्त उद्यमी निम्नलिखित सुविधाओं के भी हकदार हैं—सार्वधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं, लाइसेंसों की मंजूरी में अधिमानता और करों में रियायतें आदि/उद्योग रहित जिलों चुने हुए विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकासार्थ राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान समूचे देश भर में 100 विकास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। देश में उपलब्ध सर्वोत्तम मूलभूत सुविधाओं के मुकाबले की सुविधाएं इन विकास केन्द्रों में उपलब्ध करायी जाएंगी। प्रत्येक विकास केन्द्र को 25-30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। पहले चरण में 61 विकास केन्द्र सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विकास केन्द्रों के अनुमोदनार्थ अपने प्रस्ताव अधिमानित: 30.4.1989 तक भेज दें।

(ख) उद्योगों के स्थापना स्थल पर किये गये वास्तविक निवेश संबंधी आंकड़े उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विवरण-1 संलग्न है

(घ) विवरण-2 संलग्न है

(ङ) विवरण-3 संलग्न है

विवरण-1

लम्बित पड़े औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की संख्या

(8 मार्च, 1989 की स्थिति)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		लम्बित आवेदनों की संख्या		
		1986	1987	1988
1		2	3	4
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	9	53
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

	1	2	3	4
4.	असम	—	—	6
5.	बिहार	—	1	8
6.	चंडीगढ़	—	—	—
7.	दादरा और नगर हवेली	—	—	2
8.	दमण और दीव	—	—	2
9.	दिल्ली	—	—	—
10.	गोवा	2	—	2
11.	गुजरात	1	3	28
12.	हरियाणा	1	2	30
13.	हिमाचल प्रदेश	—	3	22
14.	जम्मू और कश्मीर	—	—	4
15.	कर्नाटक	—	3	39
16.	केरल	—	2	9
17.	लक्षद्वीप	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	1	5	72
19.	महाराष्ट्र	—	6	103
20.	मणिपुर	—	—	—
21.	मेघालय	—	—	4
22.	मीजोरम	—	—	—
23.	नागालैंड	—	—	1
24.	उड़ीसा	—	—	11
25.	पांडिचेरी	—	—	8
26.	पंजाब	1	2	21
27.	राजस्थान	—	3	28
28.	सिक्किम	1	—	2
29.	तमिलनाडु	2	1	47

	1	2	3	4
30.	त्रिपुरा	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	1	9	138
32.	पश्चिम बंगाल	1	—	13
33.	राज्य सूचित नहीं/एकाधिक राज्य	1	1	5
	योग :	10	50	658

विवरण-2

1986, 1987 और 1988 के दौरान जारी किये गये आशय पत्रों का अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		1986	1987	1988
	1	2	3	4
1.	धातुकर्मक उद्योग	149	129	130
2.	ईन्धन	1	—	5
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयंत्र	2	—	3
4.	प्राइम मूवर्स (वैद्युत उपकरणों के अलावा)	3	—	2
5.	वद्युत उपकरण	254	203	175
6.	दूरसंचार	49	22	38
7.	परिवहन	19	17	15
8.	औद्योगिक मशीनरी	22	15	19
9.	मशीनी औजार	1	3	5
10.	कृषि मशीनरी	—	—	—
11.	अन्य मूविंग मशीनरी	2	2	3
12.	विविध मकैनिकल तथा इन्जीनियरिंग उद्योग	31	26	28
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	9	4	9

	1	2	3	4
14.	चिकित्सा तथा सर्जीकल उपकरण	5	9	12
15.	औद्योगिक औजार	8	11	5
16.	वैज्ञानिक औजार	—	5	1
17.	गणित सर्वेक्षण और ड्राइंग संबंधी उपकरण	—	—	—
18.	उर्वरक	7	5	4
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	286	169	163
20.	फोटोग्राफिक रा फिल्म और कागज	2	—	1
21.	रंगाई का समान	1	3	1
22.	औषध एवं भेषज	46	35	41
23.	वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्यथा प्रसाधित सहित)	132	82	75
24.	कागज एवं लुगदी (कागज उत्पादों सहित)	15	13	7
25.	चीनी	1	55	61
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	1	4	10
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	29	63	47
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	25	16	33
29.	साबुन, कान्तिवर्धक एवं टायलेट प्रेपरेशन	4	3	1
30.	रबड़ का समान	8	13	96
31.	चमड़ा, चमड़े का समान एवं पिकर्स	10	36	32
32.	सरेस तथा जिलेटिन	1	—	2
33.	कांच	7	3	—
34.	सिरेमिक	15	2	3

	1	2	3	4
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	31	24	10
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	13	6	18
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—
38.	विविध उद्योग	11	11	10
	योग :	1130	989	1083

विवरण-3

वर्ष 1986 से 1988 के दौरान मंजूर किये गये आशय पत्रों में व्यपगत माने गये आशय पत्रों की संख्या (31 दिसम्बर, 988 की स्थिति)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		व्यपगत माने गए आशय पत्रों की संख्या
	1	2
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2.	आंध्र प्रदेश	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	असम	2
5.	बिहार	—
6.	चंडीगढ़	—
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमण और दीव	—
9.	दिल्ली	2
10.	गोवा	2
11.	गुजरात	3
12.	हरियाणा	3
13.	हिमाचल प्रदेश	2
14.	जम्मू और कश्मीर	—
15.	कर्नाटक	5
16.	केरल	1

1		2
17.	लक्षद्वीप	—
18.	मध्य प्रदेश	3
19.	महाराष्ट्र	17
20.	मणिपुर	—
21.	मेघालय	—
22.	मिजोरम	—
23.	नागालैंड	—
24.	उड़ीसा	2
25.	पांडिचेरी	1
26.	पंजाब	2
27.	राजस्थान	5
28.	सिक्किम	—
29.	तमिलनाडु	2
30.	त्रिपुरा	—
31.	उत्तर प्रदेश	12
32.	पश्चिम बंगाल	—
33.	राज्य सूचित नहीं/एकाधिक राज्य	—
	योग :	69

कटे उपकरणों के कारण कोल इण्डिया लि. को घाटा

2637. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री पी. तुलसीराम :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि. को बड़ी संख्या में ड्रैगलीलाइन डोजर, ड्रिलें, क्रेनें इत्यादि या तो टूटी हुई है अथवा ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लि. को इसके कारण कितना घाटा हुआ;

(ग) इन मदों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(घ) इस प्रकार होने वाले घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (ग) और (घ) जी, नहीं। सभी ड्रेगलाइनें संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही हैं। आमतौर पर लगभग 20 प्रतिशत डोजर्स कोयला उत्पादन के कार्य क्षेत्र से विभिन्न कारणों से बाहर रहते हैं, जैसे छोटी मरम्मतों, कार्यक्रम के अनुसार अनुरक्षण अथवा पूंजी का पुनः कल्पन। अन्य उपकरण भी संतोषप्रद रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ईंट भट्टों के लिये गैस कनैक्शन

2638. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री वी. तुलसीराम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में ईंट भट्टों के लिए गैस कनैक्शन प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के ईंट के भट्टों के लिए गैस प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैस कनैक्शन कब तक प्रदान किये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) देश में ईंट के भट्टों के लिए अभी तक कोई एल. पी. जी. कनैक्शन नहीं दिए गए हैं।

(ग) जी. नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केवल तकनीकी अनिवार्यता के आधार पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये जाने पर औद्योगिक प्रयोगों के लिए एल. पी. जी. जारी करने की अनुमति दी जाती है।

औद्योगिक एककों की स्थापना संबंधी नीति का उदारीकरण

2639 श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक एककों की स्थापना संबंधी नीति को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उदारीकरण का ब्यौरा क्या है और इस नीति के अन्तर्गत किन-किन औद्योगिक एककों को शामिल किया जाएगा; और

(ग) नई नीति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक एककों को लाभ कैसे पहुंचेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा पद्धतियों को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया है। इस संबंध में किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :

1. विशिष्ट उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।

2. पिछड़े क्षेत्रों में 50 करोड़ तक तथा गैर-पिछड़े क्षेत्रों में 15 करोड़ रु. तक निवेश वाली गैर-एम. आर. टी. पी./गैर-फेरा कम्पनियों को, विशिष्ट शर्तों के अधीन लाइसेंस मुक्त करना।

3. वस्तुओं के समूह की ब्रांड-बैंडिंग।

4. क्षमता के न्यूनतम आर्थिक आकार की स्थापना।

5. किसी औद्योगिक एकक द्वारा 1 अप्रैल, 1988 और 31 मार्च, 1990 के बीच प्राप्त किए गए अधिकतम उत्पादन का स्वतः पुनः पृष्ठांकन।

6. पिछले समय में क्षमता के उपयोग अथवा एकक के आधुनिकीकरण के आधार पर क्षमता का पुनः पृष्ठांकन।

7. औद्योगिकी उत्पादन योजना के कार्य क्षेत्र तथा संस्थाओं का विस्तार।

(ग) औद्योगिक एकक आर्थिक स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता के उत्पादन क्षमताएं स्थापित कर सकेंगे तथा बाजार मांग पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करने में भी उन्हें स्वतंत्रता तथा नम्यता रहेगी। लाइसेंस प्रणाली इस क्षेत्र में नये प्रवेशकर्ताओं के प्रवेश पर अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करेगी। प्रतिस्पर्द्धा के कारण, औद्योगिक एककों पर अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने, लागत कम करने, तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरन्तर दबाव रहेगा। उन पर अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने का दबाव भी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में तेल और गैस के भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

2640. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में तेल और गैस के भण्डारों का पता लगाने के लिए गत एक वर्ष के दौरान किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन स्थानों में तेल और गैस प्राप्त करने के लिए कार्य चल रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) अप्रैल, 1988 से हिमाचल प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, 400 गुरुत्व-चुम्बकीय स्टेशनों की जांच, और 340 मानक लाइन कि. मी. भूकम्पीय कार्य संपादित किये गये हैं।

कांगड़ा-मंडी और सिरमोर जिलों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। धर्मशाला-दांता-दाला क्षेत्र में गुरुत्व-चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सोनल.सरहां-नहान-दादहु क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। आगे, ज्वालामुखी और नूरपुर के दोनों कुओं में खुदाई चल रहीं है।

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों का खोला जाना

2641. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिमचाल प्रदेश में कितने डाकघर खोले गए;

(ख) कितने डाकघर किराये की इमारतों में खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डाकघरों के लिए अपनी इमारतें और कर्मचारियों के लिए अपने मकान निर्मित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1.1. 1988 से 31.12. 1988 की अवधि के बीच हिमाचल प्रदेश में अब नए शाखा डाकघर और एक नया विभागीय उप डाकघर खोला गया है। इसके अलावा, 1.1.1989 से 28.2.1989 की अवधि के बीच मौजूदा शाखा डाकघरों को परिवर्तित करके 41 उप-डाकघर खोले गए हैं।

(ख) 37 उप डाकघर।

(ग) जी हां।

(घ) हिमाचल प्रदेश में डाकघरों और स्टाफ क्वाटरों के लिए विभागीय भवनों को चरण-बद्ध रूप से निधि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए बनाने का प्रस्ताव है। इस समय, निम्न-लिखित डाकघर भवन और स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं :

डाकघर भवन

1. ऊना प्रधान डाकघर	2. मनाली उप डाकघर
3. सेरा उप डाकघर	4. परवानू उप डाकघर
5. नगर कैसल उप डाकघर और	6. पूह उप डाकघर

स्टाफ क्वार्टर

1. बिलास पुर	4
2. नाहन	8
3. शिमला	53
4. सोलन	12

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के गलत बिल भेजना

2642 डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के गलत बिल भेजना जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिल बनाने संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका गठन कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो सरकार का इसके कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा "मीटर रीडिंग" के आधार पर सही बिल भेजने की भरपूर कोशिश की जाती है। प्रगतिशील कम्प्यूटर के जरिए बिजली के बिल तैयार करने के कार्य में और सुधार किया जा रहा है इससे अपेक्षा की जाती है कि गलत बिल भेजने के उदाहरणों में कमी आएगी।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मणिपुर में उद्योगों का विकास

[अनुवाद]

2643. श्री एम. टोम्बी सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मणिपुर राज्य में उद्योगों के विकास के लिए चल रही योजना के अंग के रूप में राज्य को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उद्योगों के किन-किन मदों के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है और इन उद्योगों का आकार क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को स्वीकृत धन के उपयोग पर निगरानी की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब इस प्रकार की निगरानी रखने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ङ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 से 1988-89 तक (फरवरी, 1989 तक) की अवधि में मणिपुर राज्य को 3.33 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गयी है। पश्चिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत भी वर्ष 1976-77 से 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) तक की अवधि में मणिपुर राज्य को 6.36 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की गयी है।

केन्द्रीय [illegible] योजना के अन्तर्गत डी. पी. आई. सहित के उचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए मणिपुर राज्य को मानीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करने की सलाह दी गयी है।

उपर्युक्त के अलावा, मणिपुर राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में बड़े तथा मझौले उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए 950 लाख रु. तथा ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए 2300 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

औषधियों के मूल्यों की समीक्षा

2644. श्री वसुदेव आचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ औषधियों के मूल्यों को संशोधित किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) और (ख) प्रत्येक प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतें डी. पी. सी. ओ, 1987 के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित की गई हैं। कीमतों का निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर मकानों का निर्माण

[हिन्दी]

2645. श्री हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न डाकघरों के लिए भवनों के निर्माण का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कितने डाकघर किराये के मकानों में हैं और उनमें से जिलेवार कितने डाकघरों के लिए इस वर्ष सरकारी भवनों के निर्माण का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों आदि में डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने का प्रस्ताव है। निर्माण-कार्य निधि, भूमि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) (1) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है :—

(1)	अल्मोड़ा	—54
(2)	चमोली	—42
(3)	देहरादून	—58
(4)	नैनीताल	—43
(5)	पौड़ी	—42
(6)	पिथौरागढ़	—33
(7)	टिहरी	—28
	योग :	300

(II) 1988-89 के दौरान पूरे किए गए, चल रहे/शुरू किए गए मंजूरशुदा कार्यों की संख्या :

(1) पिथौरागढ़	—2
(2) अल्मोड़ा	—2
(3) चमोली	—2
(4) देहरादून	—1
योग :	7

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टी. वी. ट्रांसमीटर

2646. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में कम शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटरों को स्थापित करने का कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन ट्रांसमीटरों को कार्यक्रमानुसार स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) ये ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे; और

(ङ) इन ट्रांसमीटरों की स्थापना के बाद इस क्षेत्र के कितने प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित होंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (घ) सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित दूरदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिकांशतः संतोषजनक है। जबकि टनकपुर में एक अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और अल्मोड़ा, गोपेश्वर, हल्द्वानी और कोसानी में एक-एक अति अल्पशक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही चालू कर दिए गए हैं, उत्तरकाशी के लिए नियत दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1989 के अन्त तक चालू कर दिए जाने का विचार है। इसी प्रकार, धारचूला और भाटियारी में स्थापित किए जाने के लिए नियत ट्रांसमीटरों को भी कार्यक्रम के अनुसार 1989-90 के दौरान चालू किए जाने की उम्मीद है है। तथापि रानीखेत में ट्रांसमीटर चालू करना इसके लिए चुने गए स्थल को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वीकृति दिए जाने और इसे दूरदर्शन को सौंपे जाने पर निर्भर करेगा।

(ङ) उपर्युक्त सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की लगभग 33% जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत लाये जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा तेलुगु और तमिल फिल्मों का वित्त पोषण/निर्माण
[अनुवाद]

2647. **श्री श्रीहरि राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलुगु अथवा तमिल में एक भी फिल्म का वित्त पोषण अथवा निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 1982-83 में तेलुगू में एक वृत्त चित्र फिल्म का वित्त पोषण किया था जिसका शीर्षक "महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट" था और जिसके निर्देशक वेंकट वाराणसी थे। उन्हें निगम की फिल्म वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 25,000/-रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। पिछले 8 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किसी तेलुगु या तमिल फीचर फिल्म का वित्त-पोषण अथवा निर्माण नहीं किया गया।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्म वित्त पोषण स्कीम सभी भारतीय भाषाओं के फिल्म निर्माताओं के लिए लागू है। तथापि, इस स्कीम में अच्छे स्तर की सीमित बजट वाली फिल्मों का वित्त पोषण करने का कार्यक्रम है। वित्त पोषण करने के लिए आवेदनों पर स्क्रिप्टों के आधार पर विचार किया जाता है जिनकी गुणवत्ता निर्धारण के लिए एक स्क्रिप्ट समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है। जिसमें फिल्म निर्माता, फिल्म आलोचक और अन्य विशेषज्ञ होते हैं और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बोर्ड द्वारा उनकी सिफारिशों पर परियोजना को स्वीकृत करने से पहले विचार किया जाता है। तमिल और तेलुगु के मामले में, यद्यपि क्रमश: 26 और 5 फीचर फिल्मों के वित्त पोषण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु स्क्रिप्ट सीमत ने तमिल के 24 आवेदन पत्रों और तेलुगु के 3 आवेदन पत्रों की अनुशंसा नहीं की। तमिल और तेलुगु के शेष 2-2 आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जा रही है।

रामेश्वरम द्वीप में टी. वी. टावर

2648. **श्री पी. एम. सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या रामेश्वरम द्वीप में एक बहुत ही ऊंचा टी. वी. टावर बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस टावर की क्षमता क्या होगी और इससे कितनी दूरी तक के लोग लाभान्वित होंगे; और

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी और यह कब तक पूरा हो जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में 300 मीटर ऊंचे टावर पर आरूढ़ प्रेषण ऐंटीना सहित उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर

स्थापित किया जाना शामिल है। इस परियोजना को 1992-93 के दौरान चालू किए जाने की उम्मीद है और यह करीब 140 किलोमीटर की रेंज के अन्दर सेवा उपलब्ध करेगा, इस परियोजना को 3 5.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है।

औद्योगिक एककों को लाइसेंस से छूट देने की सुविधा

2649. श्री पी एम सईद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए ऐसे मामलों में कुछ रियायतें देने की घोषणा की है जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी कर दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक एककों को भी लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री के. वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 1988 की अधिसूचना में निर्धारित स्थापना-स्थल संबंधी नीति की वे परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उदार बनाया गया है जो प्रदूषण न करने वाली हैं और जिनमें चल परिसम्पत्तियों में 5 करोड़ रु. तक निवेश किया जाना है बशर्ते वे निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करती हों :—

(1) औद्योगिक उपक्रम 30 जून, 1988 से पहले राज्य सरकारों अथवा उनके अभिकरणों द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक बस्ती अथवा विकास केन्द्र में स्थित है,

(2) औद्योगिक उपक्रम इस समय लघु एकक है किंतु एक बार के आधार पर धीरे-धीरे लघु एकक की सीमा के बाहर जा रहा है,

(3) औद्योगिक उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों में कम से कम तिहायी महिलाएं अथवा विकलांग व्यक्ति होने चाहिए।

(ग) और (घ) लाइसेंस मुक्त करने की सुविधा जिसे ब्रिटिश सहित ब्रिटिंग उद्योग में भी लागू की गई है चाहे वे कहीं भी स्थित हों।

तेल प्रतिष्ठानों में सुरक्षोपाय

2650. श्री पी. एम. सईद : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के अन्तर्गत लाने हेतु एक नई सुरक्षा योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी स्तर पर कर्मचारियों को इसमें शामिल करने हेतु सुरक्षा उपाय करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) सुरक्षा उपाय लगभग कब से प्रभावी और लागू होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बहुगुणा) : (क) ड्रिलिंग तेल गैस के उत्पादी और संसाधन करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अन्य तेल प्रतिष्ठानों को कवर करने के लिए सरकार ने तेल उद्योग संरक्षा निदेशालय (ओ. आई. एस. डी.) के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) डिजाइन विधि पर मानकों, परिचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण संबंधी क्रियाविधियों सहित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों को बनाने के लिए अनेक तकनीकी कार्य समितियां और परिचालन समितियां बनाई गई हैं जिनमें तेल उद्योग के सदस्य हैं। बाह्य सुरक्षा आडिट के लिए वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों की हाल ही में समितियां बनायी गई हैं जिनमें पेट्रोलियम उद्योग और अन्य विभागों से विशेषज्ञ लिए गए हैं। सुरक्षा उपाय लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया के जिसमें अद्यतन/नई प्रौद्योगिकी, उपकरण पद्धतियां तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने होते है इसलिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग के लिए कोई समय सीमा/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। क्षेत्र स्तर पर अग्नि शमन और सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सभी संगठनों में तेज किया जा रहा है।

कागज उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई

2651. **श्री पी. एम. सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कागज उद्योग से इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि भविष्य में कच्चे माल की उनकी मांग पूरी की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग द्वारा दिये गए सुझावों में, लकड़ी के लट्ठे, रद्दी कागज, इत्यादि पर आयात शुल्क में कमी/समाप्त, कच्चे माल को ले जाने के लिए परिवहन राजसहायता की मंजूरी, आयातित कच्चे माल से कागज तथा गत्ता बनाने के लिए उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतें, उद्योग द्वारा अपने यहां पौधे लगाने के लिए उपयुक्त नीति संबंधी परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ग) सेल्यूलोजिक कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने में उनके सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने उद्योग को पहले ही विभिन्न राहतें/रियायतें दी हैं। जिनमें ये सम्मिलित हैं :—

(1) कागज उद्योग को गैर-परम्परागत कच्चे माल उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, और ऐसे कच्चे माल का उपयोग करने के लिए कई राजकोषीय रियायतें दी गई हैं।

(2) कागज उद्योग को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत, लकड़ी की लुगदी लकड़ी के चिप्स, लकड़ी के लट्ठों तथा रद्दी कागज के आयात की सुविधा उपलब्ध है।

(3) कृषि अवशेषों, रद्दी तथा खोई से लिखाई, छपाई तथा लपेटने के कागज के विनिर्माण को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

(4) कृषि अवशेषों पर आधारित, विशेष कागज तथा गत्ता उद्योग को न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना में शामिल कर लिया गया है और न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33,000 मी. टन प्रति वर्ष नियत की गई है।

(5) कारखाने और व्यक्तियों के बीच सीधा संबंध स्थापित करके अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया जाता है जो ऋण, तकनीकी सलाह, परिवहन सेवाओं इत्यादि सहित व्यक्तियों को निष्टियाँ प्रदान करके कच्चा माल उगा सकते हैं।

खाना पकाने की गैस का विस्तार

2652. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, खाना पकाने की गैस के कितने नए कनेक्शन दिए गए;

(ख) वर्तमान वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन वर्षों में जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) एल. पी. जी. की उपलब्धता में वृद्धि होने पर तेल उद्योग द्वारा अपने उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन सम्पूर्ण देश में चरणबद्ध रूप में नए एल.पी.जी. के कनेक्शन दिये जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 1989 तक लगभग 9.76 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान किए गए एल. पी. जी. कनेक्शनों की अनुमानित संख्या		
		1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.071	1.439	0.830
2.	असम	0.260	0.219	0..97
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.008	0.016	0.012
4.	बिहार	0.345	0.528	0-304

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	1.781	1.953	1.390
6.	गोवा	0.061	0.076	0-1'1
7.	हरियाणा	0.388	0.456	0.558
8.	जम्मू और कश्मीर	0.151	0.202	0.365
9.	कर्नाटक	0.767	0.681	0 677
10.	केरल	0.774	0.634	0.363
11.	हिमाचल प्रदेश	0.117	0.120	0.144
12.	मध्य प्रदेश	1.285	0.869	0.750
13.	महाराष्ट्र	3.202	3.047	2.060
14.	मणिपुर	0.033	0,036	0.033
15.	मिजोरम	0.017	0.011	0.011
16.	मेघालय	0.014	0.019	0.015
17.	नागालैंड	0.014	0.019	0.022
18.	उड़ीसा	0.231	0.221	1.164
19.	पंजाब	0.627	0.590	0.646
20.	राजस्थान	0.477	0.676	0.398
21.	सिक्किम	0.002	0.005	0.0001
22.	तमिलनाडु	1.320	1.142	1.001
23.	त्रिपुरा	0.049	0.024	0.024
24.	उत्तर प्रदेश	1.260	1.812	1.970
25.	पश्चिम बंगाल	0.280	0.953	0.665
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	चण्डीगढ़	0.091	0.104	0.123
27.	दिल्ली	0.658	1.113	1.005
28.	दादरा और नगर हवेली	0.005	0.005	0.001
29.	दमण और दीव	0.096	0.090	0.005
30.	पांडिचेरी	0.022	0.023	0-021
31.	अण्डमान और निकोबार	—	—	0.010
		16.316	17.083	14.374

अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर में उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

2653 श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर के सीमावर्ती जिलों में उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या भारत-पाक सीमा पर अनूपगढ़ में उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (घ) राजस्थान के गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में 300 मीटर ऊंचे स्तम्भ पर ट्रांसमिटिंग एन्टीना सहित एक उच्च शक्ति (2×10 किलोवाट) टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना दूरदर्शन की सातवीं योजना में जोड़ी गई परियोजना के मध्यावधि मूल्यांकन का एक भाग है। योजना के लिए सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। इस आकार की योजना के पूरा होने के लिए लगने वाला सामान्य समय, कार्य स्थल पर कार्य के आरम्भ होने के बाद चार वर्ष है। गंगानगर जिले में टी. वी. सेवा को पर्याप्त सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, अनूपगढ़ में प्रस्तावित ट्रांसमीटर द्वारा बीकानेर जिले के पर्याप्त भागों को भी सेवा प्राप्त होने की आशा है। इसके साथ साथ, दूरदर्शन की सातवीं योजना के भाग के रूप में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, प्रत्येक राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर के सीमावर्ती जिले में, स्थापित करने की स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। तथापि सातवीं योजना में बीकानेर जिले में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल डीजल के खुदरा दुकानों का आबंटन

[अनुवाद]

2654. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल की कितनी खुदरा दुकानों का आबंटन किया गया और उनमें से कितनी दुकानें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को आबंटित की गई;

(ख) क्या पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई रियायत और सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	आवंटित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों/मोटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल) की कुल संख्या	अनु. जा./अनु. जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई संख्या
1985.86	560	144
1986-87	410	138
1987-88	390	148

(ख) जी, हां।

(ग) ये निम्नलिखित हैं :

(1) नई डीलरशिपें/वितरण केन्द्र खोलने के लिए वार्षिक विपणन योजनाएं बनाते समय प्रत्येक राज्य में निर्दिष्ट स्थानों का 25 प्रतिशत अ. जा./अनु. जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की प्रतिशतता अरुणाचल प्रदेश (70%) मेघालय (80%) नागा लैंड (80%) और मिजोरम (90 प्रतिशत) राज्यों में अधिक है।

(2) वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार डीलरशिप/वितरण केन्द्र खोलने के प्रस्तावित स्थान के जिले के निवासी उम्मीदवार विज्ञापन के तहत आवेदन देने के पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के मामलों में विशेष सुविधा के रूप में आस पास के जिलों से निवासी भी आवेदन देने के पात्र हैं।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को खाली फार्म लेते समय 25/- रुपए और भरा हुआ फार्म जमा करवाते समय 25/- रुपए देने होते हैं। इस प्रकार प्राप्त यह राशि "ओपन" श्रेणी के उम्मीदवारों से ली जाने वाली राशि का केवल आधा होती है।

केरल में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

2655. **श्री एस. वी. विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वितरकों द्वारा रसोई गैस की अनियमित सप्लाई के बारे में बार-बार शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने और रसोई गैस के वितरण को नियमित बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) केरल सहित देश के अनेक भागों में हाल ही में एल. पी. जी. रिफिलों की सप्लाई में अस्थाई रूप से बैकलाग उत्पन्न हो गया था जो परिवहन औद्योगिक संबंधों अन्य औपरिचालन संबंधी दिक्कतों के अतिरिक्त एल. पी. जी. की बल्क उपलब्धता में कमी होने के कारण था। पहले से ही किए गए उपायों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल. पी. जी. के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यथा समय आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

केरल में मालाबार में पन-बिजली यूनिट की स्थापना

2656. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में शान्त घाटी परियोजना, जिसे पहले ही रद्द कर दिया गया था, के स्थान पर एक पन बिजली यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) शान्त घाटी जल विद्युत परियोजना के स्थान पर कोई जल विद्युत यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए केरल से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खादी और ग्रामोद्योग को लघु औद्योगिक क्षेत्र से अलग करना

2657. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग को लघु औद्योगिक क्षेत्र से अलग करने का है;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग को मूल्य और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में वरीयता दी जाएगी;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग के कच्चे माल और तैयार माल पर लगने वाले सीमा और उत्पादन शुल्कों तथा अन्य प्रकार के करों में कोई रियायत दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योग का संवर्धन किया जा रहा है और राज्य

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो संगठनों से स्पष्टतया अलग है क्षेत्र लघु उद्योग क्षेत्र का संवर्धन कर रहे हैं।

(ख) मूल्य वरीयता के मामले में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र लघु क्षेत्र के समान ही हैं।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को कई क्षेत्रों में सीमा तथा उत्पाद-शुल्क में रियायतें दी गई हैं। इस समय खादी संसाधन, "पोलीवस्त्र" नामक मिश्रित उत्पाद में पोलीएस्टर सूत के प्रयोग, सब्जियों/फलों/अचारों/सासिज/कैचअप तैयार करने, 75/- रु. प्रति जोड़ी मूल्य तक की पादुकाओं, रेडियो, कैसट प्लेयरों अथवा रिकार्डरों, चाहे उनमें रेडियो तथा वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हो अथवा न लगा हो, पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

1989-90 के वित्त विधेयक में, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को कच्ची ऊन का सीमा-शुल्क रहित आयात करने की अनुमति दी गई है तथा फर्नीचर और सैरामिक वस्तुओं के विनिर्माण पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

कर्नाटक में लम्बित बड़ी बिजली परियोजनाएं

2658. श्री [illegible] राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) [illegible] लम्बित बड़ी बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) [illegible] परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) क्या ये शेष परियोजनायें आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरी की जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ग) कर्नाटक में राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन/स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वराही (2×115 मे. वा.) की दो यूनिटों, सिरवार (1X1) मे. वा.), कलमाला (0.4 मे. वा.) तथा गैनकल (0.75 मे. वा.) जल विद्युत परियोजनाओं को सातवीं योजना में पूरा कर लिए जाने की परिकल्पना की गयी है। गंगावली और शिवपुर जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर शेष परियोजनाओं को 8वीं योजनावधि में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं का सघन रूप से मानीटरिंग किया जाना, उपस्कर एवं सामग्री शीघ्र सप्लाई करना, बाधाओं/समस्याओं का पता लगाने और इनका समाधान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इन्जीनियरों द्वारा परियोजना स्थल का दौरा किया जाना। राज्य अधिकारियों पर प्रभावी परियोजना प्रबन्ध की आवश्यकता के लिए भी जोर डाला गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट की संख्या और आधार (मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
	जल विद्युत		
1.	वाराही	2×115+.2-45	239
2.	सिरवार	1×1	1

1	2	3	4
3.	गनेकल	0.75	0.75
4.	चाल्ला	2×16	32
5.	माल्लापुर	2×4.5	9
6.	मद्दूर नहर	1×1.5	1.5
7.	कालीनदी टी	3×40+3×50	270
8.	शरावती टी. आर,	4×60	240
9.	गंगावली	2×105	210
10.	शिवपुर	2×9	18
11.	कालमाला	1×0.4	0.4
	ताप विद्युत		
12.	रायचुर विस्तार	2×210	420
13.	कोलार, बिदर, जामखंडी और हुब्बी में डी.जी. प्लांट		77.76
14.	येलाहंका, बंगलौर में डी. जी. संयंत्र	4×30	120
			1639.51

बंगलौर के लिये दूरदर्शन का दूसरा चैनल

2659. **श्री वी. कृष्ण राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में दूरदर्शन की दूसरी चैनल सेवा के लिए कर्नाटक राज्य की मांग बहुत समय से विचाराधीन पड़ी है;

(ख) क्या 1989 के दौरान इसे स्वीकृति दे दी जाएगी?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर से दूसरे चैनल की सेवा शुरू किए जाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। योजना के अन्तर्गत अनुमोदित स्कीम के अनुसार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों से दूसरे चैनल की सेवा की योजना थी। अतः सातवीं योजना के अन्तर्गत किसी अन्य शहर से तत्समान सेवा शुरू करने के लिए किसी धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है।

उड़ीसा के गांवों का विद्युतीकरण

2660. श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिलेवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) अब तक जिलेवार कितने गांवों में बिजली नहीं पहुंचाई गई है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जिलेवार कितने गांवों में बिजली पहुंचाने का विचार है; और

(घ) शेष गांवों में कब तक बिजली पहुंचाई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 31.1.1989 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में विद्युतीकृत गांवों और विद्युतीकरण किए जाने के लिए शेष बचे गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को जनवरी, 1989 तक 184 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में जिलेवार लक्ष्य राज्य स्तर पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, योजना आयोग ने 1988-89 के दौरान 1222 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है और ग्रामीण ऊर्जा से संबंधित कार्यकारी दल ने वर्ष 1989-90 के दौरान 885 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने के लक्ष्य की सिफारिश की है।

(घ) उड़ीसा के शेष बचे सभी गांवों का विद्युतीकरण 8वीं योजना के अन्त तक कर लिए जाने की सम्भावना है, बशर्ते निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों :

विवरण

31.1.1989 की स्थिति के अनुसार, विद्युतीकरण गांवों तथा विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिला	31.1.1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	31.1.1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव
1	2	3	4
1.	बालासुर	2855	977
2.	बोलांगिर	1743	794
3.	कट्टक	4864	1172
4.	धेनकानल	1792	899

1	2	3	4
5.	गनजम	2576	1609
6.	कालाहान्डी	1252	1443
7.	कियोझार	1451	594
8.	कोरापूट	2167	3681
9.	मयूरभंज	1957	1772
10.	फुलबानी	1139	2267
11.	पुरी	3390	1058
12.	सम्बालपुर	2242	1194
13.	सुन्दरगढ़	1220	445
	जोड़	28648	17905

विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग

2661. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग को नियमित करने के लिए संसद में विधेयक कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री के लिए विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग को नियमित करने की नीति की उसके समस्त पहलुओं सहित समीक्षा की जा रही है। इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा दोपहर बाद की सभा में कन्नड कार्यक्रमों का प्रसारण

2662. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन द्वारा दिल्ली दूरदर्शन के दोपहर बाद की सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर शहर के अधिकांश लोग इन कार्यक्रमों को नहीं देख पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर दूरदर्शन द्वारा दोपहर बाद की सभा के कन्नड कार्यक्रमों का प्रसारण करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) दोपहर बाद के प्रसारण को बंगलौर सहित दूरदर्शन के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित किया जाता है। सोमवार से शुक्रवार तक इसे बम्बई से और शनिवार को दिल्ली से रिले किया जाता है। बम्बई से 26 जनवरी, 1989 को दोपहर बाद का प्रसारण शुरू होने के तुरंत पहले एक फील्ड फारवार्ड अध्ययन किया गया था। जिससे पता चला कि बंगलौर के कुल दर्शकों में से 50 प्रतिशत दर्शक दोपहर बाद के प्रसारण को देखने के लिए तैयार है। इस प्रसारण के कार्यक्रम मूलरूप से हिन्दी में हैं। इस प्रसारण में कार्यक्रमों को प्रादेशिक भाषाओं में टेलीकास्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुरक्षा हेतु खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के लिए "काटन एप्रन स्कीम" लागू करना

2663. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने बंगलोर में खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु "काटन ऐप्रन" आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो "एप्रन" का लागत मूल्य क्या है;

(ग) क्या खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को "ऐप्रन" पहनना अनिवार्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को "ऐप्रन" को पहनना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने परीक्षण के तौर पर बंगलूर में चुनिन्दे वितरकों के माध्यम से घरेलू एल. पी. जी. उपभोक्ताओं के लिए सूती ऐप्रन आरम्भ किये हैं।

(ख) प्रत्येक एप्रन की लागत करके अतिरिक्त 25 रुपए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

स्वर्गीय श्री डी देवराज अर्स और केनगल हनुमन्तैया के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करना

2664. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री डी. देवराज अर्स और केनगल हनुमन्तैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकटें जारी की गई है,

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं तो क्या भविष्य में स्वर्गीय देवराज अर्स और केनगल हनुमन्तैया के सम्मान में डाक-टिकटें जारी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी हाल में इन महापुरुषों पर डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के लक्ष्य

3665. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 1987-88 और 1988-89 के लिए राज्य-वार लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के रूप में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में 31 दिसम्बर, 1988 तक वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ताओं की, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के आरम्भ के समय से 31 दिसम्बर, 1988 तक लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल वास्तविक संख्या, राज्य-वार कितनी है;

(घ) इस योजना के आरम्भ के समय से 31 दिसम्बर, 1988 तक लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा वस्तुतः स्थापित किये गये औद्योगिक अथवा वाणिज्य प्रतिष्ठानों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ङ) कुल कितने लाभ प्राप्तकर्ता, 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, ऋण का अदायगी में दोषी पाये हैं; और

(च) इस योजना के अन्तर्गत स्थापित एककों को, जो ठीक से नहीं चल रहे हैं, चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक लाभाग्राहियों की संख्याओं में निर्धारित किये गये राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण.1 में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) 1983-84 से 197-88 के वर्षों में बैंकों से ऋण की मंजूरी पाने वाले लाभ-ग्राहियों की संख्या में हुई प्रगति दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(घ) और (ङ) स्थापित किये गये उपक्रमों की संख्याओं और ऋण के भुगतान में दोषी होने वाले लाभाग्राहियों की संख्याओं संबंधी जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(च) वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपक्रमों के पुनर्वास हेतु ऋण भुगतान के कार्यक्रम को बदलने की अनुमति बैंकों द्वारा दे दी जाती है।

विवरण-I

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य, लाभग्राहियों की संख्याओं में:—

क्रमांक	राज्य का नाम	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	17,300	8,650	17,300
2.	असम	6,200	3,100	6,200

1		2	3	4
3.	बिहार	29,600	14,800	29,600
4.	गुजरात	10,700	5,350	10,700
5.	हरियाणा	4,600	2,000	4,600
6.	हिमाचल प्रदेश	1,600	800	1,600
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1,400	700	1,400
8.	कर्नाटक	12,400	6,200	12,400
9.	केरल	20,000	10,000	19,950
10.	मध्य प्रदेश	17,600	8,800	17,600
11.	महाराष्ट्र	15,500	7,750	15,500
12.	मणिपुर	1,500	750	1,500
13.	मेघालय	300	150	300
14.	नागालैण्ड	200	100	200
15.	उड़ीसा	9.300	4,650	9,300
16.	पंजाब	15,000	7,500	15,000
17.	राजस्थान	10,300	5,150	10,300
18.	सिक्किम	100	50	150
19.	तमिलनाडु	18,100	9,050	18,100
20.	त्रिपुरा	900	450	1,000
21.	उत्तर प्रदेश	31,300	15,650	31,300
22.	पश्चिम बंगाल	24,300	12,150	24,300
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	100	50	100
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	50	100
25.	चंडीगढ़	500	175	176
26.	दादरा एवं नगर हवेली	100	50	100
27.	गोआ दमन एवं द्वीव	350	175	400*
28.	मिजोरम	250	125	325
29.	पांडिचेरी	450	225	450
30.	लक्षद्वीप	—	150	50
	योग :	2,50,000	1,25,000	2,50,000

* गोआ 350 दमन और द्वीप 50

विवरण-2

1983-84 से 1987-88 के बीच शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अधीन बैंकों से ऋण की मंजूरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या (राज्य/संघ वार)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बैंक द्वारा मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या।					
		1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	योग (कालम 3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1781	13084	16518	14919	7421	66723
2.	असम	8021	7642	4629	5837	3181	29320
3.	बिहार	71230	14806	26376	22560	12025	89987
4.	गुजरात	10497	4072	6522	4924	5293	34308
5	हरियाणा	2189	5478	4792	4808	2450	23707
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	2156	1591	1406	736	8404
7.	जम्मू एवं कश्मीर	5416	1119	1095	708	564	4802
8.	कर्नाटक	12307	12810	12837	12100	6175	56229
9.	केरल	13091	11907	13033	19015	9407	66453

1	2	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	20786	18065	17224	16679	8732	79486
11.	महाराष्ट्र	14579	18667	13848	13466	8804	79454
12.	मणिपुर	991	994	1491	1493	649	5618
13.	मेघालय	353	313	111	80	141	986
14.	नागालैंड	189	269	166	129	83	836
15.	उड़ीसा	6823	7599	8757	8620	4585	36384
16.	पंजाब	3047	12212	11677	15037	7672	55645
17.	राजस्थान	15054	15382	10986	10736	5579	57735
18.	सिक्किम	15	49	49	33	25	17
19.	तमिलनाडु	21247	22500	18722	18362	9278	10109
20.	त्रिपुरा	696	707	912	909	346	3570
21.	उत्तर प्रदेश	36857	34400	26264	23197	14102	134820
22.	पश्चिम बंगाल	23680	23101	21885	20468	12073	101207
23.	अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह	06	101	101	80	37	385
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	60	61	22	24	203

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चंडीगढ़	325	300	394	416	179	1614
26.	दादरा तथा नगर हवेली	54	68	40	19	12	193
27.	गोआ दमन और दीव	जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत नहीं है	337	84	220	160	801
28.	मिज़ोरम	196	202	104	233	92	827
29.	पांडिचेरी	414	400	465	480	240	1999
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	9	9
		कुल योग 243405	228800	220724	216958	120224	1029109

टी. वी. प्रसारण क्षेत्र का विस्तार

2666. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक देश में, राज्यवार कितने ट्रांसमीटर थे।

(ख) इनके प्रसारण से प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की कितने प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित है;

(ग) राज्यवार, प्रति दस लाख जनसंख्या के पीछे टी. वी. रिसीवर की संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान अतिरिक्त टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार इस बारे में क्या उपलब्धि रही; और

(ङ) शत प्रतिशत कवरेज के लिए 1988-89 के कार्यक्रम के पश्चात राज्यवार, कितने अतिरिक्त ट्रांसमीटरों की आवश्यकता होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार देश में 274 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत थे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कवर की गयी जनसंख्या का प्रतिशत संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) 2 ट्रांसपोजरों सहित 83 अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर 1988-89 के दौरान चालू किए जाने थे। इनमें से 31 ट्रांसमीटर 31 दिसम्बर, 1988 तक चालू कर दिये गए थे। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-3 मे दिए गए हैं।

(ङ) सातवीं योजना की स्कीमों के चालू हो जाने पर देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या मौजूदा संख्या अर्थात 306 से बढ़कर 423 हो जावेगी और तब करीब 82.8 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत लाये जाने की उम्मीद है। जनसंख्या के शेष हिस्से को कवर किए जाने के लिए अपेक्षित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या, ट्रांसमीटरों की शक्ति से संबंधित श्रेणी और कवर किए जाने वाले क्षेत्र के भूभाग पर निर्भर करेगी। देश मे दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को केवल चरणबद्ध ढंग से हाथ में लिया जा सकता है।

विवरण-I

31 दिसम्बर, 1988 तक टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थिति

	राज्य	टी- वी. ट्रांसमीटरों की संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	असम	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	4
4.	बिहार	12
5.	गोवा	1
6,	गुजरात	17
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	8
9.	जम्मू और कश्मीर	6
10.	केरल	8
11.	कर्नाटक	18
12.	मध्यप्रदेश	27
13.	मेघालय	3
14.	मणिपुर	2
15.	महाराष्ट्र	28
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	9
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान	21
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	10
23.	त्रिपुरा	1

1		2
24.	उत्तर प्रदेश	34
25.	पश्चिम बंगाल	10
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	दिल्ली	1
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
3.	दमन और दीव	2
4.	पांडिचेरी	3
5.	लक्षद्वीप समूह	7
6.	चंडीगढ़	1
7.	दादर और नगर हवेली	1
	कुल :	274

उपरोक्त के अतिरिक्त दूसरे चैनल की सेवा के लिए, 4 टी. वी. ट्रांसमीटर यथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रत्येक में एक-एक कार्य कर रहे हैं।

विवरण-2

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में टी. वी. कवरेज (31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार)

	राज्य	जनसंख्या (%)
1.	आंध्र प्रदेश	65.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.6
2.	असम	77.00
4.	बिहार	75.00
5.	गोवा	100.00
6.	गुजरात	71.00
7.	हरियाणा	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	50.6
9.	जम्मू और कश्मीर	89.00

1		2	
10.	कर्नाटक	52.7	
11.	केरल	85.7	
12.	मध्यप्रदेश	43.5	
13.	महाराष्ट्र	59.6	
14.	मणिपुर	57·3	
15.	मेघालय	79.00	
16.	मिजोरम	26.4	
17.	नागालैंड	37.3	
18.	उड़ीसा	55.8	
19.	पंजाब	99.00	
20.	राजस्थान	48.1	
21.	सिक्किम	60.2	
22.	तमिलनाडु	86.7	
23.	त्रिपुरा	93.3	
24.	उत्तर प्रदेश	85·9	
25.	पश्चिम बंगाल	95.1	
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	57.9	
2.	चंडीगढ़	100.00	
3.	दादरा और नगर हवेली	43.6	
4.	दिल्ली	100.00	
5.	दमन और दीव	100.00	1. दमन —100% 2. दीव —100%
6.	पांडिचेरी	100.00	
(1)	पांडिचेरी	100.00	
(2)	माहे	100.00	

1		2
(3)	यानम	—
(4)	कराईकाल	100,00
7.	लक्षद्वीप समूह	82.5
	राष्ट्रीय औसत	72.2

विवरण-3

क्रम सं.	राज्य	1988-89 के दौरान स्थापित होने वाले अतिरिक्त टी. वी. ट्रांसमीटरों का लक्ष्य	1.4.88 से 31.12.88 के दौरान चालू टी. वी. ट्रांसमोटर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	2
3.	असम	1	—
4.	बिहार	7	1
5.	गुजरात	5	3
6.	हरियाणा	1	—
7.	हिमाचल प्रदेश	5	3
8.	जम्मू और कश्मीर	5	1
9.	कर्नाटक	1	—
10.	केरल	3	2
11.	मध्यप्रदेश	9	5
12.	महाराष्ट्र	3	2
13.	मणिपुर	1	—
14.	मेघालय	1	—
15.	मिजोरम	2	1
16.	नागालैंड	1	1

1	2	3	4
17.	उड़ीसा	3	—
18.	राजस्थान	2	1
19.	सिक्किम	1	—
20.	उत्तर प्रदेश	6	2
21.	पश्चिम बंगाल	1	—
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	—
2.	चंडीगढ़	1	1
3.	दादरा और नगर हवेली	1	1
4.	दमन और दीव	1	1
5.	लक्षद्वीप समूह	2	1
6.	पांडिचेरी	3	2
	कुल :	83	31

तार और कैबल कम्पाउन्डस के निर्माण के लिए ब्रिटेन की बी. पी, केमिकल्स लि. (ब्रिटेन) और भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता

2667. **श्री ई. अय्यपु रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार और कैबल कम्पाउन्डस के निर्माण के लिए भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड (आई पी एल ए) ने ब्रिटेन की बी. पी. केमिकल्स लि. से लाइसेंस समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री वै. बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के ब्यौरों को प्रकट करना निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोगिक संयन्त्र

2668. **श्री ई. अय्यपु रेड्डी** : : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान ने बैलों की सहायता से विद्युत उत्पादन के लिए बम्बई में एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की है;

(ख) (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और बैलों की सहायता से कितना विद्युत उत्पादन किया जा सकता है; और

(ग) क्या इस परियोजना का क्षेत्र परीक्षण किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी हां। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने विद्युत उत्पादन के लिए पशु शक्ति का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (एन आई टी आई ई) बम्बई में एक परियोजना प्रायोजित की है। तीन प्रोटोटाइपों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक डिजाइन अपने पूर्ववर्ती डिजाइन में एक संशोधन है। यह प्रोटोटाइप दो बैलों के द्वारा 3 घंटे में 12 वोल्ट बैटरियों को चार्ज कर देता है। तथापि प्रयोगों से यह बात सामने आई है कि चूंकि वी-पेटियों के द्वारा दो भिन्न शाफ्टों को जोड़ा गया इसलिए विशेषकर निवेश आर पी एम को अधिक बढ़ाने से अपरिणामात्मक हानियां अधिक थीं। इस समस्या को दूर करने के लिए गियर बॉक्स प्रणाली को एक ही में समन्वित कर दिया गया। तदनुसार ही एक बड़े बाक्स में फिट होने वाले अपेक्षाकृत छोटे गियर बाक्स का डिजाइन तैयार किया गया, इस संशोधन के फलस्वरूप यह प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। प्रारम्भ में, एक भारी आटोमोबाइल वाहन में इस्तेमाल किए जाने वाले डी सी जनरेटर को चलाने के लिए दोहरे गियर बाक्सों को पेटी से जोड़ा गया। अन्तिम उत्पादन आर पी एम लगभग 3500 था। आगे और परीक्षणों से यह बात सामने आई कि डी सी जनरेटरों से वर्तमान समय में हो रहे उत्पादन की तुलना में आटोमोबाइलों में इस्तेमाल किए जाने वाले अलटरनेटर को और अधिक विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्नत प्रोटोटाइप से क्षेत्र परीक्षण किए जा रहे हैं।

आदोनी, आन्ध्रप्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का स्थान बदलना

2669. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आन्ध्र प्रदेश में कर्नूल जिले में आदोनी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का स्थान बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) अनन्तपुर के कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर कुर्नूल जिले में टी. वी. कवरेज में सुधार होने की आशा है। आदोनी टी. वी. रिले केन्द्र को इसके वर्तमान स्थान से हटाने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।

"चित्रहार" और "चित्रमाला" कार्यक्रमों हेतु फिल्मी गीतों का चयन

2670. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चित्रहार" और चित्रमाला" कार्यक्रमों के लिए फिल्मी गीतों का चयन किस आधार पर किया जाता है; और

(ख) जिन फिल्म निर्माताओं के गीतों का "चित्रहार" और "चित्रमाला" कार्यक्रमों के लिए चयन किया जाता है उन्हें इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) "चित्रहार" और "चित्रमाला" कार्यक्रमों के लिए गीत और नृत्य अनुक्रमों को उनके सौन्दर्यपरक और मनोरंजनात्मक मूल्यों, ध्वनि की तकनीकी गुणवत्ता तथा पिक्चर एवं व्यावसायिक स्तर के आधार पर चुना जाता है।

(ख) राष्ट्रीय नेटवर्क पर "चित्रमाला" या "चित्रहार" कार्यक्रमों में एक रंगीन गीत और नृत्य अनुक्रम के लिए 5000/-रुपए का भुगतान किया जाता है। रंगीन गीत और नृत्य अनुक्रम जिनको दिल्ली और इसके सम्बद्ध ट्रांसमीटरों से शुक्रवार को टेलीकास्ट किया जाता है, के लिए प्रति गीत 1,500/-रुपए का भुगतान किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाट गीत और नृत्य अनुक्रम के लिए उक्त राशि में 25 प्रतिशत की कटौती करके भुगतान किया जाता है। प्रत्येक गीत और नृत्य अनुक्रम के दोबारा टेलीकास्ट किये जाने पर उक्त राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है :

फिल्म उद्योग की समस्याएं

2671. श्री विजय एन. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान सेंसर लगाने और आर्थिक स्थिति के संबंध में फिल्म उद्योग की समस्याओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को कौन-कौन सी उपलब्धियों और कमियों का पता चला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 14 फरवरी, 1989 के आदेश संख्या 105/19/88 एफ (आई) के तहत फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सूचना और प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7567/89] जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समिति का गठन औरइसके विचारार्थ विषय दिए गए हैं। समिति से अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 माह के भीतररिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा है पहली बैठक अप्रैल 1989 के प्रारम्भ में आयोजित करने की योजना है। इस बीच 1989-90 के बजट में फीचर फिल्मों के प्रिंटों पर उत्पादन शुल्क कम करके उद्योग को राहत दी गयी है। प्रत्येक फीचर फिल्मों के प्रथम 30 प्रिंट पूर्ण छूट के लिए पात्र होंगे जबकि बजट से पहले 12 प्रिंट इसके पात्र थे। उत्तवर्ती प्रिंटों पर उत्पादन शुल्क की दरों को भी कम किया गया है।

दूरदर्शन विज्ञापनों से आय :

2672. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान दूरदर्शन पर विज्ञापनों से कितनी आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दूरदर्शन विज्ञापनों से आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए बजट आलकन में कुल राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य 100 करोड़ रुपए था जो संशोधित बजट में 140 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कुल राजस्व 136.3 करोड़ रुपए एकत्र किया गया था।

(ग) सकल राजस्व की कमी का मुख्य कारण दिसम्बर 1987 और जनवरी 1988 में राष्ट्रीय शोक के दौरान विज्ञापनों का टेलीकास्ट न किया जाना है।

(घ) इस दिशा में पहले ही कदम उठाए गए हैं जिनमें विज्ञापन दरों को युक्तिसंग बनाना और बिक्री को बढ़ावा देना शामिल है और इनके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित समग्र राजस्व एकत्र करने के लक्ष्य को फरवरी, 1989 के अन्त तक अर्थात् एक माह पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में देहरा को सम्मिलित करने के लिए हमीरपुर सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र को नई लाइन से जोड़ना

2673. : **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समीपस्थ देहरा सिविल सबडिविजन को सम्मिलित करने हेतु हमीरपुर सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र को नई लाइन से जोड़ने तथा वर्तमान हमीरपुर और ऊना टेलीग्राफ सब-डिविजन को सम्मिलित करने हेतु वृहत सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र बनाने के लिए किये गये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आदेश कब जारी किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा आदेश कब तक जारी किये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, प्रशासनिक उद्देश्यों से देहरा उप-मंडल से हमीरपुर सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र में शामिल करने के लिए नए संरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

(क) आदेश 17/2/1989 को जारी किए गए थे।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

सातवीं योजना में स्वीकृत आकाशवाणी केन्द्रों टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना में हुई प्रगति

2674. प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक और इसके क्या कारण हैं और स्थापना कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उन स्थानों का राज्यवार ब्योरा क्या है जहां सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान टी. वी. ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया जायेगा और प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र/टी. वी. ट्रांसमीटर का किस तिथि तक चालू करने का लक्ष्य है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जबकि आकाशवाणी/दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल अधिकांश योजनाएं या तो सेवा के लिए पहले ही चालू कर दी गई है अथवा सातवीं योजना की शेष अवधि मे चालू करने का कार्यक्रम है, शेष कुछेक परियोजनाओं को पूरा करना इनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा-स्थल, उपकरण, टावर आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं और निधियों का वार्षिक आवंटन।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान जहां टी. वी. रेडियो/केन्द्र सेवा के लिए चालू करने का विचार है, ऐसे स्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क. 1989-90 के दौरान चालू होने वाली दूरदर्शन सुविधाएं

राज्य	टी. वी. केन्द्र
असम	1. कार्यक्रम निर्माण एवं पोषण केन्द्र, गुवाहाटी
	2. स्थायी स्टूडियो केन्द्र, गुवाहाटी
	3. स्टूडियो केन्द्र, डिब्रूगढ़
	4. स्टूडियो केन्द्र, सिलचर
	5. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, धुबरी, कोकराझार तथा नौगांव में
आंध्रप्रदेश	1. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अनंतपुर
	2. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, आदिलबाद, रामगुंडम और श्रीकाकुलम में
	3. विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में 2 ट्रांसपोजर

अरुणाचलप्रदेश	1. स्टूडियो केन्द्र, ईटानगर
	2. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट), ईटानगर
	3. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-10 (अमिनी, बसर, चांगलंग, दापारिजो, दिराग हायूलियांग, खोंसा, मियाओ, रागा और रोइंग में)
बिहार	1. कार्यक्रम निर्माण सुविधा, डाल्टनगंज
	2. कार्यक्रम निर्माण सुविधा, मुजफ्फरपुर
	3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, डाल्टनगंज
	4. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कटिहार
	5. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-13 छाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, फारबेसन, गोपालगंज, खगारिया, माधोपुर, मधुबनी, सहरता, सासाराम, सीतामढ़ी और सिवान में)
गुजरात	1. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, जामनगर में
	2. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, काकरापार में
हरियाणा	1. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, नारनौल में
हिमाचल प्रदेश	1. हमीरपुर और काल्पा में अतिअल्पशक्ति ट्रांसमीटर-2
	2. ट्रांसपोजर-1, सोलन में ।
गोवा	1. कार्यक्रम निर्माण सुविधा पणजी
जम्मू और कश्मीर	1. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-6, भदरवा, डोडा, किश्तवाड़, कूपवाड़ा, पहलगांव और रामबाण में
कर्नाटक	1. कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, गुलबर्गा
	2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धारवाड़
	3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, शिमोगा
	4. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-2 चिगदुर्ग और कारवाड़ में
केरल	1. इदुक्की और पठानम थिट्टा में 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
मध्यप्रदेश	1. स्टूडियो केन्द्र, भोपाल
	2. कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, रायपुर

3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, ग्वालियर

4. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, जगदयपुर (1 किलोवाट)

5. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, रायपुर (शक्ति बढ़ाना)

6. बालाघाट, झाबुआ, खरगांव,मंडला, रायगढ़ , राजगढ़, सतना और सिवोन में 8 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

मेघालय — 1. स्टूडियो केन्द्र, शिलांग

2, स्टूडियो केन्द्र, तुरा

3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट), शिलांग

4. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, नांगस्टोइन में

महाराष्ट्र — 1. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पुणें (शक्ति बढ़ाना)

2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर. अम्बाजोगई

3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, औरंगाबाद

4. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, इच्छलकरंजी में

5. ट्रांसपोजर-2, औरंगाबाद और जून्नार में

मणिपुर — 1. स्टूडियो केन्द्र, इम्फाल

2. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-3, चांदेल, सेनामुटी और समेंगलांग में

मिजोरम — 1. स्टूडियो केन्द्र, आइजोल

2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 किलोवाट), आइजोल

3. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-1, सैहा में

नागालैंड — 1, स्टूडियो केन्द्र, कोहिमा

2. अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर-4, मोन, फेक, वोखा और जुम्हेबोटो में

उड़ीसा — 1. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, भवानीपटना

2. अल्पशक्ति ट्रांसमाटर-3, भंगानगर, बोलनगीर और क्योंझरगढ़ में

3. ट्रांसपोटर-1, सोनाबाडा में ।

पंजाब — 1. गुरदासपुर में 1 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

राजस्थान — 1. चरु, झालवाड़, सठिकर और सवाई माधोपुर में 4 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

2. लालसोट में । ट्रांसपोजर

सिक्किम	1. अतिअल्प शक्ति ट्रांसमीटर-2 म्यालशिंग और नामची में
तामिलनाडु	1. कड्डालूर और तिरुनेलवेल्ली में 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	2. कोटॅलम और उडगमंडलम में 2 ट्रांसपोजर
त्रिपुरा	1. स्टूडियो केन्द्र, अगरतला
उत्तरप्रदेश	1. हरिद्वार, उरई, पूरनपुर और सीतापुर में 4 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	2. भटियारी, धारचूल्ला, रानीखेत और उत्तरकाशी में 4 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
	3. नरेन्द्रनगर, ओवरा और श्रीनगर में 3 ट्रांसपोजर
पश्चिम बंगाल	1. अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग और मेदिनीपुर में 3 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, पोर्टब्लेयर
पांडिचेरी	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, पांडिचेरी
लक्षद्वीप समूह	किल्टान में अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

ब. आकाशवाणी के नये रेडियो स्टेशन जिनको 1989-90 के दौरान चालू किये जाने की उम्मीद है।

क्रम संख्या	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कोट्टागुडम
2.	-तथैव-	तिरुपति
3.	-तथैव-	वारंगल
4.	-तथैव-	कुरनूल
5.	-तथैव-	निजामाबाद
6.	-तथैव-	मरकापुरम
7.	-तथैव-	अम्नतपुर
8.	-असम	जोरहाट
9.	बिहार	पुर्णिया

1	2	3
10,	बिहार	सिंह भूम
11.	-तथैव-	सासाराम
12.	-तथैव-	जमशेदपुर
13.	गुजरात	गोंधरा
14.	हिमाचल प्रदेश	कसौली
15.	जम्मू व कश्मीर	काठुआ
16.	कर्नाटक	मर्कारा
17.	-तथैव-	हसन
18.	-तथैव-	हासपेट
19.	-तथैव-	चित्रदुर्ग
20.	-तथैव-	रायचुर
21.	केरल	कन्नानौर
22.	-तथैव-	कोचीन
23.	-मध्य प्रदेश	शहडोल
24,	-तथैव-	शिवपुरी
25.	-तथैव-	सागर
26.	-तथैव-	छिंदवाड़ा
27.	-तथैव-	बिलासपुर
28.	-तथैव-	गुना
29.	-तथैव-	झाबुआ
30.	-तथैव-	रायगढ़
31.	-तथैव-	खंडवा (पूर्वी निमार)
32.	-तथैव-	बेतुल
33.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
34.	-तथैव-	अहमदनगर
35.	-तथैव-	धुले

1	2	3
36.	महाराष्ट्र	बीड़
37.	-तथैव-	चन्द्रपुर
38.	-तथैव-	नांदेड़
39.	-तथैव-	अकोला
40.	-तथैव-	यवतमाल
41.	-तथैव-	सतारा
42.	उड़ीसा	बारीपदा
43.	-तथैव-	बोलनगीर
44.	पंजाब	भटिंडा
45.	-तथैव-	पटियाला
46.	राजस्थान	बांसवाड़ा
47.	-तथैव-	अलवर
48.	-तथैव-	झालावाड़
49.	-तथैव-	चितौड़गढ़
50.	-तथैव-	सवाईमाधोपुर
51.	-तथैव-	नागौर
52.	त्रिपुरा	बेलोनिया
53.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद

तेल तथा गैस के लिए सर्वेक्षण

2675. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में तेल/गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका, राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण-कार्य की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं से भिन्न तलछटी बेसिनों के आधार पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। ओ. एन. जी. सी. द्वारा वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित तलछटी बेसिनों और उप-बेसिनों में 28120 मानक लाइन किलोमीटर, 3955 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर भूकम्पीय, 7000 गुरुत्वाकर्षण चुम्बकीय स्टेशनों तथा 9025 वर्ग किलोमीटर एस. डी. एम. भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराये जाने की योजना है :—

अपर असम	राजस्थान
असम अराकन	कृष्णा-गोदावरी
मणिपुर	कावेरी
अरुणाचल प्रदेश	
मेघालय	
मिजोरम	
बंगाल	
गंगा घाटी और हिमालयन फुटहिल्स	
विंध्यन	
कैम्बे	

सातवीं योजना के बाद सर्वेक्षण का विवरण आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही मिल सकेगा।

(ग) सातवीं योजना के आरम्भ से 1.1.89 तक ओ. एन. जी. सी. द्वारा 119288 मानक लाइन किलोमीटर 16955 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण, 30377 गुरुत्वाकर्षण चुम्बकीय स्टेशन, 37416 वर्ग किलोमीटर एस. डी. एम. का भू-वैज्ञानिक मानचित्र बनाने का कार्य किया गया।

शिमला स्थित आकाशवाणी केन्द्र में रिक्त पद

2676. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला स्थित आकाशवाणी केन्द्र में भाषा और अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी में ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को अब तक न भरने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में तेल तथा गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण

2677. डा गौरीशंकर राजहंस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के नदी बेसिनों में कच्चे तेल एवं गैस के भंडार का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी. हां :

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के नदी बेसिन में गण्डक, मधुबनी और मोरंगा के इलाकों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूमिगत और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ग) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहे हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है। अनुवर्ती वेधन कार्य भी चल रहा है।

बिहार में उद्योगों के लिये आशय-पत्र जारी करना

2678. डा. गौरीशंकर राजहंस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में किन-किन विभिन्न औद्योगिक एककों के संबंध में आशय-पत्र दिये गये थे;

(ख) कितने औद्योगिक एककों को आशय पत्र नहीं दिये गये थे;

(ग) कितने मामलों में आशय पत्र के आधार पर उद्योग स्थापित नहीं किये गये और वे समाप्त हो गये;

(घ) औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी और अन्य प्रकार की स्वीकृति के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दिये गये कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ङ) ऐसे एककों के नाम क्या हैं, इनको किन स्थानों में स्थापित करने का विचार है और उन पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी; और

(च) ऐसे अनेक मामलों में स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए 1986-88 में आशय पत्रों की मंजूरी के लिए प्राप्त कुल 118 आवेदनों में से 43 आवेदन पहले ही मंजूर हो गये हैं और आशय पत्र दे दिये गये

हैं। जारी किये गये आशय पत्रों में से कोई भी व्यपगत नहीं माना गया है। शेष 75 आवेदनों में से रद्द/अन्यथा निपटाये गये आवेदनों की संख्या 65 है जबकि शेष 10 आवेदनों पर अलग-अलग अवस्थाओं में कार्रवाई की जा रही है। उन लाइसेंस आवेदनों के ब्यौरे जिन पर विभिन्न अवस्थाओं में कार्रवाई की जा रही है तब तक नहीं बताये जाते हैं जब तक कि सरकार उन पर कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं ले लेती। लाइसेंस आवेदनों का निपटान यथा शीघ्र करने हेतु हर प्रयास किया जाता है।

कर्नाटक में उद्योगों को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन

2679. **श्री एस. एम. गुरुड्डी :**

श्री जी. एस. बासवराजू :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के लिए अनेक प्रोत्साहन पेकेज तैयार किये हैं तथा इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रोत्साहन पैकेज विकसित करती है और वे राज्य के संसाधनों से इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का उत्पादकता वर्ष मनाना

2680. **डा. फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1989-90 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिये तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) यद्यपि, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1989-90 को विशेषरूप से उत्पादकता वर्ष घोषित नहीं किया है फिर भी आयोग का निरंतर प्रयास खादी तथा ग्रामोद्योगों की उत्पादकता में सुधार करने का रहा है।

पश्चिम बंगाल के गांवों में बिजली लगाया जाना

2681. **डा. फूलरेणु गुहा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गयी है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में शेष गाँवों में बिजली कब तक दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 30.11.1988 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पश्चिम बंगाल में शेष बचे सभी गाँवों का विद्युतीकरण आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किये जाने की संभावना है, बशर्ते आवश्यक निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों।

विवरण

30.11.88 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल, राज्य में विद्युतीकृत किए गए गांवों की कुल संख्या का जिलेवार ब्यौरा

(अनन्तिम)

क्र. सं.	जिला	30.11.88 की स्थिति के के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	बंकुरा	1504
2.	बीरभूम	2104
3.	वर्धमान	1974
4.	कूच-बिहार	968
5.	दार्जलिंग	429
6.	हुगली	1693
7.	हावड़ा	662
8.	जलपलगुरी	669
9.	मालदा	1565
10.	मिदनापुर	3682
11.	मुर्शिदाबाद	1539
12.	नदिया	1244
13.	24-परगना	2739
14.	पुरुलिया	988
15.	पश्चिम दिनाजपुर	2022
	जोड़	23781

पश्चिम बंगाल में खराब टेलीफोन

2682. डा. फूलरेणु गुहा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल में खराब टेलीफोनों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसे कितने खराब टेलीफोनों को एक महीने से भी अधिक समय से ठीक नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम चलाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) : वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन की खराबी की क्रमश: 3208 और 3358 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान एक महीने से अधिक खराबी की शिकायतें क्रमश: 99 और 167 थीं।

(ग) जी हां। मिशन बेतार संचार के अन्तर्गत पहले ही कार्रवाई की जा रही है जिसमें पुराने टेलीफोनों, पुराने केबिलों, ओवरहैड एलाइन्मैंट्स को बदलना, जेली से भरे केबिल बिछाना आदि शामिल है।

विदेशी समझौतों के लिये स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया

2683. डा. गौरीशंकर राजहंस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी समझौतों के लिए स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया को सरल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगों के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अभी हाल ही में किये गये कुछ उपाय निम्नलिखित है :—

1. विदेशी निवेश बोर्ड की बैठकें जल्दी जल्दी होती हैं और आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं। सरकार के निर्णय की सूचना देने हेतु निर्धारित 60 दिन की समय सीमा का अधिकतर पालन किया जाता है।

2. विदेशी सहयोग के अनुमोदन दो वर्ष की प्रारंभिक वैधता अवधि के लिए जारी किये जाते है।

3. विदेशी तकनीकीकारों की नियुक्ति का अनुमोदन अब से सीधे भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा ही विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कर दिया जाएगा और प्रशासनिक मंत्रालय को कोई पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन भारतीय फर्मों के पास ब्लैंकेट एक्सचेंज परमिट हैं वे विदेशी तकनीकीकारों की नियुक्ति के वास्ते विदेशी मुद्रा में होने वाला खर्चा अपने ब्लैंकेट परमिट की विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए कर सकते हैं।

4. कोई विदेशी कम्पनी औद्योगिक लाइसेंस विदेशी सहयोग अथवा अन्य अनुमोदनों हेतु अपने नाम से आवेदन कर सकती है। यदि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आवेदन अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है तो आवेदक विदेशी कम्पनी को "सैद्धांतिक" अनुमोदन भेज दिया जाता है जो बाद में भारत में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय कम्पनी को अपने साथ मिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

5. विदेशी पार्टियों के साथ जारी विदेशी सहयोगों में उप ठेकेदारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए रायल्टी भी अदा की जा सकती है बशर्ते कि वस्तु का निर्माण विदेशी सहयोगी के डिजाइनों/इन्जीनियरी जानकारी के अनुसार किया गया हो।

6. विदेशी निवेश बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह 10 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा में विद्यमान कम्पनियों को 26% से अधिक किन्तु 40% तक के विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों का अनुमोदन कर सकता है।

7. प्रौद्योगिकी विकास निधि का कार्यक्षेत्र और प्रभाव बढ़ा दिया गया है।

8. विदेशी इक्विटी निवेश तथा तकनोलोजी अन्तरण हेतु अनुमोदन अधिक सुगमता से दिए जाते हैं जबकि वे नीतिगत सीमाओं के भीतर हों और आयात की जाने वाली तकनोलोजी राष्ट्रीय हित में हो।

सीरे और अल्कोहल का निर्यात

2684. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीरे और अल्कोहल के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई,

(ख) क्या वर्ष 1989-90 में सीरे और अल्कोहल के निर्यात के बारे में वर्तमान नीति जारी रखने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सीरे और अल्कोहल के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने का आशा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) अल्कोहल वर्ष 1985-86 और 1986-87 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान अल्कोहल और सीरे का कोई निर्यात नहीं किया गया। 1987-88 के दौरान निर्यात की अनुमति दी गई थी और उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1987-88 और 1988-89 (3.3.89 तक) के दौरान उसके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

अल्कोहल	7.99 करोड़ रुपए
शीरा	4.38 करोड़ रुपए

(ख) जी, हां ।

(ग) निश्चित आंकड़े देना कठिन है किन्तु 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

2685. श्री शांति धारीवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात अनेक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो, क्षयरोग, कैंसर, हृदय रोग तथा अन्य सामान्य रोगों के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के वर्तमान मूल्यों और गत तीन वर्षों के दौरान उनके मूल्यों की तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. बेंगल राव) : (क) और (ख) कुछ सूत्रयोगों के मूल्यों में वृद्धि हुई है । टी बी के उपचार में काम आने वाली दवाइयों के मामले में मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित और निर्धारित/संशोधित किये जाते हैं । मूल्य नियंत्रण मुक्त औषधों के मामले में, विनिर्माता अपने मूल्यों में संशोधन करने के लिए स्वतन्त्र है । फिर भी सरकार ऐसी औषधों के मूल्यों में उतार चढ़ाव पर कड़ी निगरानी रख रही है और जहां आवश्यक है हस्तक्षेप कर रही है । चूंकि प्रश्न में उल्लिखित रोगों के उपचार में अनेक दवाएं प्रयुक्त होती हैं अत: अपेक्षित ब्यौरे काफी अधिक हैं और तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। उनको एकत्र करने में लगने वाला श्रम एवं समय प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

उद्योग स्थापित करने हेतु अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

2686. श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को भारत में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों को भारत में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अप्पाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) स्थापित होने से, दिसम्बर, 1988 तक अनिवासी भारतीयों से भारत में एकक स्थापित करने के लिए 462 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ग) 1988 के दौरान, अनिवासी भारतीयों को 21 आशय पत्र/एस. आई. ए. पंजीकरण जारी किए गए।

(घ) अनिवासी भारतीय स्वतन्त्र रूप से अथवा निवासी भारतीयों के साथ मिलकर भारत में औद्योगिक एकक स्थापित कर सकते हैं। जहां तक औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग का संबंध है, अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों पर निवासी भारतीयों के प्रस्तावों के साथ समान रूप से विचार किया जाता है। तथापि, उन्हें उस समय प्रचलित आयात नीति के उपबंधों के अनुसार, पूंजीगत माल के आयात के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

केरल में आप्टीकल फाइबर प्रणाली

2687. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में कितने नगरों को आप्टीकल फाइबर प्रणाली द्वारा जोड़ने का विचार है; और

(ख) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) शहरों के नाम पालघाट त्रिचूर, इन्नीजिलाकुडा, अलवाय, एर्नाकुलम, कोट्टायम, चेंगनचेरी, तिरुवल्ला, क्वीलोन और त्रिवेन्द्रम हैं।

(ख) 3017.56 लाख रुपये।

दाहोद (गुजरात) में रसोई गैस की सप्लाई

2688. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम गत छः महीने से गुजरात के पंचमहल जिले में दहोद को रसोई गैस के सिलिंडरों की सप्लाई नियमित रूप से नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रसोई गैस के सिलिंडरों की कमी कब तक दूर हो जायेगी, और

(घ) उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए रसोई गैस के सिलिंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)। (क) से (घ) दाहोद जिला पंचमहल (गुजरात) सहित देश के अनेक भागों में हाल ही में एल. पी. जी. रिफिलों की सप्लाई में अस्थायी रूप से बैकलाग उत्पन्न हो गया था जो परिवहन औद्योगिक संबंधी अन्य औपरिचालन संबंधी रुकावटों के अतिरिक्त एल. पी. जी. की बल्क उपलब्धता में कमी होने के

कारण था। पहले से ही किए गए उपायों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल. पी. जी. के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यथा सम्भव आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सीमेंट की संस्थापित क्षमता और उत्पादन

2689. श्री के. पी उण्णीकृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी प्रकार के सीमेंट की संस्थापित क्षमता कितनी है और वर्ष 1986, 1987 और 1988 में उसका कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता और प्रति व्यक्ति खपत का औसत क्या है; और

(ग) उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) संगठित क्षेत्र में सीमेंट बनाने की अधिष्ठापित क्षमता 574.1 लाख मी. टन है। वर्ष 1886-87 और 1987-88 में सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 365 लाख मी. टन और 395 मी. टन था। चालू वर्ष का अनुमानित उत्पादन 435 लाख मी. टन है।

(ख) 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्षमता का उपयोग क्रमशः 79% और 71% था। वर्ष 1988-89 में क्षमता का अनुमानित उपयोग 76% है।

1986-87 और 1987-88 में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 47.08कि.ग्रा. और 49.91 कि ग्रा. थी। वर्ष 1888-89 (अप्रैल-जनवरी, 1989) के दौरान सीमेंट की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत 5 ।.14 कि.ग्रा. हैं।

(ग) सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर (पिछले वर्ष की तुलना में) 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 10.23%, 8.22%, तथा 10.12% (अनुमानित) रही है।

सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि की वार्षिक दर 1986-87 और 1987-88 में क्रमशः 9% तथा 6% रही है तथा वर्ष 1988-89 के दौरान 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पोटाशियम पेनिसिलिन बी. का मूल्य

2690. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेनिसिलिन का भारित औसत मूल्य क्या है जिसके आधार पर 6 ए पी ए का मूल्य निर्धारित किया गया है,

(ख) पोटाशियम पेनिसिलीन बी. का आयातित मूल्य क्या है और 6 ए पी ए में पेनिसिलीन के भारित औसत मूल्य और पोटाशियम पेनिसिलीन जी के आयातित मूल्य में क्या अन्तर है; और

(ग) क्या पोटाशियम पेनिसिलिन बी. प्रथम क्रिस्टल के अल्प मात्रा के उपभोक्ताओं से कोई निवेश और समझौता न होने के कारण सारी अन्तर राशि एक ही यूनिट द्वारा रख ली जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) अप्रैल 1985 से मार्च, 1988 तक की अवधि के लिए आयात और निर्यात नीति के पैरा 73 के अन्तर्गत 3.10 1987 से 6 एपीए, एक मध्यवर्ती की कीमत 2000-00 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करते समय पोटेशियम पैनिसिलीन जी/वी प्रथम क्रिस्टल की निम्नलिखित कीमतों को ध्यान में रखा गया था :—

1. पोटेशियम पेन्सिलिन जी/वी प्रथम क्रिस्टल (आयातित) — 252.75रु./बी. यू.
2. पोटेशियम पेन्सिलिन जी/वी प्रथम क्रिस्टल (स्वदेशी) — 650.00 रु./बी. यू

(ख) और (ग) पेनिसिलीन वी के आयात के लिए केवल एक एस. एस. आई. यूनिट को आयात लाइसेंस दिया गया है और इस यूनिट को स्वदेशी सामग्री जब भी वह उपलब्ध होगी, 70 (आयातित) : 30 (स्वदेशी) के अनुपात से उठानी होगी।

———

12.00 मध्याह्न

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सरकार को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रश्न पर वक्तव्य दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके बोलिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : जब मामला सुबह उठाया गया था, उस समय मैं चुप रहा। अब जब बोलने का अवसर आया है तो मेहरबानी करके मेरी बात धैर्य पूर्वक सुनिए। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का सारांश आ गया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि एक रिपोर्ट जिसे संसद नहीं देख सकती है, न्यायाधीश नहीं देख सकते हैं उसे एक पत्रकार देख सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश न करिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह चाहता हूं कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि क्या करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट की प्रमाणिकता··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी, क्या कर रहे हैं आप। आप भले आदमी लगते हैं, वकील लगते हैं, आप तो अच्छे से। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय में बहस केवल ऐसे प्रश्न पर ही शुरू करवा सकता हूं, जिसका कोई आधार हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है। मैं किसी भी बात की इजाजत नहीं दे सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि मुझे रिपोर्ट की प्रामाणिकता की जानकारी नहीं है। कानूनन, इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह कितनी साधारण सी बात है। जब तक कि रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा जाता है, मैं इस पर बहस की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें यह मांग करने का अधिकार है कि रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही बात कहता हूं; यही बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। यदि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाता है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब रिपोर्ट के बारे में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। रिपोर्ट के बारे में यदि आप कानून में संशोधन कर देते हैं, सरकार से ऐसा करा देते हैं तो मैं अनुमति दे सकता हूं। मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री सोमनाथ जी से एक नोटिस मिला है। उन्होंने नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव रखा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने भी नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैंने भी यह नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने नोटिस में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा गया था और यह सुझाव दिया जाता है कि इसकी ग्राह्यता के बारे में निर्णय करने के लिए इसे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रस्ताव मिला है। मैं इसका अध्ययन करूंगा और यदि यह ग्राह्य हुआ तो मैं अनुमति दे सकता हूं। इस बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है तो मैं अनुमति नहीं दे सकती। आप कानून में संशोधन कीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहने की इजाजत देंगे। मुझे दो बात कहने की इजाजत देंगे। (व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझे एक बात बता दीजिए। पहले मैं एक सवाल आप से पूछता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मैं रूल चेंज कर सकता हूं, विधान चेंज कर सकता हूं।

[अनुवाद]

क्या मैं नियम को बदल सकता हूं ? नियमों के तहत सरकार को इसे सभा पटल पर न रखने का अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है, आपको नहीं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, यह प्रश्न उस वक्त उठेगा, जब मैं नियम चेंज करने के लिए कहूं। मुझे दो बातें कहने की इजाजत दीजिए :

अध्यक्ष महोदय : नो, नो। मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या मैं नियमों को बदल सकता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नियमों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं रूल चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे दो बातें कहने की इजाजत दीजिए। उसके बाद आप फैसला करें क्योंकि व्यवस्था आपको करनी है।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए।

[अनुवाद]

किस नियम के अधीन ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप किस बात को कहना चाहते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बतलाने की बात नहीं है. पूछना मुझसे क्या चाहते हैं।

[अनुवाद]

आपका प्रश्न क्या है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, केवल मुझे स्पष्टीकरण रखने की इजाजत दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान) मैं पहले अपनी बात कह दूं, तभी आप फैसला करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही पूछ रहा हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने रूलिंग दे दी, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे इन से निपटने दीजिये, फिर आप से बात करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी बात कर सकता हूं एक साथ नहीं कर सकता।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, ठक्कर नटराजन कमीशन की रिपोर्ट की यह समरी है। ...(व्यवधान)...यह अरुण शोरी का आर्टीकिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आरिफ साहब, जब तक आप कानून नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप कानून चेंज कीजिये।

[अनुवाद]

फिर मैं यह कह सकता हूं। अन्यथा मैं यह नहीं कर सकता।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)। आप उन्हें इसे सभा पटल पर रखने के लिए कहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी, आप कानून नहीं बदलेंगे, तो मैं कैसे करूंगा।...

...(व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मुझे मौका दिया जाए, मैंने अपनी बात नहीं कही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिये।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) ... यह झूठी रिपोर्ट है, जो अखबार में दी जा रही है। ये सदन का समय खराब कर रहे हैं : अध्यक्ष महोदय, आप को अपने दृष्टिकोण से सदन को अवगत कराना चाहिए।...(व्यवधान) यह नहीं चलने दिया जाएगा। अरुण शोरी ने देश के विरोध में बातें लिखी हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं रिपोर्ट को नहीं देख लेता, तब तक मैं कैसे जानूंगा।

[हिंदी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : इनको सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)... यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : पश्चिमी बंगाल के सभी विधायक धरना देने के लिए दिल्ली आए हैं। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तन्त्र पूर्ण रूप से ठप्प हो गया है। गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान) संवैधानिक तन्त्र पूर्ण रूप से ठप्प हो गया है। वहां किसी तरह का प्रजातन्त्र नहीं है। गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिये (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को नष्ट करना चाहती है, लेकिन सरदार बूटा सिंह की मेहनत से वह रिपोर्ट अभी बची हुई है; इसके लिए मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। पिछले तीन दिनों से सरकार की तरफ से ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मन्त्री जी बम्बई के थे, जिन्होंने अब तक उसको बचाकर रखा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री जे. वेंगलराव।

12.11 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड इन्दुनगर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7512/89]

सेंट्रल पावर रिसर्च इन्सटीच्यूट, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री श्री कल्पनाथ राय: (क) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इन्सटीच्यूट, के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इन्सटीच्यूट, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये : देखिये संख्या एल. टी. 7513/89]

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 620क, 396 तथा 642 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 959, जो 17 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स सेंट मैरीज फाइनैन्स लिमिटेड, कोचीन को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(दो) सा. का. नि. 960, जो 17 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स तमिलनाडु विश्वकर्मा म्यूच्युअल बेनीफिट फण्ड लिमिटेड, मदुरै को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(तीन) सा. का. नि. 961, जो 17 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स अशोकनगर अनोपकार शाश्वत निधि लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये सं. एल. टी. 7514/89]

(2) कम्पनी अधिनियम, 956 की धारा 396 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब इलैक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड तथा इलैक्ट्रोनिक सिस्टम्स पंजाब लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1988, जो 1 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 536 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) गुजरात कृषि-तेल उद्यम लिमिटेड तथा गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1988, जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1159 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7515/89]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 1028, जो 31 दिसम्बर, 1988 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1989 वह तारीख नियत की गई है जब कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 30 (क) के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

(दो) कम्पनी (निदेशक बोर्ड के प्रतिवेदन में विशिष्टियों का प्रकटन) नियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1029 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी (सचिव की नियुक्ति तथा अर्हताएं) नियम, 1988, जो 29 दिसम्बर, 1988, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1105 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा. का. नि. 1106 (अ), जो 29 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 दिसम्बर, 1988 वह तारीख नियत की गई है जब कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 तथा धारा 53 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7516/89]

12.12 म. प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

215 वां प्रतिवेदन

प्रो. नारायणचन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री अनिल बसु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ठीक ढंग से सुन सकते हैं तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि जब तक नियमों को नहीं बदला जाता है, मैं यह नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकार में नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, आपका कालिंग अटेंशन है, अगर आप उठाना चाहते हैं तो उठाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कृपया सभा को शांत करिये। फिर मैं इसे उठाऊंगा····

···(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 389 के अधीन आप रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को निर्देश दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। सभा सर्वोपरि है। मैं यह नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा सर्वोपरि है। मैं नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सभा की सर्वोपरिता कहां है? हम कुछ भी कह सकते हैं ··(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह आपका बहुत अवांछनीय व्यवहार है।

(व्यवधान)

12.15 म. प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1988-89

विवरण

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं वर्ष 1988-89 के लिए बजट (रेल) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.15½ म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी छोड़े जाने से मना किया जाना

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : मैं जल संसाधन मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी छोड़े जाने से कथित रूप से इन्कार किए जाने से पश्चिम बंगाल के हुगली बर्दवान और हावड़ा जिलों में खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : दामोदर घाटी परियोजना एक बहु-उद्देश्यीय परियोजना है। जलाशयों में भण्डार किए गए जल का मुख्य उपयोग सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित जलाशयों को रेगुलेशन (विनियमन) मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है। दामोदर घाटी निगम जलाशय विनियमन समिति द्वारा समय-समय पर जल उपलब्धता की पुनरीक्षा की जाती है और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के आबंटन का निर्णय किया जाता है तथा तदनुसार जल निर्मुक्त किया जाता है।

दिसम्बर, 1988 में की गई पुनरीक्षा में यह बताया गया है कि अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध जल 348 मिलियन घन मीटर था। सिंचाई और विद्युत के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं पर विचार करते हुए खरीफ तथा रबी फसलों की बचनबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बोरो फसलों की सिंचाई के लिए 271 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध कराया गया था।

फरवरी, 1989 की शुरूआत में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर और आगे पुनरीक्षा की गई थी। पुनरीक्षा के दौरान सर्व सम्मति से यह सहमति हुई थी कि अद्यतन जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बोरो फसल के लिए 25 मिलियन घन मीटर जल और आबंटित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि दामोदर घाटी निगम जलाशयों से पश्चिम बंगाल में बोरो खेती के लिए जल आपूर्ति करने के वास्ते वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत अच्छे से अच्छा जो कुछ किया जा सकता था, किया गया है।

इस समय श्री एम. रघुमा रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप बंस में कर रहे हैं, यह आपकी शान के खिलाफ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ही ने कानून पास करवाया था, मैंने कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कानून बदल दीजिए। आप ही ने अमेंडमेंट पास किया है, मैं क्या कर सकता हूं। कानून आपने बनाया है, मैंने कानून नहीं बनाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कानून आपने बनाया, संशोधन आपने किया मैं उसमें क्या कर सकता हूं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कानून मैंने तो नहीं बनाया, आपने कानून बनाकर उसमें संशोधन करके उनको दिया। मेरे हाथ में क्या है ?

[अनुवाद]

यह मेरे अधिकार में नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमल जी आप बता दो, कानून आपने बनाया, आपने संशोधन किया मैं उसमें क्या करूं, यह अच्छा नहीं लगता

[अनुवाद]

आप वकील हैं, मुझे बताईये···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कानून आपने बनाया है

[अनुवाद]

मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(हिन्दी)

आप बता दो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमलजी आप कह दें कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं मान लेता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह सही है अथवा गलत है।

[हिन्दी]

आपने हथियार दे रखे हैं उनको तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने कानून बनाया और आपने ही संशोधन किया, अब मैं क्या करूं।

[अनुवाद]

मैं आपको संशोधन नहीं दिखा सकता।

[हिन्दी]

आपने कानून बनाया आप 1986 में संशोधन लाये कि रिपोर्ट नहीं रखी जायेगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

यह मेरे हाथ में नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

[अनुवाद]

यह सभा मेरी नहीं यह सभा आपकी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कानून की बात करता हूं, वह अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको भी नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत है । मैं कैसे जान सकता हूं । मैं कैसे देख सकता हूं । यह मेरे अधिकार में नहीं है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कौन-सा कानून है मैं मगवा लूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय । कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कहां के कानून से ले लूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : या तो आप कानून बना दो कि मैं कानून बदल सकता हूं···वरना कैसे ··

(व्यवधान)

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

हिन्दी

अध्यक्ष महोदय : आप ही ने बांध रखा है मेके आप अपना कानून खुद ही तोड़ रहे हैं और मुझसे भी तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बगैर कानून के कैसे हो सकता है । आपके कहने से ही मैं कैसे कह दूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देख रहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले तो खुद कानून तोड़ रहे हैं, आपको यह भी शर्म नही रही कि यहां कैसे इकट्ठे हों, आप अपना कानून तोड़ रहे हैं । आपको ऐसे चलाना है तो हिन्दुस्तान कैसे चलेगा ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : न, न, हमने कभी रोका नहीं किसी को। ऐसा नियम नहीं है हमारा।

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है।

हिन्दी

हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है।

अनुवाद

यह एक शर्मनाक बात है। यह एक अत्यन्त शर्मनाक बात है और वे सदन को अवमानित कर रहे हैं। इन माननीय सदस्यों के व्यवहार से ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। मुझे खेद है। मैं सभा को 2.00 बजे म. प. तक के लिए स्थगित करता हूँ।

12.29 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई

2.02 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.02 म. प. पर पुन: समवेत हुई।
उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप अपना विनिर्णय देने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ कृपया उसे सुनिये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, कृपया पहले हमारी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। उनके बाद आप जो कुछ बताना चाहें बता सकते हैं।

यदि आप व्यवस्था के उस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, जिसे आपने उस मामले के बारे में सुबह उठाया था तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय पहले ही इस बारे में एक विनिर्णय दे चुके है। मैं उसे कैसे रद्द कर सकता हूँ ?

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : नहीं, नहीं महोदय, वह विनिर्णय केवल प्रश्न काल को स्थगित करने के बारे में था। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां आप व्यवस्था की बात को क्यों नहीं सुनते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था की बात सुनुंगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नहीं, आपने व्यवस्था की बात नहीं सुनी ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए लिखा है और इस बारे में तुरन्त ही चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था ।

श्री वसुदेव आचार्य : रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसे स्वीकार नहीं किया गया था ।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : क्यों, महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : और रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है ।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिए ।

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिये ।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय को इस बात से इन्कार करने दीजिये ।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : मंत्री महोदय को इस बात से इन्कार करने दीजिये । (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में हेर फेर किये जाने की संभावना है अतः हम यह मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट को तुरन्त ही उपलब्ध कराया जाए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं । अध्यक्ष महोदय पहले ही अपना विनिर्णय दे चुके हैं । मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को रद्द नहीं कर सकता ।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : कोई विनिर्णय नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, ऐसा कोई विनिर्णय नहीं था ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आप सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत ऐसा चाहते है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह एक असाधारण स्थिति है । इसमें प्रधानमंत्री की हत्या का मामला सम्मिलित है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था की बात है ?

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : आज एक समाचार-पत्र में समाचार आया है। इससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए. के सेन : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, सरकार से सम्बन्धित किसी भी मामले पर चर्चा करने की इसकी सर्वोच्च सर्वोपरि प्रभुसत्ता पूर्णतया प्रतिस्थापित है। सरकार केवल यह मांग कर सकती है कि यदि कोई विशेष मामला गुप्त रखना है तो उसके लिए एक गुप्त सभा आयोजित की जा सकती है। बस यही बात है। किसी भी मामले पर चर्चा करने की सदन की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : क्या मैं नियम पढ़ कर सुनाऊं हमें भावनाओं में बहु नहीं जाना चाहिए। इससे इस सदन की शक्तियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति ने सदन की शक्ति को स्वीकार किया है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं करता है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उन्हें पूरी बात कहने दीजिये (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री ए. के. सेन : यदि आप नियम 248 देखें (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि आप व्यवस्था नहीं बनाये रखते तो किसी भी व्यक्ति को भाषण देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। (व्यवधान) मुझे बताइये कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी का हत्यारा कौन है ?

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी का हत्यारा कौन है, वह बताओ। हम और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : जब सरकार ने निर्णय लिया तब वे विधि मंत्री थे। जब सरकार ने यह निर्णय लिया उस समय वे विधि मंत्री थे। वे इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए. के. सेन : व्यवस्था का प्रश्न यह है। यदि सरकार ऐसा सोचती है कि ऐसा कोई मामला है जिसके बारे में जनता में वाद-विवाद नहीं किया जाना चाहिए तो सदन के नेता को इसके लिए प्रस्ताव रखना चाहिए। सदन को इस विषय पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम 376 को लेते हैं तो नियम 376 (2) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है।

"अनौचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा :"

इस समय हमारे पास केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आप ऐसा कैसे कर सकते है ? श्री वी. शंकरानन्द।

(व्यवधान)

इस समय श्री एम. रघुमा रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-पटल के निकट आकर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाइये। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे लिखित रूप में दीजिये और मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने सुबह इसे अस्वीकार कर दिया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। इस प्रकार कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप इस प्रकार क्यों चर्चा कर रहे हैं। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिये। उनसे चर्चा मत कीजिये।

(व्यवधान)

(इस समय श्री एम. रघुमा रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर चले जाइये । अपनी सीटों पर चले जाइये ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री एम. रघुमा रेड्डी : हम इस सदन के सदस्य हैं । वास्तविकतायें जानने का अधिकार है । (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मेरा मुद्दा यह है कि यदि आप श्री बूटा सिंह को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहे हैं तो फिर आप इस विषय पर विचार कर रहे हैं और उनके बोलने से पहले मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है । आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की कैसे अनुमति देने जा रहे हैं ? आपने कहा था कि इस सदन के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा का विषय होने के कारण आप इसकी अनुमति देने नहीं जा रहे हैं । यदि चर्चा का विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव न होकर यह मुद्दा है तो श्री अशोक सेन को और मुझे अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे तीन बातें कहनी हैं । उस रिपोर्ट का सार, जिसे देखने की अनुमति संसद को भी नहीं दी गई है तथा जिसे उस समय जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हत्या का मुकदमा सुन रहे थे उनके सामने भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हुआ है ? इस रिपोर्ट के बाहर आने के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्योंकि यदि यह रिपोर्ट इतनी गोपनीय है तो इसके बाहर आने का उत्तरदायित्व सरकार के किसी व्यक्ति को लेना होगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिस किसी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उसे आप लिखकर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : यह रिपोर्ट क्या है ?··· (व्यवधान) यदि रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं है तो सरकार को चाहिए कि इस रिपोर्ट को आज सभा पटल पर रखे । उन्होंने इसे सदन के समक्ष क्यों नहीं रखा है ? इस रिपोर्ट को आज सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए । जब संशोधन विधेयक आया और जब हमने यह आपत्ति उठाई तो श्री चिदम्बरम् ने अपने उत्तर में कहा कि संसद को यह पूछने का अधिकार है कि क्या कार्यवाही की गई है । हम पूछना चाहते हैं कि अब इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप लिखकर दीजिए और हम आपके निवेदन पर विचार करेंगे ।

श्री दिनेश गोस्वामी : कोई निवेदन नहीं । मैंने तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं । इनके संबंध में आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है। अब आपने कुछ मामले उठाए हैं। आप लिखकर दीजिए और मैं इन पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य नहीं। यदि वह वक्तव्य देना चाहते हैं, तो वह लिखित रूप में दे सकते हैं।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : महोदय, श्री अशोक सेन ने कुछ कहा था और आप सुन रहे थे। मैं ठीक तरह से उनकी बात नहीं सुन पाया।

किंतु जो कुछ उन्होंने कहा उससे मैं केवल यह समझ सका कि यह मुद्दा इस सदन के लिए चर्चा का विषय बन सकता है मैं केवल आप को वास्तविक स्थिति से अवगत कर रहा हूं।

वास्तविक स्थिति यह है कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश की गई थी और तत्पश्चात इस सदन द्वारा जांच आयोग अधिनियम का संशोधन किया गया था। संयोगवश और दुर्भाग्य से संभवतः श्री ए. के. सेन तत्कालीन मंत्री थे···(व्यवधान)·· वे इसके पक्षकार थे··· (व्यवधान)·· दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूँ कि आज वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो उनके जैसे वकील के लिए उचित नहीं है···(व्यवधान)···मैं कानून नहीं जानता और इसी लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

बात यह है कि ऐसे अधिकांश सदस्य जो आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं उन सभी ने इस संशोधन के पक्ष में मतदान किया था···(व्यवधान) आज वे विपक्ष में हैं। यदि आप संशोधन पढ़ें···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपत्तिजनक है·· (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं रिकार्ड पढ़ लूंगा यदि कोई आपत्तिजनक बात है, तो मैं रिकार्ड पढ़ूंगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : इस देश की जनता जानती है कि कौन लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी के सच्चे अनुयायी है और कौन ऐसे लोग हैं जो कल तक श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों का समर्थन करते थे परन्तु आज इस सदन में श्रीमती गांधी का नाम ऐसे ही तत्वों ने न्यायालय में उनका समर्थन किया। ··(व्यवधान)···यह ऐतिहासिक तथ्य है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : समस्त देश ने श्रीमती इन्दिरागांधी की हत्या की निन्दा की थी।··· (व्यवधान)···

सरदार बूटासिंह : मैं वह संशोधन पढ़ना चाहता हूं जो उन्हीं श्री ए. के. सेन ने तैयार किया था और इस सदन ने पारित किया था और अधिकांश सदस्य वे आज चिल्ला रहे हैं, उन्होंने ही उस संशोधन का समर्थन किया था···(व्यवधान)

महोदय, संशोधन इस प्रकार है :

"कि उपधारा (4) के उपबन्ध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां समुचित सरकार का समाधान हो जाता है "

कुछ माननीय सदस्य : हम जानते हैं।

सरदार बूटासिंह : किंतु मैं देश को बताना चाहता हूं :

"कि उपधारा (1) के अधीन जांच आयोग के ऐसे प्रतिवेदन अथवा उसके किसी भाग को लोक सभा में अथवा राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करना, भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री संबंधों के हित में अथवा लोकहित में आवश्यक नहीं है, और शासकीय राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी कर देती है।"

यह अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना इस सदन में लाई गई और इस सदन ने वह अधिसूचना 30 जुलाई, 1986 को पारित की। वैधानिक स्थिति यह है। एक संकल्प अथवा अधिनियम के संशोधन के द्वारा सदन ने निर्णय लिया है कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी जाएगी और इस सभा में इस पर चर्चा नहीं होगी। हम इसी निर्णय का पालन कर रहे हैं। हम उस निर्णय का संशोधन नहीं करना चाहते। अतः सदन न इस पर चर्चा कर सकता है और न ही इस पर प्रश्न किए जा सकते हैं। यह सभा का ऐसा निर्णय है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : चूंकि मेरे मित्र श्री बूटा सिंह ने मेरा नाम लिया है अतः मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि मैं वे कारण बताऊं कि हम इस रिपोर्ट के प्रकटीकरण की मांग क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री ए. के. सेन : जब सदन से यह विधेयक पारित करने को कहा गया था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। वह तब विधि मंत्री थे···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या आप उस समय भी कृपा करेंगे जब मैं अगली बार आपसे विनिर्णय का निवेदन करूंगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ए. के. सेन. : महोदय, क्या मैं आगे बोलूं ? जब इस सभा को इस विधेयक के बारे में मतदान करने को कहा गया तो उससे यह नहीं कहा गया कि एक व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप हैं और उस व्यक्ति को बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अगर हमें बताया जाता तो बात दूसरी

होती। किसी को यह नहीं बताया गया था . विधि मंत्री को भी यह मालूम नहीं था। इसको मंत्री परिषद के समक्ष भी नहीं रखा गया। अतः सभा ने कारण जाने बिना मतदान किया··· (व्यवधान) सदन के साथ यह चाल चली गई थी। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं श्री सेन का आदर करता हूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। यह मामला 30.4.86 को सदन में हुआ था। वे इसे महत्व देते हैं। किसी ने भी विभाजन के लिए नहीं कहा। संकल्प और सांविधिक संशोधन ध्वनि मत से पारित किए गए। (व्यवधान) आपने विभाजन के लिए जोर क्यों नहीं दिया ? वे सरकार में (व्यवधान) आपने विभाजन की मांग नहीं की। सभा ने ध्वनि मत से इसे पारित किया। आज आप इसका विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान) उस समय श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री ए. के. सेन और श्री वी. पी. सिंह थे। (व्यवधान) आपने भी तो मत विभाजन की मांग नहीं की थी। आपने मत विभाजन की मांग क्यों नहीं की ? (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : इस रिपोर्ट के संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। (व्यवधान) महोदय, वे नहीं सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यदि वे बोलने नहीं देंगे, तो मुझे आकर वहां से बोलना पड़ेगा। (व्यवधान) एक सदस्य के नाते मुझे उनकी बात सुनने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनसे कहा है।

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाल (दमदम) : ऐसा संशोधन होने के बाद ही ऐसा हो सकता है

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक दस्तावेज जो लीक हो गया हो उसको सामने लाए जाने की मांग संसद द्वारा की जा सकती है। दस्तावेज की मांग करने का संसद का अंतर्निहित अधिकार है (व्यवधान) यदि मुझसे कहा जाता "यह तथ्य एवं आक्षेप हैं और संसद को न बताएं," तो मैं कभी सहमत न होता (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट क्या है। कोई भी नहीं जानता (व्यवधान) श्री वी. पी. सिंह वहां थे। (व्यवधान) और जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है तो उसमें संसद में उस पर चर्चा को रोकने का कोई कारण नहीं है। (व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय देश के लोग हमें बताते रहे हैं कि श्री अशोक सेन एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वे ऐसे नहीं हैं एक विधि मंत्री के रूप में वे यह विधान इस सदन में लाए। आज वे कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। संभवतः उन्होंने सदन को गुमराह किया है। या तो वे तब ईमानदार नहीं थे या फिर वे अब ईमानदार नहीं हैं। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है···(व्यवधान) प्रत्येक ऐसे निर्णय के लिए जो मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाए···(व्यवधान)···मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए। मुझे यकीन है कि श्री वी. पी. सिंह ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया क्योंकि इस माननीय

सदन के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए थे उनके लिए प्रत्येक मंत्री जिम्मेदार है। और यह केवल सरकार का निर्णय नहीं है, यह इस माननीय सदन का निर्णय है सरकार ने कभी भी यह तर्क नहीं दिया कि इस प्रतिवेदन का न्यायालय में लम्बित पड़े मामले से कुछ लेना देना है। सरकार का यह तर्क कभी नहीं था : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि··· (व्यवधान)···मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपा है वह बचकाना है, शरारतपूर्ण राजनीति से प्रेरित तथा सरकार में कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए मिथ्यापवादात्मक आंदोलन है। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता और किन्हीं भी परिस्थितियों में सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन. : यदि संसद के अधिकारों के लिए संघर्ष करना बेईमानी है तो मैं उसका दोषी हूं।

(व्यवधान)

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : मैं बहुत हैरान हूं कि श्री अशोक सेन जैसा सुविख्यात वकील (व्यवधान)···व यह नहीं कह सकते कि कानून अवैध है। कानून तब तक रहता है जब तक संशोधन समाप्त न कर दिया जाए वह कानून ही रहता है। कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है और श्री अशोक सेन श्री उनमें से एक हैं। दूसरे श्री सेन को बात बता रहे हैं जो मंत्रिमंडल की बैठक में की गई थी। निश्चित रूप से यह एक गलत बात है। यह भारतीय संविधान के हिसाब से भी गलत है। तीसरे, उनका कहना है कि यह बताया नहीं गया था और इसे छुपाया गया था और उन्हें उस तथ्य को छुपाने के लिए कहा गया था। यदि उन्होंने ऐसा किया, यदि वे समझते थे कि यह गलत है तो उन्हें उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री दिनेश गोस्वामी : कानून में मनाही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनाही है। इसमें स्वविवेक का प्रयोग किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करे। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि यदि रिपोर्ट बाहर लीक हुई है और समाचार पत्रों में उस पर चर्चा की जा सकती है तो संसद में उस पर विचार करने के लिए कोई मनाही नहीं हो सकती। हम यह कह रहे हैं। यदि गृह मंत्रालय समाचार पत्रों को रिपोर्ट के बारे में सूचना लीक करता है तो यह गृह मंत्रालय द्वारा ससद की अवमानना होगी और वह इस देश तथा संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। हमें यह जानना चाहिए कि यह रिपोर्ट कैसे बाहर गई। किसने रिपोर्ट लीक की ? एक बार रिपोर्ट बाहर आ गई, तो संसद को रिपोर्ट पर विचार करने का अधिकार है। उस समय यह आभास दिया गया था कि रिपोर्ट बाहर आने से सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे। हमें किसी भी समय यह नहीं बताया गया था कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं कि जो कुछ किया गया था वह व्यक्तियों द्वारा देश की सुरक्षा के विरुद्ध किया गया था और जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो वह सर्वोपरि होता है और यदि उस पर हम चर्चा नहीं करते तो यह देश के प्रति सबसे बड़ी गलती होगी। और जब जस्टिस टक्कर ने भी देश की सुरक्षा की बात की है, यह संसद कहती है "हम लाचार हैं और इस पर चर्चा नहीं करेंगे।" यह हमारा कर्तव्य है। जब रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा के प्रति खतरा है तो हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (इलाहाबाद) : माननीय गृह मंत्री द्वारा मेरा नाम लिया गया था और उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी की बात की है। मैं मंत्रिमंडल में था। मैं सी. सी. पी. ए. का भी सदस्य था। श्री बूटासिंह भी थे। क्या मैं सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर सकता हूं ? प्रधान मंत्री ने रिपोर्ट किसी भी सदस्य को नहीं दिखाई···(**व्यवधान**) सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही कैसे उठेगा ? (**व्यवधान**)

सरदार बूटासिंह : श्री वी. पी. सिंह तथा श्री बूटा सिंह अपनी मनमर्जी से कुछ बातें बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल तथा सी. सी. पी. ए. में जो कुछ चर्चा हुई वह सदन की सम्पत्ति नहीं है, उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। वे दोनों संवैधानिक दायित्वों को तोड़ रहे हैं, वे उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं जो उन्हें एक मंत्री के रूप में प्राप्त था। वे तो संसद का सदस्य कहे जाने के भी योग्य नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सुविख्यात व्यक्ति जो बाहर नैतिकता की बातें करते हैं, उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं जो उन्हें प्राप्त थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया इसे सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने दस्तावेज अभिरक्षा में लेने के लिए एक प्रस्ताव दिया है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा · मैं उसे पढ़ूंगा। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चार बजे पुनः समवेत होने तक सभा को स्थगित करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा चार बजे म. प. पर पुनः समवेत होने तक लिए स्थगित हुई।

4.05 म. प.

लोक सभा 4.05 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहती हूं। (**व्यवधान**)

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार को रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह सब क्या है ? उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइए। तब ही मैं आपको अनुमति दूंगा। जी हां, श्री चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में इस विषय पर विचार किया गया था तो यह कहा गया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के संबंध में चल रहे केस की जांच को ध्यान में रखते हुए इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। श्री चिदम्बरम द्वारा आगे यह भी कहा गया था कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ दें। महोदय सदन को रिपोर्ट के तथ्यों के बारे में जानने अथवा उस पर चर्चा करने नहीं दी गई थी। आज सविस्तार एक रिपोर्ट छापी गई है और कहा गया है कि यह ठक्कर आयोग की रिपोर्ट है। एक बार सामने आ जाने के बाद इसके द्वारा केस प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और सजा भी दी जा चुकी है। आज सरकार को यह बताने में क्या अड़चन है कि यह रिपोर्ट सही है अथवा नहीं ? गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया था। उनके हस्तक्षेप के बावजूद, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रिपोर्ट गलत है। इसलिए लोग यह मान कर चल सकते हैं यह सही रिपोर्ट है।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : यह रिपोर्ट शत-प्रतिशत सही है।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? क्या यह सदन में चल रही कार्यवाही से संबंधित है ? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह रिपोर्ट सही है तो इस समय जो सर्वोच्च निकाय है, को इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना ही चाहिए··· **(व्यवधान)** मैं एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। सभा में बहस का उत्तर देते हुये श्री चिदम्बरम ने कहा था :

> "जहां तक कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से सरकार की नीयत जांच आयोगों की रिपोर्टों पर कार्यवाही न करने की नहीं है, चाहे वे संसद में पेश न की गई हों"
>
> इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? **(व्यवधान)**

श्री आशुतोष लाल : (दमदम) वह किस नियम के अधीन मामला उठा रहे हैं ? कृपया अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दे दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है, जबकि यह कहा गया है कि सभी रिपोर्टों पर कार्यवाही की जायेगी। महोदय, ऐसी कार्यवाही के परिणामों को हमेशा ही संसदीय तरीकों से प्रकाश में लाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि खुद मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी रिपोर्टों पर कार्यवाही की जायेगी। क्या कार्यवाही की गई है ? इस पर चर्चा करने के लिए इस सभा को अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री चटर्जी, आपने यह मुद्दा उठाया है मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जो कानून हम पारित कर

चुके हैं, उसके अनुसार इस सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है वह विद्वेषपूर्ण हो सकता है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु उन्होंने रिपोर्ट की सत्यता से इन्कार नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाल : महोदय, मैंने श्री अशोक सेन के विरुद्ध जब वह मंत्री थे सभा को गुमराह करने के लिए एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है। मंत्री होते हुये उस समय उन्होंने सभा को गुमराह किया था। अपने वक्तव्य में उन्होंने यह बात स्वीकार की है। यह बात स्वीकार करने से यह सिद्ध हो गया है कि उन्होंने सभा को गुमराह किया था। इसलिए मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। कृपया इसे स्वीकार कर लिजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और तभी मैं अपना विनिर्णय दूंगा.

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया है तो मैं उस पर विचार करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा,

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, संशोधित रूप में वर्तमान कानून सरकार को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने नहीं से रोकता। पूरी रिपोर्ट एक समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। रिपोर्ट के लीक हो जाने के बाद जब सारी दुनिया इस पर बहस करेगी तो संसद को इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वही बात है। मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने यह नहीं कहा है कि रिपोर्ट झूठी है। वे कहें कि रिपोर्ट गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरलाल।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यह है कि मैं माननीय उपाध्यक्ष का

ध्यान नियम 352 (IV) की ओर दिला रहा हूं। इसमें कहा गया है "सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़ कर आक्षेप नहीं करेगा।" इसका अर्थ है कि सभा द्वारा किसी भी बात पर किये गए निर्णय पर सभा में दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती। एक बार सभा ने निर्णय ले लिया तो इस पर पुनः बहस नहीं की जा सकती। मैं इस विषय पर विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम चाहे कुछ भी हों हम उन्हें लागू करने जा रहे हैं। यह बात है। नियमों के अनुसार हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि आप नियमों को बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यही कर सकता हूं।

4.14 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुये]

डा. कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय मैंने एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति।

माननीय सदस्यगण सुबह से मैंने इस बहस को सुना है और यहां मैंने माननीय सदस्यों और विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की है। मैं महसूस करता हूं कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके लिए मेरे विचार में मुझे प्रत्येक कानूनी तथा अन्य पहलुओं पर विचार करना होगा। मैं असाधारण···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोमनाथ जी के साथ भी विचार विमर्श करूंगा और मेरे विचार में वह मुझे बेहतर सुझाव भी देंगे कि मैं अपना कार्य बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के रूप में मैं चाहता हूं-कि विपक्ष के और सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य मेरा पथ प्रदर्शन करें क्योंकि मैं केवल सत्तारूढ़ दल अथवा विपक्षी दलों का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं दोनों के लिए अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं इस पद की रक्षा आपके द्वारा चाहता हूं। मेरी स्थिति, अध्यक्ष की स्थिति आपके हाथों में है। अतः मैं इस पद को प्रतिष्ठा से गिरने नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सहयोग करें। और मेरे विचार में, यदि आप आज काम करने के मूड में नहीं है तो मैं आपको पुनः सोचने का दोनों पक्षों को समय दूंगा। कल दस बजे आइये-दोनों पक्ष-और फिर हम बात करेंगे। मेरे विचार में प्रजातन्त्र के बेहतर हित में, राष्ट्र के बेहतर हित में और इस समय की प्रक्रिया तथा नियमों, जो मैंने नहीं आपने बनाये हैं के बेहतर पालन के हित में, यदि आप मुझे वे कार्य पूरा करने में सहायता करते हैं, तो मैं यह करने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : महोदय, सरकार का इरादा मैंने आज सुबह स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर अडिग हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये व्यवस्था बनाये रखिये। बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये। हम कल मिलेंगे। आप इस पर विचार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप शान्त रहिए। मैं खड़ा हूं। अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह आम सहमति है। इस पर सभी की सहमति होनी जाहिए। कुछ अच्छी चर्चा होनी चाहिए, इस तरह की चिल्लाहट नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं।

[हिन्दी]

बैठ जाइये। बैठ जाइये, आप।

[अनुवाद]

मेहरबानी करके बैठ जाइये। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

घबराइये मत, ऐसा मत करिये।

[अनुवाद]

आप भी मंत्री रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सहयोग करने को तैयार हैं। परन्तु यदि उनका यह रवैया है, यदि सरकार का यह रवैया है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप मुझे रास्ता दिखायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, व्यवस्था बनाये रखिए।

बैठ जाइये। अतः प्रश्न यह है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुबह से अपील कर रहा हूं और मेरे विचार में मेरी अपील का अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। फिर भी, मैं चाहता हूं कि आप पुनः विचार करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये : अतः मैं आपको कल तक का समय देता हूं और हम 10 बजे एकत्र होंगे—पक्ष तथा विपक्ष, दोनों पक्षों के नेता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब हम इस बारे में बात करेंगे तब तक मैं सभा की बैठक स्थगित करता हूं। कल 11 बजे समवेत होने के लिए।

4.18 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 15 मार्च, 1989/24 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म- पू.तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006